बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 18 अंक 140

## ठोस पहल की जरूरत

नई मसौदा दूरसंचार नीति जो 2018 की राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति के सात साल के बाद आ रही है, उसके लक्ष्य और उद्देश्य महत्त्वाकांक्षी हैं। परंतु उसके सामने असल चुनौती क्रियान्वयन की रहेगी। वर्ष 2018 की नीति और उसके पहले की नीतियों के समक्ष भी यही चुनौती थी। मसौदा राष्ट्रीय दूरसंचार नीति-2025 में ग्रामीण क्षेत्रों सहित 4जी, 5जी और ब्रॉडबैंड कवरेज लक्ष्यों को तय करने के अलावा रोजगार निर्माण को प्राथमिकता वाले क्षेत्र के रूप में रेखांकित किया गया है। हालांकि यह निकट भविष्य में हासिल हो सकने वाले लक्ष्य सामने रखने में नाकाम रहा है।

इस नीति के तहत लक्ष्यों को हासिल करने के लिए 2030 का वर्ष तय किया गया है जो अभी पांच साल दूर है। तकनीक दूरसंचार की रीढ़ है और वह बहुत तेजी से बदल रही है। ऐसे में इस नीतिगत दस्तावेज के लिए अल्पावधि के लक्ष्य तय करना अधिक महत्त्वपूर्ण है। जब अंशधारक अगले तीन सप्ताह के दौरान मसौदा नीति पर अपने विचार रखेंगे तो दूरसंचार क्षेत्र की कुछ हकीकतें उजागर होंगी। ऐसे में नीति निर्माताओं को ऐसे लक्ष्य तय करने में मदद मिलेगी जो आकांक्षाओं और व्यवहार्यता के मिश्रण वाले हों।

यह मसौदा नीति दूरसंचार क्षेत्र में सालाना निवेश को दोगुना करके 1 लाख करोड़ रुपये करने तथा इस उद्योग में 10 लाख रोजगार तैयार करने की बात करती है। साथ ही, 10 लाख अन्य लोगों को नए सिरे से कौशल संपन्न बनाने, 90 फीसदी आबादी को 5जी के कवरेज में लाने और वर्ष2030 तक 10 करोड़ परिवारों को फिक्स्ड लाइन ब्रॉडबैंड के दायरे में लाने का लक्ष्य शामिल है। इसमें ग्रामीण इलाकों में फिक्स्ड लाइन ब्रॉडबैंड को बढ़ावा देने के लिए कंपनियों को प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव भी रखा गया है। इसके साथ ही दूरदराज तक संपर्क के लिए छोटे इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को मदद पहुंचाने की बात भी शामिल है। घरेलू दूरंसचार उपकरण विनिर्माताओं को प्रोत्साहन और देश के दूरसंचार शोध एवं विकास व्यय को पांच साल में दोगुना करना भी प्रमुख लक्ष्यों में शामिल हैं।

एक मिशन वक्तव्य के रूप में ये लक्ष्य सरकार की इच्छाओं की सूची को शामिल किए हुए हैं लेकिन अंतिम नीति में हितधारकों को अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करने के लिए रोडमैप पर भी समान रूप से ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए मसौदा नीति साइबर हमलों और भ्रामक सूचना अभियानों को रोकने में आर्टिफिशल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल का संक्षिप्त उल्लेख करती है। परंतु दूरसंचार क्षेत्र में नौकरियों के संबंध में आर्टिफिशल इंटेलिजेंस की भूमिका पर विस्तार से चर्चा नहीं करती। यह दो कंपनियों के दबदबे की बहस या उद्योग के केवल प्रमुख कंपनियों तक सीमित हो जाने के जोखिम और उपभोक्ताओं पर इसके प्रभाव को लेकर भी कुछ नहीं कहती है। मसौदा नीति में सरकारी दूरसंचार कंपनियों के भविष्य पर भी कोई चर्चा नहीं की गई है। वित्तीय संकटग्रस्त निजी दूरसंचार कंपनियों और उनके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली समस्याओं का विषय भी नीति के दायरे में नहीं है। कुछ अन्य समकालीन विषय मसलन स्पेक्ट्रम नीलामी और लॉन्च होने वाला सैटेलाइट संचार ब्रॉडबैंड भी नीतिगत दस्तावेज में सार्थक तरीके से जगह नहीं बना पाया।

देश में दूरसंचार नीतियों का सिलसिला 1994 तक जाता है यानी वाणिज्यिक मोबाइल फोन सेवाओं की शुरुआत के ठीक पहले तक। तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिंह राव के नेतृत्व में 1994 में बनी दूरसंचार नीति ने दूरसंचार क्षेत्र का उदारीकरण किया और पहुंच, निजी क्षेत्र की भागीदरी बढ़ाने और बेहतर सेवा गुणवत्ता पर जोर दिया। इस नीति को कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। इसके चलते सरकार को उदारीकरण को गति देने के लिए 1999 में अगला दस्तावेज जारी करना पड़ा। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में 1999 की राष्ट्रीय दूरसंचार नीति में दूरसंचार पहुंच और घनत्व के लक्ष्य तय किए गए थे। इसके साथ ही लाइसेंस शुल्क के लिए राजस्व साझा करने की व्यवस्था भी आरंभ की गई। इसके बाद कई अन्य ऐसे दस्तावेज जारी किए गए जो ज्यादा से ज्यादा एक मिशन वक्तव्य ही रहे। भूराजनीतिक उथल-पुथल के बीच मेक इंडिया पर जोर देने वाला वर्तमान 20 साल का मसौदा, दूरसंचार के छात्रों के लिए एक अच्छी संदर्भ सामग्री हो सकती है। एक नीतिगत दस्तावेज के रूप में तो इसे और ठोस बनाने की आवश्यकता है।

# धरती को हरा-भरा रखने में धन की भूमिका

**वित्तीय मदद की अपनी भूमिका है लेकिन कई वजह हैं जिनके चलते यह जलवायु परिवर्तन का आधार नहीं हो सकता है। बता रहे हैं एमएस साहू और सीकेजी नायर**

सरकारें, वित्तीय बाजार नियामक और सामाजिक नागरिक संगठन सभी पृथ्वी के पर्यावरण को बेहतर बनाने में वित्तीय बाजारों की भूमिका को अहम मान रहे हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि निवेशक अपने निजी लाभ पर सार्वजनिक हित को प्राथमिकता दें और पूंजी प्रवाह को टिकाऊ लक्ष्यों के साथ जोड़ा जा सके। वित्तीय मदद या धन की अपनी भूमिका है लेकिन कई वजह हैं जिनके चलते यह जलवायु परिवर्तन का आधार नहीं हो सकता है।

वित्तीय बाजार जोखिम-रिटर्न के आकलन पर काम करते हैं। वे प्रतिस्पर्धी कारोबारों में जोखिम समायोजित रिटर्न के आधार पर संसाधन लगाते हैं जो बदले में, उत्पाद बाजारों में कीमतों को प्रतिबिंबित करते हैं और वे कीमतें उपभोक्ता विकल्पों को प्रतिबिंबित करती हैं।

अगर कोयला आधारित कोई उपक्रम मौजूदा मांग और आपूर्ति के आधार पर मुनाफे वाला है तो वह तब तक निवेश आकर्षित करेगा जब तक कि कोई नियामकीय बाधा या आर्थिक नुकसान न हो। निवेशकों से यह अपेक्षा करना उचित नहीं है कि वे कीमतों, रिटर्न और जोखिमों की नियमित रूप से उपेक्षा करेंगे। यह वैसा ही है मानो किसी ग्राहक से कहा जाए कि वह चीन में बना सामान न खरीदे जबकि चीन का सामना बाजार में बिकता रहे। बाजार ऐसे काम नहीं करता।

बाजार विकल्पों को दर्शाता है न कि उन्हें परिभाषित करता है। बाजार और नियमन यह तय करते हैं कि कौन-सी वस्तु कितनी उत्पादित होगी और खपत की जाएगी तथा यह कैसे होगा। अधिक प्रभावी और ईमानदार रणनीति यह होगी कि नुकसानदेह कारोबारों को शुरू में ही रोक दिया जाए बजाय कि यह उम्मीद करने के कि बाजार उनसे दूरी बनाएगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल को इसलिए नहीं अपनाया गया क्योंकि निवेशक इनमें निवेश करना चाहते थे बल्कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसने उपभोक्ताओं और उत्पादकों के चयन को प्रभावित किया।

पर्यावरण को पहुंचने वाला नुकसान शायद सबसे बड़ा नकारात्मक बाह्य कारण है, जहां प्रदूषक अपने कार्यों की पूरी पारिस्थितिक लागत वहन नहीं करते हैं, तथा उपभोक्ता आमतौर पर केवल निजी लागत का भुगतान करते हैं, व्यापक पर्यावरणीय क्षति का नहीं।

इसका किताबी हल एकदम साधारण है: बाह्य कारक की कीमत तय करें। ऐसी व्यवस्था करनी होगी कि उत्पादक और उपभोक्ता दोनों उत्पादन और खपत के बिंदु पर ही पर्यावरण को पहुंच रही क्षति की लागत चुकाएं। इससे पहले के दशकों में परियोजना मूल्यांकन में अक्सर पर्यावरणीय और सामाजिक लागतों को ध्यान में रखते हुए छिपे हुए मूल्य निर्धारण को शामिल किया जाता था, जो बाजार मूल्यों में शामिल नहीं होता था। मूल्य निर्धारण में ऐसी लागतों को शामिल करने से नुकसानदेह प्रोत्साहनों को दुरुस्त किया जा सकता है और बाजार के व्यवहार को टिकाऊ विकास लक्ष्यों के अनुरूप बनाया जा सकता है।

बाजार अर्थव्यवस्था में यह संभव है। जब नुकसानदेह चीजों की पूरी लागत कीमतों में नजर आती है तो उनकी खपत में कमी आती है, मुनाफा कम होता है, उत्पादन कम हो जाता है और वित्तीय मदद की मांग स्वतः समाप्त होने लगती है। दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसा बाजार नुकसानदेह चीजों के उपभोक्ताओं या उत्पादकों के लिए अव्यवहारिक हो जाता है और इस प्रकार उनमें पैसा लगाने वालों के लिए भी। जो कारोबार ठीक नहीं चलते उनमें पूंजी की आवक रुक जाती है क्योंकि बाजार कीमतों के संकेत पर प्रतिक्रिया देते हैं। ऐसे में पूरी लागत आरंभ में ही जुड़ जानी चाहिए न कि वित्तीय आवंटन के बाद।

पर्यावरण के अनुकूल बदलाव के लिए पूरी तरह वित्तीय मदद पर निर्भर रहने की अपनी सीमाएं हैं। पहली बात, वित्त भविष्य पर वर्तमान की तुलना में अधिक असर डालता है। टिकाऊ वित्त नई पूंजी को पर्यावरण के अनकूल कारोबार में डालता है। इससे भविष्य की अर्थव्यवस्था बनाने में मदद मिलती है।

पर्यावरण के अनुकूल बदलाव के लिए पूरी तरह वित्तीय सहायता पर निर्भर रहने की अपनी सीमाएं हैं। पहली बात तो यह कि वित्तीय मदद वर्तमान से अधिक भविष्य को प्रभावित करती है। सतत वित्तीय मदद नई पूंजी को हरित या पर्यावरण के अनुकूल कारोबार की ओर निर्देशित करती है जिससे भविष्य की अर्थव्यवस्था के निर्माण में मदद मिलती है। परंतु इससे वर्तमान अर्थव्यवस्था को कोई खास मदद नहीं मिलती जो लगातार प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर निर्भर है। केवल नई फंडिंग रोकने से ये उद्योग बंद नहीं होंगे न ही हम यह उम्मीद कर सकते हैं कि उपभोक्ता रातोंरात इनसे उत्पाद खरीदना बंद कर देंगे। यही नहीं, पर्यावरण के अनुकूल कारोबारों में शुरूआत में ही काफी लागत चुकानी होती है। ऐसे में वे पुरानी कंपनियों से मुकाबला करने में दिक्कत महसूस करेंगे। जब तक हम जड़ जमाए बैठे प्रदूषणकारी उद्योगों का सामना करते हुए हरित निवेश को बढ़ावा नहीं देते, तब तक हम एक ऐसे भविष्य का निर्माण करने का जोखिम उठाते हैं जिसमें कुछ हिस्सों में पर्यावरण की अनुकूलता के साथ ही प्रदूषण भी बना रहेगा।

दूसरी बात, कंपनियां एकल इकाई नहीं बल्कि पोर्टफोलियो होती हैं। एक बड़ा कारोबारी समूह एक ही छत के नीचे कोयला संयंत्र, सौर ऊर्जा, जल शोधन इकाई और उपभोक्ता वस्तुओं का कारोबार चला सकता है। एक कंपनी तंबाकू और अस्थमा में काम आने वाला इनहेलर दोनों बना सकती है जबकि दूसरी डीजल और इलेक्ट्रिक वाहन दोनों बना सकती है। कुछ उत्पादों के उपभोग संबंधी बाहरी प्रभाव उनके अंतिम उपयोग पर निर्भर करते हैं। उदाहरण के लिए ऊर्जा और रसायनों का उपयोग भी पर्यावरण के लिए लाभप्रद या हानिकारक तरीकों से किया जा सकता है। तो कोई निवेशक केवल स्वच्छ भाग के लिए धनराशि कैसे दे सकता है? या वह कैसे सुनिश्चित करता है कि उत्पाद का उपयोग अच्छे उद्देश्यों के लिए किया जाए?

कहने की जरूरत नहीं कि वित्तीय बाजारों की कोई भूमिका नहीं। वे मूल्य निर्धारण में काफी प्रभावी हैं, लेकिन उत्पादों के लिए यह सकारात्मक भी है और नकारात्मक भी। वे कार्बन क्रेडिट जैसे उपायों के जरिये प्रदूषण के मूल्य निर्धारण और व्यापार में मदद कर सकते हैं। कैप एवं ट्रेड प्रणाली कुल उत्सर्जन की एक सीमा निर्धारित करती है और कंपनियों को उत्सर्जन अधिकारों का व्यापार करने की इजाजत देती है।

यह तीन अहम उद्देश्यों को पूरा करती है: पहला, प्रदूषण के लिए मूल्य तय करती है और बाहरी प्रभावों को आंतरिक बनाती है। दूसरा, लचीलापन बनाए रखती है, कंपनियों को अनुपालन के तरीके तय करने की इजाजत देती है और तीसरा, नवाचार को प्रोत्साहित करती है, लक्ष्यों से आगे निकल जाने वालों को पुरस्कृत करती है। नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र, जल उपयोग अधिकार और जैव विविधता प्रतिपूर्ति जैसे अन्य बाजार आधारित साधन भी इसी तर्क पर काम करते हैं।

सूचना समरूपता में वित्तीय बाजारों का प्रदर्शन बेहतर है। स्वैच्छिक पर्यावरण खुलासे अपर्याप्त हो सकते हैं। पर्यावरण प्रभावों की अनिवार्यता, मानकीकरण और विश्वसनीय रिपोर्टिंग की जरूरत है। वैसे ही जैसे कि सूचीबद्ध संस्थाओं के वित्तीय विवरणों के लिए होती है। केवल ऐसी पारदर्शिता से ही निवेशक और उपभोक्ता समझदारी भरा निर्णय ले सकते हैं।

धन न केवल जलवायु परिवर्तन से लड़ाई में अहम है, बल्कि यह इसके प्रभावों के प्रति भी संवेदनशील है। बाढ़, तूफान और अत्यधिक गर्मी जैसी जलवायु आपदाएं बहुत बड़े पैमाने पर आर्थिक और वित्तीय नुकसान पहुंचाती हैं। कुछ तो वित्तीय स्थिरता की बुनियाद तक हिला देती हैं। कुछ क्षेत्र मसलन दूरसंचार आदि को अधिक नुकसान उठाना पड़ता है क्योंकि उनके सेल टावर और नेटवर्क को तूफानों से काफी अधिक नुकसान पहुंचता है। इसके बावजूद अधिकांश वित्तीय बाजारों ने इन जोखिमों का ठीक तरह से ध्यान नहीं रखा है। खुलासों में कंपनियों के जलवायु जोखिम का जिक्र होना चाहिए। इसमें परिदृश्य का विश्लेषण, दबाव परीक्षण भी होना चाहिए, खासकर संकटग्रस्त क्षेत्रों के लिए।

हमें बाजारों से उन समस्याओं को हल करने की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए जिन्हें केवल नीतियां हल कर सकती हैं। एक वास्तविक हरित बदलाव के लिए हमें हानिकारक गतिविधियों को स्रोत पर ही रोकना या प्रतिबंधित करना होगा। पर्यावरण के बाह्य प्रभावों का पूरी तरह और पारदर्शी मूल्य निर्धारण करना होगा और सशक्त पर्यावरण संबंधी खुलासा अनिवार्य करना होगा। इन नीतिगत सीमाओं के दायरे में वित्तीय बाजार, पर्यावरण के अनुकूल अर्थव्यवस्था के समर्थन में कुशलतापूर्वक पूंजी आवंटित कर सकते हैं। टिकाऊ वित्त तभी कारगर होता है जब वह टिकाऊ अर्थव्यवस्था पर आधारित हो। इसके बिना यह पारंपरिक वित्त को ही पर्यावरण के अनुकूल लेबल के साथ दोबारा ब्रांडिंग करने से अधिक कुछ नहीं रह जाता।

*(लेखक क्रमशः भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड के पूर्व चेयरपर्सन और राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान के पूर्व निदेशक हैं)*

# महंगाई कम मगर बना हुआ है जोखिम



कौशिक दास

**जून** 2025 में भारत की उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित मुद्रास्फीति सालाना आधार पर घटकर 2.1 फीसदी हो गई, जो मई में 2.82 फीसदी थी। अप्रैल-जून तिमाही के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति, औसतन 2.7 फीसदी रही जो भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के 2.9 फीसदी के अनुमान से कम है। यह गिरावट, मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) को निकट अवधि में कुछ राहत दे सकती है जो काफी हद तक खाद्य कीमतों में गिरावट के कारण हुई है। हालांकि, भविष्य के नजरिये से देखें तो ब्याज दरों पर अधिक सतर्क दृष्टिकोण अपनाना उचित है।

हमारा अनुमान है कि वित्त वर्ष 2026 में सीपीआई मुद्रास्फीति औसतन 3 फीसदी रहेगी, जो वित्त वर्ष 2025 में दर्ज 4.6 फीसदी से काफी कम है। खाद्य कीमतों के मोर्चे पर कोई बड़ी चुनौती न मिलने पर, निकट अवधि में मुद्रास्फीति कम रहने की उम्मीद है और यह जुलाई-सितंबर की अवधि में लगभग 2.5 फीसदी और अक्टूबर-दिसंबर की अवधि में 2.6 फीसदी तक हो सकती है जो आरबीआई के क्रमशः 3.4 फीसदी और 3.9 फीसदी के पूर्वानुमान से काफी कम है।

हालांकि वित्त वर्ष 2026 की अंतिम तिमाही में मुद्रास्फीति के आरबीआई के 4.4 फीसदी के अनुमान के साथ मेल खाने की संभावना है लेकिन पहली तीन तिमाहियों में इसके कम रहने से पूरे वर्ष का औसत 3 फीसदी हो सकता है जो आरबीआई के मौजूदा पूर्वानुमान 3.7 फीसदी से 70 आधार अंक कम है।

यह अनुकूल चरण शायद लंबे समय तक नहीं चलेगा। इस साल सीपीआई मुद्रास्फीति में तेज गिरावट, अगले वित्त वर्ष के लिए एक प्रतिकूल आधार तैयार करेगी। हमारे अनुमान बताते हैं कि अप्रैल-जून 2026 में मुद्रास्फीति बढ़कर 5 फीसदी हो जाएगी, जिसके बाद अगली दो तिमाहियों में यह कम होकर क्रमशः 4.7 फीसदी और 4.4 फीसदी तक हो जाएगी। नतीजतन, वित्त वर्ष 2027 में सीपीआई मुद्रास्फीति, औसतन 4.5 फीसदी रहने की उम्मीद है जो वित्त वर्ष 2026 के संभावित औसत 3 फीसदी से काफी ज्यादा होगी।

ऐतिहासिक रुझान भी इस नजरिये का समर्थन करते हैं। नवंबर 2018 से जनवरी 2019 तक, सीपीआई मुद्रास्फीति औसतन केवल 2.1 फीसदी थी। एक साल बाद, आधार प्रभाव और बढ़ती खाद्य कीमतों के कारण यह 7.5 फीसदी से अधिक हो गई। इसी तरह, जून 2017 में सीपीआई मुद्रास्फीति 1.5 फीसदी के निचले स्तर पर पहुंच गई थी, लेकिन 2018 के मध्य तक इसमें उछाल आई और यह लगभग 5 फीसदी हो गई। ये पिछले प्रकरण दिखाते हैं कि असाधारण रूप से कम आंकड़ों वाली अवधि के बाद मुद्रास्फीति कितनी तेजी से बढ़ सकती है, खासतौर पर जब इसमें खाद्य कीमतें शामिल हों। भारत में खाद्य कीमतों की अस्थिरता को देखते हुए मौजूदा अवस्फीति तेजी से पलट सकती है, जिससे 2026 के मध्य तक मुद्रास्फीति, आरबीआई के लक्षित दायरे के ऊपरी स्तर की ओर बढ़ सकती है।

इस पृष्ठभूमि में दूरदर्शिता बरतने वाली एमपीसी को संयम बरतना होगा। अगर वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में मुद्रास्फीति 5 फीसदी तक बढ़ जाती है और वित्त वर्ष 2027 में औसतन 4.5 फीसदी रहती है तब वास्तविक ब्याज दर कम होकर 50-100 आधार अंक हो जाएगी जो फिलहाल लगभग 300 आधार अंक है अगर रीपो दर 5.50 फीसदी पर अपरिवर्तित रहती है। यदि रीपो दर में और कटौती करके 5 फीसदी कर दिया जाता है तब वास्तविक दर और घट कर शून्य तक हो जाएगी, जो मध्यम अवधि की व्यापक आर्थिक स्थिरता के लिए आदर्श स्थिति नहीं हो सकती है।

एमपीसी के जून 2025 के निर्णय में रीपो दर में 50 आधार अंकों की कटौती की गई जो उम्मीद से कहीं ज्यादा थी और इससे बाजारों को हैरानी हुई। बिजनेस स्टैंडर्ड को दिए एक साक्षात्कार में आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने संकेत दिया कि अगर महंगाई अनुमान से कम रहती है, तो इससे 'नीतिगत गुंजाइश का दायरा खुलता है।' उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि 'तटस्थ' रुख अपनाने का मतलब नीतिगत चक्र में तत्काल उलटफेर नहीं है। उनकी यह टिप्पणी संकेत देती है कि एमपीसी इस साल 25 आधार अंकों की कटौती करने में दिलचस्पी ले सकती है और हमारा मानना है कि सावधानी बरतने की आवश्यकता है।

अब किसी भी नरमी को अक्टूबर तक टाला जा सकता है और इसका फैसला कई अहम कारकों पर निर्भर करेगा। इनमें खाद्य कीमतों का रुख, 29 अगस्त को जारी होने वाले अप्रैल-जून के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के आंकड़े, पिछली ब्याज दरों में की गई कटौतियों का असर और साथ ही वैश्विक आर्थिक परिदृश्य शामिल हैं। विशेष रूप से अमेरिका की मौद्रिक नीति और अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक तनाव भी इसमें महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ये सभी यह तय करने में निर्णायक होंगे कि आगे और कितना ढील देना न्यायसंगत होगा।

इसके अलावा, भारत के मौजूदा वृद्धि के अनुमान को देखते हुए अतिरिक्त प्रोत्साहन की जरूरत नहीं है। 2019 में, जब आरबीआई ने रीपो दरों को 6.5 फीसदी से घटाकर 5.15 फीसदी कर दिया था, तब सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर 5 फीसदी से नीचे चली गई थी, जिसका एक कारण आईएलऐंडएफएस संकट भी था। इसके विपरीत वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद, हमें उम्मीद है कि 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि लगभग 6.5 फीसदी पर मजबूत बनी रहेगी। यह रीपो दर को 5.5 फीसदी पर बनाए रखने के पक्ष में तर्क को और मजबूत करता है।

निष्कर्ष के तौर पर कहें तो, मुद्रास्फीति में मौजूदा कमी से अल्पकालिक राहत मिल रही है, ऐसे में मौद्रिक नीति समिति को थोड़ा मध्यम अवधि का दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। वित्त वर्ष 2027 में मुद्रास्फीति में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है और अभी आक्रामक तरीके से की गई दर कटौतियां, अर्थव्यवस्था को बाद में मुद्रास्फीति की अस्थिरता के प्रति संवेदनशील बना सकती हैं। ऐसे में सही तरीका यह होगा कि दरों को स्थिर रखा जाए, घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रखी जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि वास्तविक ब्याज दरें उस दायरे में बनी रहें जो वृद्धि और मूल्य स्थिरता दोनों को सहारा दे सकें।

*(लेखक डॉयचे बैंक एजी ( भारत, मलेशिया और दक्षिण एशिया ) के मुख्य अर्थशास्त्री हैं)*

## आपका पक्ष

**करें पुख्ता सुरक्षा ताकि भगदड़ में जान न जाने पाए**

हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर और बाराबंकी में अवसानेश्वर महादेव मंदिर में भगदड़ मचने से कई श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई और दर्जनों घायल हो गए। पहले भी आयोजकों और स्थानीय प्रशासन की माकूल सुरक्षा व्यवस्थाओं की नाकामियों का खमियाजा धर्मप्राण श्रद्धालुओं, श्रोताओं, और दर्शनार्थियों को अनेक बार अपनी जान गंवाकर व गंभीर घायलों के रूप में भुगतना पड़ा है। चाहे मंदिर हो या त्योहारी आयोजन अथवा अन्य छोटे-बड़े आयोजन, पूरी जिम्मेदारी आयोजकों और स्थानीय प्रशासन की होती है। सभी को पता होता है कि कब, कहां और कितनी भीड़ हो सकती है और कितनी माकूल व्यवस्थाएं करनी होती हैं। अगर आयोजक और प्रशासन आपस में तालमेल बिठाकर आयोजन की उचित व्यवस्था योजनाबद्ध व व्यवस्थित तरीके से करें तो कार्यक्रम या आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हो सकते हैं तथा किसी भी तरह की अनहोनियों से लोगों को दूर रखा जा सकता है। वर्तमान में त्योहारों का मौसम चल रहा है तथा आने वाले समय में भी लगातार धार्मिक आयोजन होने हैं। अतः आयोजक और स्थानीय प्रशासन सुरक्षात्मक व्यवस्थाएं माकूल रखें ताकि किसी भी तरह की अनहोनी न होने पाए। अधिक भीड़ का अंदेशा होने पर पहले से ही सतर्कता बरतनी चाहिए।

*शकुंतला महेश नेनावा, इंदौर*




पिछले दिनों हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में भगदड़ मच गई थी जिसमें कुछ श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी

**बहुआयामी सुधारों की आवश्यकता**

बुनियादी ढांचे से होने वाले हादसों के लिए बहुआयामी सुधारों की आवश्यकता है, जो तकनीकी, प्रशासनिक और सामाजिक स्तर पर काम करे। हालिया पुल दुर्घटना बताती है कि केवल निर्माण ही नहीं बल्कि सुरक्षा, निरीक्षण और जवाबदेही भी उतनी ही जरूरी है। घटिया निर्माण सामग्री और भ्रष्टाचार का बोलबाला इन हादसों को आमंत्रित करता रहता है। हादसों के बाद जांच तो होती है लेकिन जवाबदेही तय नहीं होती है इसलिए पुराने पुलों का निरीक्षण नहीं होता है। बाढ़, भूकंप निरोधी ढांचे तैयार नहीं होते है। नगर निगम कर्मचारियों को प्रशिक्षित और आधुनिक उपकरणों से लैस करना चाहिए।

*भगवानदास छारिया, इंदौर*

**बुनियादी ढांचों का समय समय पर ऑडिट जरूरी**

बुनियादी ढांचों से जुड़े हादसे रोकने के लिए पुलों के बनने के बाद समय-समय पर सुरक्षा ऑडिट किया जाए। ऊंची इमारतों का प्रत्येक 5 वर्षों में आग, भूकंप और आकाशीय बिजली से सुरक्षा संबंधी ऑडिट हो। सड़कों का भी नियमित अंतराल में दुर्घटना से सुरक्षा का ऑडिट करें। अगर जरूरत पड़ी तो खराब सड़कों की मरम्मत फौरन की जाए। बुनियादी ढांचे बनाने वाली कंपनियों से गुणवत्ता और सुरक्षा संबंधी जवाबदेही निर्धारित करने वाला समझौता किया जाए और हादसा होने पर बिना किसी अपवाद के कंपनी के मालिकों और इंजीनियरों के विरुद्ध सजा का कानून में प्रावधान कर कानूनी कार्यवाही जरूर की जाए। ठेका देने की पारदर्शी व्यवस्था अपनाए जाएं ताकि भ्रष्टाचार न हो और किसी भी तरह के निर्माण की गुणवत्ता घटिया न हो।

*ललित दुबे, रतलाम*

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

## देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में तिमोर-लेस्ते लोकतांत्रिक गणराज्य के राजदूत कार्लिटो नून्स (बाएं) से परिचय पत्र प्राप्त किया। इसके अलावा अन्य तीन देश डोमिनिकन गणराज्य के राजदूत फ्रांसिस्को मैनुअल कॉम्प्रेस हर्नांडेज, श्रीलंका लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य की उच्चायुक्त प्रदीपा महिषिनी कोलोन और गैबनीज गणराज्य के उच्चायुक्त गाय रोड्रिग डिकाय से भी परिचय पत्र प्राप्त किए।

पायनियर
नई दिल्ली, बुधवार, 30 जुलाई 2025



# थाईलैंड-कंबोडिया तनाव

## चिंताजनक सीमा विवाद

राष्ट्रवादी उन्माद का इस्तेमाल अक्सर सत्ता में बैठे लोग अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए करते हैं। अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए राजनेता अक्सर राष्ट्रवादी भावनाओं का सहारा लेते हैं और लोगों का ध्यान असली मुद्दों से भटका देते हैं। थाईलैंड-कंबोडिया संघर्ष को इसी संदर्भ में देखा जा सकता है। दोनों देशों के बीच लंबे समय से सीमा विवाद चला आ रहा है। यह हमेशा तब काम आता है जब दोनों देशों के नेता राष्ट्रवादी भावनाओं को भड़काकर जनमत को अपने पक्ष में करना चाहते हैं। थाईलैंड, जो अभी एक कार्यकारी सरकार के अधीन है, राष्ट्रीय एकता स्थापित करने के लिए मजबूत सैन्य रुख अपना रहा है, जबकि प्रधानमंत्री हुन मानेट के नए नेतृत्व में कंबोडिया भी सैन्य शक्ति प्रदर्शन के जरिए अपनी शक्ति मजबूत कर रहा है। इसका अंतिम परिणाम सैन्य वृद्धि और जान-माल की हानि है।

थाईलैंड-कंबोडिया सीमा पर तनाव अब तक की सबसे भीषण झड़प में बदल गया है जिसमें कई लोगों की जान चली गई है। सीमा विवाद के रूप में शुरू हुआ यह विवाद मई में नाटकीय रूप से बढ़ गया, जब एक संक्षिप्त झड़प में एक कंबोडियाई सैनिक मारा गया। 24 जुलाई को हिंसा फिर भड़क उठी और तब से 30 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और 1,50,000 से ज्यादा नागरिक विस्थापित हो चुके हैं।

संयम बरतने के आह्वान के बावजूद, दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर युद्धविराम की शर्तों का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए भारी गोलाबारी की। सीमा विवाद की गहरी ऐतिहासिक जड़ें हैं। सीमावर्ती क्षेत्र, खासकर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रीह विहियर मंदिर के आसपास का क्षेत्र, लंबे समय से विवाद का



विषय रहा है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने 1962 में फैसला सुनाया था कि मंदिर कंबोडिया का है, फिर भी आसपास का क्षेत्र विवादित बना हुआ है।

लेकिन इस बार, अमेरिका ने हस्तक्षेप किया है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने व्यक्तिगत रूप से दोनों नेताओं से बातचीत की है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी तत्काल युद्धविराम का आह्वान किया है और दोनों देशों से बातचीत के जरिए विवाद सुलझाने और आगे मानवीय पीड़ा से बचने का आग्रह किया है। कूटनीतिक तत्परता के साथ, सोमवार को मलेशिया में उच्च-स्तरीय वार्ता शुरू हुई। थाईलैंड के कार्यवाहक प्रधानमंत्री फुमथम वेचायाचाई और कंबोडियाई प्रधानमंत्री हुन मानेट ने अपने-अपने प्रतिनिधिमंडलों का नेतृत्व किया, जबकि अमेरिका और चीन के राजदूत बैठक में मौजूद थे।

हालिया भड़की हिंसा कई अभिसारी कारकों का परिणाम प्रतीत होती है: सदियों पुरानी शिकायतें, थाईलैंड-कंबोडिया सीमा पर अस्पष्ट सीमांकन से और भी जटिल हो गई हैं, जिससे संघर्ष के हालात पैदा हो गए हैं। विवादित क्षेत्र, खासकर प्राचीन मंदिर परिसरों के आसपास, दोनों पक्षों में राष्ट्रवादी भावनाओं को भड़काते रहते हैं। दोनों देश राजनीतिक बदलावों से गुजर रहे हैं। खराब संचार माध्यमों वाले भारी सैन्यीकृत क्षेत्रों में, छोटी-छोटी घटनाएँ भी तेजी से नियंत्रण से बाहर हो सकती हैं, जैसा कि मई में हुई घातक झड़प में देखा गया था।

अगर मलेशिया में कूटनीति सफल होती है, तो क्षेत्र में और अधिक रक्तपात से बचा जा सकता है। हालाँकि, इतिहास बताता है कि स्पष्ट सीमांकन प्रयासों और विश्वास-निर्माण उपायों के बिना अस्थायी युद्धविराम अक्सर विफल हो जाते हैं। वास्तव में, दीर्घकालिक स्थिरता के लिए अंतर्राष्ट्रीय निगरानी के साथ संयुक्त सीमा सीमांकन और दोनों देशों की सेनाओं के बीच संचार माध्यमों की आवश्यकता होगी।

# कराची में रामायण का महत्व

**सांस्कृतिक प्रतिध्वनि और कलात्मक साहस के एक आश्चर्यजनक प्रदर्शन में, मौज नामक एक पाकिस्तानी नाट्य समूह ने भारत-पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के बावजूद, कराची स्थित पाकिस्तान कला परिषद में हिंदू महाकाव्य रामायण का मंचन किया।**

प्रफुल्ल गोरडिया
लेखक, पूर्व राज्यसभा सदस्य हैं।





हाल ही में मीडिया में खबर आई थी कि मौज नामक एक नाट्य समूह ने कराची स्थित पाकिस्तान कला परिषद नामक एक नाट्य मंचन में सामूहिक रूप से रामायण नाटक का मंचन किया था।

पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा 26 हिंदुओं की नृशंस हत्या, जिसके परिणामस्वरूप भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के रूप में विनाशकारी सैन्य प्रतिक्रिया दी, और उससे पहले और बाद की घटनाओं के कारण शत्रुतापूर्ण माहौल के बावजूद, रामायण के मंचन के लगभग एक हजार टिकट बिके, जैसा कि बताया गया है, और पूरे दर्शकों ने इसका भरपूर आनंद लिया। संयोग से, एक समस्या यह थी कि दर्शकों का एक हिस्सा 'मुद्रिका' शब्द नहीं समझ पाया; पाकिस्तानी लोग 'अंगूठी' से ज्यादा परिचित हैं, जिसका अर्थ है अंगूठी, जो हनुमान ने सीता को तब भेंट की थी जब वे उनकी खोज में लंका पहुँचे थे।

इस नाटक के सभी कलाकार स्थानीय मुसलमान थे; निर्देशक योगेश्वर करेरा एकमात्र हिंदू थे, और निर्माता का नाम राणा काजमी है। हो सकता है कि रामायण महाकाव्य का पहले नाट्य मंचन न हुआ हो, लेकिन 1987 और 1988 में दूरदर्शन पर प्रदर्शित होने पर हमारे दोनों महाकाव्यों ने बड़ी संख्या में दर्शकों को आकर्षित किया था।

उन दो वर्षों के दौरान, हर रविवार सुबह एक घंटे के लिए, पाकिस्तान के शहरों में यातायात गायब हो जाता था क्योंकि नागरिक अपने घरों में रामानंद सागर द्वारा निर्मित और निर्देशित रामायण और बीआर चोपड़ा द्वारा निर्मित महाभारत जैसे टेलीसीरियल देखने में व्यस्त रहते थे, जो अपने समय के दोनों प्रसिद्ध फिल्म निर्माता थे। भारत में भी, मुस्लिम जनता भी उतने ही उत्साह से इन महाकाव्यों को अपने टेलीविजन अवतार में जीवंत होते हुए देखती थी।

भारत के दोनों कालातीत महाकाव्यों ने पाकिस्तान में इतनी रुचि क्यों आकर्षित की, इस पर अभी तक पर्याप्त शोध नहीं हुआ है। क्या यह केवल महान कथाओं को कुशलता से प्रस्तुत करने का मामला है? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि इस्लामी परंपरा में तुलनीय साहित्य उपलब्ध नहीं है?

क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत हो या पाकिस्तान, आम मुसलमान अपने नेताओं की तरह सांप्रदायिक पूर्वाग्रहों से ग्रस्त नहीं हैं? या फिर ज्यादातर मुसलमानों की सामाजिक स्मृति की वजह से, जो कभी हिंदू थे? यहाँ यह याद रखना और दोहराना जरूरी है कि एक ही विचारधारा से जुड़े होने के बावजूद, पाकिस्तान का भारत के साथ सांस्कृतिक रूप से जो भी समानताएँ थीं, उनसे दूर जाना 1951 में शुरू हुआ, जिस साल उसके पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान की हत्या हुई थी।

1971 के युद्ध में अपने घृणित दुश्मन भारत के हाथों देश की अपमानजनक हार और उसके बाद पूर्वी हिस्से, यानी पूर्वी पाकिस्तान, जो पश्चिमी पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बना, के अलग होने के बाद एक राष्ट्रीय मिथक की जरूरत और भी बढ़ गई। पाकिस्तान अब इस्लाम के बराबर हो गया, एक अहम मुद्दा बन गया, और फिर जिया युग ने इस बदलाव को पूरा किया। जिया युग या उसके बाद पैदा हुए लोगों के लिए, हिंदू धर्म अपने आप में एक दूसरे की बहुत शक्तिशाली भावना थी, जो बचपन से ही उनमें भर दी गई थी।

> **हमने सामाजिक स्मृति को रामायण और महाभारत के आज भी कई पाकिस्तानियों के दिलो-दिमाग में गूंजने का सबसे संभावित कारण बताया है। ऐतिहासिक संदर्भ में, सामाजिक स्मृति को अतीत की साझा स्मृतियां और व्याख्याएं कहा जा सकता है जो किसी समूह या समाज द्वारा रखी जाती हैं, जो स्वयं के बारे में और दुनिया में उनके स्थान के बारे में उनकी समझ को आकार देती हैं।**

लेकिन सामाजिक स्मृति, जैसा कि मनोविज्ञान इसे समझाता है, या व्यक्तियों और समुदायों के मन में उनके इतिहास और बीते युगों के पूर्वजों के बारे में गहराई से समाई स्मृति, वैचारिक शिक्षा द्वारा मिटाना कठिन और लगभग असंभव है। इतिहास विभिन्न महाद्वीपों और संस्कृतियों में इसका साक्षी रहा है।

हम जो देख रहे हैं, वह इस मानवीय घटना का एक और उदाहरण मात्र है, जिसकी कोई स्पष्ट और सुविधाजनक व्याख्या मौजूद नहीं है। मिसाल के तौर पर, हाल ही में कराची थिएटर में मंचित रामायण की निर्माता राना काजमी के विचारों को ही लीजिए: मुझे नहीं पता कि किसी चीज पर प्रतिबंध लगाने से कभी कोई खास फायदा हुआ है या नहीं। मेरा मानना है कि किसी चीज को दबा देना या उसे होने से रोकना कभी भी समाधान नहीं होता। मुझे लगता है कि दुनिया का हिस्सा होने के नाते हमारे पास देने के लिए बहुत कुछ है और हम सब मिलकर बहुत मजबूत हैं। मुझे नहीं पता कि हम उस ताकत को क्यों नहीं देखते, उसे समझते और उसका फायदा क्यों नहीं उठाते। सोचिए, एक समूह के तौर पर हम क्या करते। मैं हम सब के साथ मिलकर काम करने की हिमायती हूँ। हम एक-दूसरे के देशों का कार्यक्रम देखते हैं। हम उससे जुड़ते हैं और उसका आनंद लेते हैं। किसी भी प्रतिबंध ने ऐसा होने से कभी नहीं रोका।

नाटक में रावण का किरदार निभाने वाले सम्हान गाजी और कैकेयी का किरदार निभाने वाली सना तोहा ने भी इसी तरह के विचार व्यक्त किए हैं। रामायण और महाभारत दोनों में वर्णित कई स्थान और उनमें घटित घटनाएँ आज पाकिस्तान के भूगोल में स्थित हैं। केकय (कैकेयी का मूल राज्य), तक्षशिला (तक्षशिला), सिंधु और पेशावर उनमें से कुछ हैं; दुर्योधन और कौरव भाइयों की माता गांधारी की जन्मभूमि गांधार, अफगानिस्तान में है, लेकिन पाकिस्तान के पेशावर जिले से सटा हुआ है।

हमने सामाजिक स्मृति को रामायण और महाभारत के आज भी कई पाकिस्तानियों के दिलो-दिमाग में गूंजने का सबसे संभावित कारण बताया है। ऐतिहासिक संदर्भ में, सामाजिक स्मृति को अतीत की साझा स्मृतियाँ और व्याख्याएँ कहा जा सकता है जो किसी समूह या समाज द्वारा रखी जाती हैं, जो स्वयं के बारे में और दुनिया में उनके स्थान के बारे में उनकी समझ को आकार देती हैं।

इसमें अतीत की घटनाओं, अनुभवों और सांस्कृतिक परंपराओं के बारे में सामूहिक ज्ञान, विश्वास और आख्यान शामिल होते हैं जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। इस परिप्रेक्ष्य से देखने पर, सामाजिक स्मृति की सबसे अधिक अभिव्यक्ति पाकिस्तानी समाज के कुछ हिस्सों में हिंदू महाकाव्यों के सक्रिय स्मरण में देखी जा सकती है।

# उत्तराखंड में जैव ईंधन का विकल्प

> आज भारत की अर्थव्यवस्था भी एक मोड़ पर खड़ी है। विकास और समानता, महत्वाकांक्षा और साझेदारी के बीच संतुलन बिगड़ता-बिगड़ता बार-बार दिखा। ऐसे समय में भारत ने एक अलग राह चुनी है।


कपिल जोशी
लेखक, पूर्व आईएफएस अधिकारी हैं।

जलवायु परिवर्तन शमन किसी भी अंतरराष्ट्रीय वार्ता के लिए विश्व के एजेंडे में शामिल है। शमन में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने के सभी प्रयास शामिल हैं, जिसका अप्रत्यक्ष उद्देश्य जीवाश्म ईंधन की खपत को कम करना है। उद्योग, परिवहन और घरेलू क्षेत्र द्वारा जीवाश्म ईंधन का अंधाधुंध उपयोग किया जा रहा है।

जैव ब्रिकेट के रूप में ऊर्जा का विकल्प प्रदान करके जीवाश्म ईंधन के उपयोग को कम किया जा सकता है। हालांकि जैव ब्रिकेटिंग कोई नया उद्यम नहीं है, लेकिन वन जैव अवशेषों को ऊर्जा के स्रोत के रूप में देखना, विशेष रूप से भारतीय संदर्भों में, अनूठा है। पश्चिमी हिमालय के अपशिष्ट चीड़ की सुइयों और वन जैव अवशेषों का उपयोग एक उपयोगी ऊर्जा विकल्प के रूप में किया जा सकता है। इस वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत का उपयोग किसी उपयुक्त उद्योग में किया जा सकता है जिससे जीवाश्म ईंधन का भार कम हो सके। चिर पाइन के पेड़ उत्तराखंड में पांच लाख हेक्टेयर क्षेत्र में पाए जाते हैं और हर साल जनवरी से मई के महीनों में इसके पत्ते झड़ जाते हैं। ये सूखी और गिरी हुई चीड़ की सुइयां अत्यधिक ज्वलनशील होती हैं और इनके प्रति किलोग्राम द्रव्यमान में 18-20 मेगा जूल ऊर्जा होती है, जो लकड़ी, बुरादा और ईंधन तेल से भी अधिक है।

वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून के एक अनुमान के अनुसार, उत्तराखंड के वनों में हर साल दस लाख टन से ज्यादा सूखी चीड़ की सुइयां गिरती हैं। ये सुइयां अत्यधिक ज्वलनशील होती हैं और गर्मियों के महीनों में बार-बार खतरनाक वनाग्नि का कारण बनती हैं। चीड़ की सुइयां जलाना वायुमंडलीय कार्बन के एक बड़े स्रोत के रूप में कार्य करता है। इससे मृदा अपरदन, भूमि क्षरण, शुष्कता, वृक्षारोपण की हानि और मानव जीवन और संपत्ति को नुकसान होता है। हिमालय के पहाड़ी क्षेत्रों में चीड़ की सुइयां प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं।

तापीय अपघटन पर ये हल्की वाष्पशील, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और अन्य



कार्बनिक वाष्प जैसी गैसें उत्पन्न करती हैं।

चूंकि चीड़ की सुइयां वनाग्नि से वनों के लिए गंभीर खतरा पैदा करती हैं, इसलिए ऊर्जा प्राप्ति के लिए इनका संग्रहण और निपटान एक बहुत ही आकर्षक प्रस्ताव है। सूखे और गिरे हुए चीड़ के जंगल के जैव अवशेष संसाधन सामग्री के निपटान का एक तरीका बायो ब्रिकेटिंग होगा। सूखे गिरे हुए चीड़ के पेड़ों से उत्पन्न होने वाली जंगल की आग के खतरों से सबसे नाजुक हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के लिए, आस-पास के ग्रामीणों को वन जैव अवशेषों से जुड़े एक व्यक्तिगत उद्यम से जोड़ना अनिवार्य हो गया। क ऐसी मशीन की संकल्पना की जानी चाहिए जिसके साथ प्रत्येक ग्रामीण जैव-ब्रिकेट के निर्माण के लिए एक संभावित उद्यमी के रूप में काम कर सके। क्षेत्र की दूरस्थता, पहाड़ी भूभाग, बिजली की निरंतर आपूर्ति की अनुपलब्धता, मशीन में लगे मोटरों के खराब होने की स्थिति में विशेषज्ञता का अभाव और सूखी और गिरी हुई चीड़ की सुइयों को ब्रिकेटिंग फैक्ट्री तक पहुँचाना एक अत्यधिक लागत वाली गतिविधि है, जो चीड़ की सुइयों को ब्रिकेट में बदलने की योजना बनाते समय ध्यान देने योग्य कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं। पिछले प्रयोगों और पिछले अनुभवों के आधार पर, यह पाया गया कि उत्तराखंड राज्य में चीड़ की सुइयों की ब्रिकेटिंग के लिए विद्युत चालित वृहद और वृहद उद्यमिता गतिविधियों से वांछित परिणाम नहीं मिल सके।

एक अनूठे दृष्टिकोण के रूप में, एक मैन्युअल रूप से संचालित जैव ब्रिकेटिंग मशीन की संकल्पना की गई, जिसे कच्चे माल के स्रोत, यानी पास के चीड़ के जंगल में स्थापित किया जा सकता है। चीड़ की सुइयों की ब्रिकेटिंग के लिए इस मैन्युअल रूप से संचालित मशीन में निम्नलिखित अनूठी विशेषताएं हैं।

इस मशीन को चीड़ की सुइयों की किसी पायरोलिसिस प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती है। पायरोलिसिस प्रक्रिया अत्यधिक तकनीकी है और ग्रामीणों को इसके लिए अच्छी तरह से प्रशिक्षित नहीं किया जाता है। यह हाथ से संचालित है, इसलिए बिजली की आवश्यकता नहीं है। यह वजन में हल्का है, ताकि इसे दूरदराज के इलाकों में आसानी से ले जाया जा सके। ब्रिकेटिंग के लिए मशीन को किसी बाइंडर की आवश्यकता नहीं होती है। पहाड़ी क्षेत्रों में बाइंडर के रूप में गोबर या गुड़ की हमेशा भारी कमी रहती है। मशीन का रखरखाव कम है और शुरूआती लागत भी कम है। ब्रिकेटिंग के लिए मशीन अन्य जैविक अवशेषों का भी उपयोग कर सकती है।

उपरोक्त विशिष्ट विशेषताओं के साथ, पाइन नीडल ब्रिकेट के लिए मैन्युअल रूप से संचालित बायो ब्रिकेटिंग मशीन का एक प्रयोगशाला मॉडल सफलतापूर्वक डिजाइन और निर्मित किया गया था, जो डिलीवरी के अंत में 1500 से 2000 psi से अधिक का दबाव उत्पन्न कर सकता है चीड़ की छाल से ब्रिकेटिंग के लिए ऐसी सैकड़ों मशीनें ग्रामीणों को दी जानी चाहिए और बाजार से जुड़ाव के साथ एक मूल्य-आधारित मूल्य-सूची बनाई जानी चाहिए।

इस पहल से न केवल चीड़ के पेड़ों वाले क्षेत्रों में जंगल की आग का खतरा कम होगा, बल्कि उत्तराखंड के पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में रहने वाले समुदायों के लिए स्थायी आजीविका के विकल्प भी पैदा होंगे। उपरोक्त मशीन अब पेटेंट संख्या 496458 दिनांक 9-1-2024 के साथ पंजीकृत है।

## आप की बात

### पहलगाम का प्रतिशोध

**विगत** दिनों पहलगाम आतंकी हमले का प्रतिशोध श्री नगर में छिपे 3 आतंकवादियों को मौत की नींद सुलाकर ले लिया! समाज के इन तीनों दुश्मनों को ढेर कर सेना के पैरा कमाँडोज को बड़ी सफलता मिली! घाटी में ऑपरेशन महादेव के अंतर्गत आतंकियों को ढेर में किया! हर्ष की बात यह है की पहलगाम हमले का मास्टर माईंड इन आतंकियों में शामिल है ! कुछ भी हो इन आतंकियों को मौत से रूबरू कराने के बाद अन्य आतंकियों को नापाक इरादों को त्यागना होगा! आतंक कहीं से कहीं तक भारत भूमि पर चलने नहीं दिया जाएगा! अगर पाक और आतंकियों को अब समझ नहीं आया तो भारत चुन चुन कर आतंकियों का और उनके आकाओ का खात्मा करने के लिए प्रतिबद्ध रहेगा! पहलगाम आतंक का बदला पूरा होता नजर आ रहा है! देश की सेना और कुशल नेतृत्व को साधुवाद ! इस घटना से पीड़ित उन परिजनों को निश्चित ही खुशी होगी की उनके जीवन में दुःख और मातम देने वाले आतंकियों का भी हिसाब पूर्ण हुआ! आतंकियों के पाक सबूत होने का अंदेशा है और पाक को सोचना होगा की अब अगर भारत की तरफ आंख उठाकर देखेगा तो ऑपरेशन सिंदूर जैसा फिर ऑपरेशन चलाना होगा ! क्या पाक आतंक को अलविदा कहेगा ?

- **योगेश जोशी**, बड़वाह, मप्र

### श्रद्धालुओं की संख्या सीमित हो

**हमारे** देश में भीड़भाड़ वाले स्थानों एवं मंदिरों में भगदड़ के दौरान होने वाले हादसों की घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। आस्था लेकर धर्मस्थलों पर जाने वाले श्रद्धालु ऐसी दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं। इन घटनाओं में जान माल की काफि क्षति होती है। हाल ही में हुये उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर का हादसा, हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर का दर्दनाक हादसा, क्रिकेट मैच के दौरान हुई दुर्घटना एवं बाराबंकी में कावड़ियों के साथ हुई घटना लापरवाही के प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। दुर्घटनाओं के बाद जांच के नाम पर सिर्फ कागजी खाना पूर्ति होती है एवं जिम्मेदार लोग सजा से साफ बच निकलते हैं। जिन मंदिरों में स्पेस कम है एवं मार्ग संकरे हैं वहां पर सीमित संख्या में श्रद्धालुओं को दर्शन की इजाजत दी जानी चाहिए। प्रशासन को सख्त निर्णय लेने होंगे। समूह में थोड़े-थोड़े लोगों को छोड़ा जाना चाहिए। दर्शनार्थियों को अनर्गल अफवाहों के कारण पैनिक करने से बचना चाहिए। भीड़ प्रबंधन की नीति सभी मंदिरों एवं सार्वजनिक स्थानों पर लागू की जाना चाहिए। सभी मंदिरों में प्रबंधन समिति का गठन होना भी आवश्यक है। उनकी एवं प्रशासन तथा पुलिस की जिम्मेदारी भी तय की जाना चाहिए। भगदड़ से होने वाले हादसों को रोकने के लिए लोगों में भी अनुशासन एवं संयम का पालन करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए।

- **ललित महालकरी**, इंदौर

### भारत को सशक्त बनाएं

**राष्ट्रीय** स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत का कहना है कि आज भारत की पहचान उसके पुरातन काल के नाम भारत से ही है न कि अंग्रेजो के दिये इण्डिया से, कारण हमें इण्डिया नाम अंग्रेजों ने दिया था, अतः आज हमें भारतीय होने के नाते अपने देश को भारत पुकारने पर अधिक ध्यान देना चाहिए। फिर हमें अपने देश भारत का अनुवाद इण्डिया के रूप में कतई नहीं करना चाहिए।आज की दुनिया केवल ताकत की ही भाषा समझती है अतः आज हमें अपने भारत को हर द्रष्टि में शक्ति शाली एवं ताकतवर बनाने पर ध्यान देना चाहिए। आज हमें अपने देश भारत को सोने की चिड़िया बनाने के बजाय एक ताकतवर शेर बनाने पर हि अधिक ध्यान देना चाहिए। मगर हम अपनी ताकत का इस्तेमाल दूसरों पर शासन करने के लिए नहीं बल्कि दूसरों की सहायता करने के लिए करना चाहिए। कारण भारतीय शिक्षा हमेशा त्याग एवं दूसरों के लिए जीवन जीना सिखाती है। अतः आज हम भी इस बात का समर्थन करते हैं कि हमारा उद्देश्य भारत में रहने के कारण एक भारतीय बनना ही होना चाहिए। हम एक इण्डियन कहलानें में ज्यादा गर्व महसूस न करे बल्कि अपने को एक भारतीय कहलाने अधिक गर्वित महसूस करें क्योंकि एक भारतीय की पहचान भारत में रहने के कारण ही होती है।

- **मनमोहन राजावत**, शाजापुर

### बिहार में मतदाता सूची विवाद

**बिहार** में मतदाता सूची की समीक्षा को लेकर पिछले कुछ समय से राजनीतिक और सामाजिक हलकों में गहमागहमी बनी हुई है। विशेष रूप से सरप्रक्रिया के अंतर्गत आधार और वोटर आईडी को मान्य दस्तावेजों में शामिल करने का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आम जनता के लिए बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है। इससे एक ओर मतदाता पहचान की प्रक्रिया सरल होगी, वहीं दूसरी ओर निष्पक्ष और व्यापक मतदाता सूची बनाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा। विपक्ष द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा था कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण के नाम पर विशेष वर्गों को योजनाबद्ध तरीके से बाहर किया जा रहा है। संसद के मॉनसून सत्र में भी इस मुद्दे को लेकर जमकर हंगामा हुआ। इन हालात में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर सभी की निगाहें थीं, और अब जब शीर्ष अदालत ने यह स्पष्ट किया है कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर रोक नहीं लगाई जाएगी और अंतिम सुनवाई की तारीख तय की जाएगी, तो इससे यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि न्यायपालिका किसी संवैधानिक प्रक्रिया को बीच में बाधित करने के पक्ष में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी दोहराया है कि जब एक व्यापक प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो उसे बीच में रोकना समस्या का समाधान नहीं होगा। इसके बजाय जरूरी है कि यदि प्रक्रिया में कोई खामी है तो उसे पहचाना जाए।

- **सुभाष बुड़ावनवाला**, रतलाम

चिंतन

# एसआईआर संबंधी सभी आशंकाएं दूर करे आयोग

बिहार में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी बार सुनवाई की है। अब शीर्ष अदालत ने साफ कहा है कि बिहार में यदि मतदाता सूची के एसआईआर में बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाए जाते हैं, तो न्यायालय हस्तक्षेप करेगा। न्यायालय के इस कथन को चुनाव आयोग को गंभीर चेतावनी के रूप में लेना चाहिए। अभी गत 23 जुलाई को बिहार राज्य चुनाव आयोग ने एसआईआर की जारी प्रक्रिया के दौरान एक दिलचस्प आंकड़ा दिया कि बिहार में मतदाता सूची में दर्ज नामों में से 20 लाख की मौत हो चुकी है, 7 लाख मतदाता फर्जी हैं, लगभग 28 लाख अपने पहले पंजीकृत किए गए स्थानीय पते से स्थायी रूप से पलायन कर गए हैं, 1 लाख मतदाता लापता हैं व करीब 15 लाख मतदाता फॉर्म वापस नहीं आए हैं। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि निर्वाचन आयोग ने कहा है कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान 65 लाख लोगों ने गणना प्रपत्र जमा नहीं किए हैं, क्योंकि वे या तो मृत हैं या स्थायी रूप से कहीं और स्थानांतरित हो गए हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को आईना भी दिखाया है कि आप ऐसे 15 लोगों को लेकर आइए, जिन्हें मृत बताया गया है, लेकिन वे जीवित हैं। इस आलोक में सर्वोच्च न्यायालय की चेतावनी स्पष्ट है। हालांकि दूसरा अहम पहलू यह भी है कि बिहार में बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी व नेपाली प्रवासी मतदाता लिस्टेड हैं। एसआईआर का उद्देश्य मतदाता सूची को दुरुस्त करना, साफ-सुथरा व पारदर्शी बनाना है और अयोग्य, डुप्लिकेट/फर्जी या गैर-मौजूद प्रविष्टियों को हटाया जाना है। पहली सुनवाई 10 जुलाई को हुई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया जारी रखने की अनुमति देते हुए उससे आधार, मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड को वैध दस्तावेज के रूप में स्वीकार करने पर विचार करने को कहा था। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 21 भारत निर्वाचन आयोग को मतदाता सूची तैयार करने और संशोधित करने का अधिकार देती है, जिसमें दर्ज कारणों के साथ किसी भी समय विशेष संशोधन करना भी शामिल है। संविधान के अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग को मतदाता सूची तैयार करने और चुनाव कराने का पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण करने की शक्ति प्रदान करता है। मोहिंदर सिंह गिल बनाम मुख्य चुनाव आयुक्त मामले, 1977 में सर्वोच्च न्यायालय ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए अनुच्छेद 324 के तहत केंद्रीय चुनाव आयोग की व्यापक शक्तियों को बरकरार रखा, जिसमें आवश्यकता पड़ने पर पुनर्मतदान का आदेश देना भी शामिल है, और इस बात पर जोर दिया कि अनुच्छेद 329(बी) के अनुसार चुनावों के दौरान न्यायिक समीक्षा प्रतिबंधित है। देश के विभिन्न भागों में वर्ष 1952–56, 1957, 1961, 1965, 1966, 1983–84, 1987–89, 1992, 1993, 1995, 2002, 2003 और 2004 में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) आयोजित किए गए थे। अनुच्छेद 327 संसद को विधानमंडलों के चुनावों के संबंध में प्रावधान करने का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 328 राज्य की विधानमंडल को उसके अपने चुनावों के संबंध में प्रावधान करने का अधिकार देता है। एसआईआर एक व्यक्ति एक वोट के अधिकार को सशक्त करता है। दरअसल, एसआईआर के दौरान जन्म प्रमाण पत्र या वंशानुगत दस्तावेजों की मांग को परोक्ष रूप से नागरिकता परीक्षण के रूप में देखा जा रहा है।

भाषा विवाद
विवेक शुक्ला

# सब भाषाओं को पढ़कर जुड़ेगा भारत

**सच पूछो तो भाषा के मसले पर होने वाले विवादों का एक मात्र हल है कि हम अपनी मातृभाषा के अलावा भी किसी प्रांत की जुबान पढ़ें और सीखें। अगर सारे देश के स्कूलों के बच्चे अपनी मातृभाषा के अलावा किसी अन्य राज्य की भाषा भी पढ़ें और सीखें तो कितना अच्छा हो। मुंबई के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को तमिल, बांग्ला, असमिया आदि जुबानें सीखने का अवसर मिले और तमिलनाडु के बच्चों को पंजाबी, हिन्दी, मलयाली आदि भाषाएं सीखने का विकल्प हो। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में, जहां भाषा और संस्कृति लोगों को जोड़ने के साथ-साथ अलग भी करती है, बहुभाषी शिक्षा एकता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकती है।**

भारत में अपने देश की भाषाओं को लेकर होने वाले विवाद से संबंधित हम सब खबरें पढ़ते रहते हैं। इस मसले पर सियासत भी खूब होती है। तो इस समस्या का हल क्या है? सच पूछो तो भाषा के मसले पर होने वाले विवादों का एक मात्र हल है कि हम अपनी मातृभाषा के अलावा भी किसी प्रांत की जुबान पढ़ें और सीखें। अब एक उदाहरण लीजिए। सुष्मिता बोस और अमना जकी राजधानी के अपने स्कूल की लाइब्रेरी के बाहर धाराप्रवाह पंजाबी में बातचीत कर रही थीं। इनके बीच में हो रहे संवाद को सुनकर कोई नहीं कह सकता था कि इन दोनों की मातृभाषा पंजाबी नहीं है। बांग्ला भाषी सुष्मिता और अमना के घर में उर्दू या कहें हिन्दुस्तानी बोली जाती हैं। इन दोनों ने पंजाबी लिखना और बोलना अपने राजधानी के दशमेश पब्लिक स्कूल, विवेक विहार में सीखा। इधर पंजाबी भाषा सभी बच्चों को आठवीं कक्षा तक अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाई जाती है।

अगर सारे देश के स्कूलों के बच्चे अपनी मातृभाषा के अलावा किसी अन्य राज्य की भाषा भी पढ़ें और सीखें तो कितना अच्छा हो। मुंबई के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को तमिल, बांग्ला, असमिया आदि जुबानें सीखने का अवसर मिले और तमिलनाडु के बच्चों को पंजाबी, हिन्दी, मलयाली आदि भाषाएं सीखने का विकल्प हो। दशमेश पब्लिक स्कूल की मैनेजिंग कमेटी के चेयरमैन सरदार बलबीर सिंह कहते हैं कि भारत में 22 आधिकारिक भाषाएं और सैकड़ों बोलियां बोली जाती हैं, जो इसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती हैं। लेकिन यह विविधता कभी-कभी क्षेत्रीय और भाषाई दीवारें भी खड़ी कर देती है, जो लोगों के बीच आपसी समझ और एकता को कमजोर कर सकती है। इस संदर्भ में, भारत के स्कूलों में विभिन्न प्रांतों की भाषाओं को पढ़ाने की अवधारणा न केवल एक शैक्षिक सुधार है, बल्कि यह सामाजिक और सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देने का एक प्रभावी माध्यम भी हो सकता है। भारत में भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं है, बल्कि यह संस्कृति, इतिहास, और पहचान का प्रतीक भी है। प्रत्येक भाषा अपने साथ साहित्य, परंपराएं, और जीवनशैली की एक अनूठी झलक लेकर आती है। उदाहरण के लिए, बांग्ला भाषा रवींद्रनाथ टैगोर और बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय जैसे साहित्यकारों की विरासत को समेटे हुए है, तो पंजाबी भाषा गुरबानी और लोक संगीत की जीवंतता को दर्शाती है। इसी तरह, असमिया और मलयालम जैसी भाषाएं अपनी साहित्यिक और सांस्कृतिक गहराई के लिए जानी जाती हैं। आजकल महाराष्ट्र में हिन्दी का विरोध हो रहा है। ये दुखद है। वे इस बाबत महाराष्ट्र के संत नामदेव का उदाहरण देते हैं। वे मूल रूप से महाराष्ट्र से थे। उन्होंने अपने जीवन के करीब दो दशक पंजाब में व्यतीत किए। उनके अनेक दोहे श्री गुरु ग्रंथ साहिब में हैं। संत नामदेव के नाम पर एक मंदिर भीष्म पितामह मार्ग है। इसे संत नामदेव ट्रस्ट चलाता है। नामदेव ने मराठी के साथ ही साथ हिन्दी में भी रचनाएं लिखीं। आज भी इनके रचित गीत पूरे महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब समेत सारे देश में भक्ति और प्रेम के साथ गाए जाते हैं। संत नामदेव का जन्म सन् 1270 में महाराष्ट्र के जिला सतारा में हुआ। उनके जीवन के साथ अनेक अलौकिक घटनाएं जुड़ी हुई हैं परंतु उन्होंने कभी



भी करामाती होने का दावा नहीं किया। प्रख्यात शिक्षाविद सरिता सक्सेना कहती हैं कि यदि स्कूलों में बच्चों को विभिन्न प्रांतों की भाषाएं पढ़ाई जाएं, तो यह न केवल उनकी भाषाई क्षमता को बढ़ाएगा, बल्कि उन्हें अन्य क्षेत्रों की संस्कृति, परंपराओं, और जीवनशैली को समझने का अवसर भी देगा। उदाहरण के तौर पर, एक बांग्ला भाषी बच्चा जो पंजाबी सीखता है, वह न केवल भाषा सीखेगा, बल्कि पंजाब के इतिहास, सिख संस्कृति, और वहां के लोकनृत्यों जैसे भांगड़ा को भी समझेगा। इसी तरह, एक हिंदी भाषी बच्चा जो असमिया सीखता है, वह असम के चाय बागानों, बिहू नृत्य, और वहां की प्राकृतिक सुंदरता से परिचित होगा। यह प्रक्रिया बच्चों में एक-दूसरे के प्रति सहानुभूति और सम्मान विकसित करेगी, जो राष्ट्रीय एकता की नींव बन सकती है। सरिता सक्सेना का कहना है कि जो बच्चे एक से अधिक भाषाएं सीखते हैं, उनकी संज्ञानात्मक लचीलापन, समस्या-समाधान क्षमता और रचनात्मक सोच में वृद्धि होती है। भारत जैसे बहुभाषी देश में, जहां हर कुछ सौ किलोमीटर पर भाषा और बोली बदल जाती है, बच्चों को विभिन्न भाषाएं सिखाने से उनकी बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी। उदाहरण के लिए, मलयाली बच्चों को हिंदी पढ़ाने से न केवल उन्हें एक नई भाषा सीखने का अवसर मिलेगा, बल्कि यह उन्हें उत्तर भारत की संस्कृति और साहित्य से जोड़ेगा। हिंदी, जो भारत की राजभाषा है, देश के कई हिस्सों में संवाद का प्रमुख माध्यम है। मलयाली बच्चे जब हिंदी सीखेंगे, तो वे हिंदी साहित्य के महान कवियों जैसे सूरदास, तुलसीदास और प्रेमचंद की रचनाओं से परिचित होंगे। यह उनके लिए एक नई सांस्कृतिक खिड़की खोलेगा। भारत में क्षेत्रीयता और भाषाई पहचान कई बार सामाजिक तनाव का कारण बनती है। सरदार बलबीर सिंह कहते हैं कि विभिन्न भाषाई समूहों के बीच गलतफहमियां और पूर्वाग्रह अक्सर इसलिए उत्पन्न होते हैं, क्योंकि लोग एक-दूसरे की संस्कृति और भाषा से अपरिचित होते हैं। यदि स्कूलों में बच्चों को कम उम्र से ही विभिन्न प्रांतों की भाषाएं सिखाई जाएं, तो यह एक-दूसरे के प्रति समझ और सहानुभूति को बढ़ावा देगा। उदाहरण के तौर पर, जब एक बांग्ला भाषी बच्चा पंजाबी सीखता है, तो वह न केवल भाषा सीखता है, बल्कि पंजाब की संस्कृति, त्योहारों और जीवनशैली को भी समझता है। बहुभाषी शिक्षा के व्यावहारिक लाभ भी कम नहीं हैं। भारत एक तेजी से वैश्विक होने वाला देश है, जहां नौकरी और व्यापार के अवसर अब क्षेत्रीय सीमाओं से परे हैं। विभिन्न भाषाओं का ज्ञान बच्चों को भविष्य में बेहतर अवसर प्रदान कर सकता है। इसके अलावा, पर्यटन और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के क्षेत्र में भी बहुभाषी शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। जब लोग एक-दूसरे की भाषा और संस्कृति को समझते हैं, तो वे अधिक आसानी से एक-दूसरे के साथ घुल-मिल सकते हैं। हालांकि विभिन्न प्रांतों की भाषाओं को स्कूलों में पढ़ाने का विचार आकर्षक है।

इसके कार्यान्वयन में कई चुनौतियां भी हैं। सबसे पहले, भारत में शिक्षा का ढांचा पहले से ही जटिल है और कई स्कूलों में संसाधनों की कमी है। विभिन्न भाषाओं को पढ़ाने के लिए योग्य शिक्षकों की आवश्यकता होगी, जो एक बड़ी चुनौती हो सकती है। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए कुछ व्यावहारिक कदम उठाए जा सकते हैं। सबसे पहले, स्कूलों में भाषा शिक्षा को वैकल्पिक विषय के रूप में शुरू किया जा सकता है, ताकि छात्र अपनी रुचि के अनुसार भाषा चुन सकें। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में, जहां भाषा और संस्कृति लोगों को जोड़ने के साथ-साथ अलग भी करती है, बहुभाषी शिक्षा एकता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकती है।

(लेखक भाजपा के राष्ट्रीय सह संयोजक बहुभाषी हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)
लेख पर अपनी प्रतिक्रिया edit@haribhoomi.com पर दे सकते हैं।

## सिया राम मय सब जग जानी



संकलित
दर्शन

हमारे वेद कहते हैं- सर्वे भवंतु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया...अर्थात सब सुखी हों, सब निरोगी हों। वहां कोई, वर्ण, जाति, समूह और पक्ष-विपक्ष की बात ही नहीं है। हमारे ऋषि मुनियों ने युगों पहले यह सूत्र दे दिया था-वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी वसुधा ही हमारा परिवार है। संपूर्ण विश्व के लोगों के सुख और स्वास्थ्य की कामना भारतीय दर्शन का मूल है। न सिर्फ मनुष्य, बल्कि जीव मात्र के हित की इच्छा रखना ही सनातनी परिचय है। मैं राम कथा गाता हूं। राम राज के मूल में भी सर्वे भवंतु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया की ही भावना है। भगवान श्रीराम ने सेतु बनाया। आज पूरे विश्व में समाज के विभिन्न वर्गों के बीच सेतु बनाए जाने की आवश्यकता है। जिसमें भी राम तत्व होगा, वह केवल जोड़ने की बात करेगा, तोड़ने की नहीं। सत्य, प्रेम और करुणा प्रमुख राम तत्व हैं। जिसमें ये तत्व होंगे, वह वंचितों तक पहुंचेगा। राम समाज के वंचित लोगों के पास स्वयं चलकर गए। केवट, शबरी, अहिल्या के प्रसंग इसके प्रमाण हैं। आज समाज की एक बड़ी जरूरत है कि सक्षम लोग वंचित लोगों तक, अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों तक स्वयं चल कर पहुंचें। मानस में नौ प्रकार की भक्ति का वर्णन हुआ है। शबरी के सामने गाई गई नौ प्रकार की भक्ति में गोस्वामी जी ने सातवीं भक्ति पूरे संसार को ब्रह्ममय मानना-देखना बताई है-'सातवं सम मोहि मय जग देखा।' जब हम पूरे संसार को ब्रह्ममय देखेंगे, महसूस करेंगे तो किसी के भी दोष दिखाई नहीं देंगे।

## जिसका भी मनोबल जागा



संकलित
प्रेरणा

राजा सुकीर्ति के पास एक लौहश्रृन्ध नामक हाथी था। राजा ने कई युद्ध में उसपर चढ़ाई करके विजय पायी थी। बचपन से ही उसे इस प्रकार से तैयार किया गया था कि युद्ध में शत्रु सैनिको को देखकर वो उनपर इस तरह टूट पड़ता। समय गुजरता गया, अब वह पहले की तरह कार्य नहीं कर पाता था। इसलिए अब राजा उसे युद्ध क्षेत्र में भी नहीं भेजते थे। वह सिर्फ हाथी शाला की शोभा बन कर रह गया। एक दिन वह सरोवर में जल पीने के लिए गया, लेकिन वहीं कीचड़ में उसका पैर धंस गया और फिर धंसता ही चला गया। हाथी के फंसने का समाचार राजा तक भी पहुँचा। राजा समेत सभी लोग हाथी के आसपास ईकट्ठे हो गए और विभिन्न प्रकार के प्रयत्न उसे निकालने के लिए करने लगे। लेकिन बहुत देर तक प्रयास करने के उपरांत कोई मार्ग नहीं निकला। तभी गौतम बुद्ध मार्गभ्रमण कर रहे थे। राजा और सारा मंत्रीमंडल तथागत गौतम बुद्ध के पास गये और अनुरोध किया। गौतम बुद्ध ने सबसे पहले घटनास्थल का निरीक्षण किया। और फिर राजा को सुझाव दिया कि युद्ध का माहौल बनाया गया, वाद्ययंत्र मंगवाए गए। नगाड़े बजवाये गए और ऐसा माहौल बनाया गया कि शत्रु सैनिक लौहश्रृन्ध की ओर बढ़ रहे है। और फिर तो लौहश्रृन्ध में एक जोश आ गया। गले तक कीचड़ में धस जाने के बावजूद वह जोर से चिंघाड़ लगाकर सैनिको की ओर दौड़ने लगा। बड़ी मुश्किल से उसे संभाला गया। गौतम बुद्ध ने सबको स्पष्ट किया कि हाथी की शारीरिक क्षमता में कमी नहीं थी, आवश्यकता मात्र उसके अंदर उत्साह के संचार करने की थी।

असुरक्षा
योगेश कुमार सोनी



# दिल्ली से लोग गायब हो रहे और शासन-प्रशासन मौन

देश की राजधानी दिल्ली से एक चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है जिससे हर कोई हैरान व विचलित सा हो गया है। मामला सीधे मानव जीवन से जुड़ा और यह दिल्ली वालों पर प्रहार भी माना जा रहा है। जोनल इंटीग्रेटेड पुलिस नेटवर्क (जिपनेट) के आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से लगभग 8000 लोग लापता हो गए हैं जिनका अभी तक कोई सुराग नहीं लगा। लापता लोगों में महिलाएं और पुरुष दोनों शामिल हैं। हैरानी की बात ये है कि ये संख्या 1 जनवरी से 23 जुलाई तक की है। यानी 7 महीने में करीब आठ हजार लोगों का अब तक पता नहीं चल सका। देश की सबसे सुरक्षित कहे व समझे जाने वाली दिल्ली की यह स्थिति है तो बाकी राज्यों के विषय में सुरक्षा को लेकर सोचना बेमानी सा लग रहा है। चूंकि कैमरों व सुरक्षा से लैस दिल्ली में अपहरणकर्ताओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि यह बेहद आश्चर्य की बात है। पीड़ा तब हुई जब इतनी बड़ी घटना को लेकर शासन-प्रशासन की ओर से किसी भी नेता व अधिकारी का बयान नहीं आया और यदि मीडिया ने बात करने की कोशिश भी तो किसी ने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। बीते दिनों पूर्वी दिल्ली के सीमापुरी इलाके के अंतर्गत कुछ पत्रकारों ने भिखारियों के एक अड्डे पर रिपोर्टिंग करनी चाही लेकिन भिखारियों ने उन पर हमला कर दिया। पत्रकारों का उद्देश्य यह था कि जिन बच्चों व लोगों से भीख मंगवाई जाती है आखिर वह कौन हैं और उनकी पहचान क्या है? लेकिन वह अपने मिशन में कामयाब न हो सके। पत्रकारों ने इस मामले की पुलिस में शिकायत की लेकिन पत्रकारों के अनुसार वहां पुलिस भी जाने से डरती है और वह न जाने उन पर कार्यवाही करने में असक्षम क्यों है। दरअसल कुछ पत्रकारों को इस बात का शक है कि जो लोग गायब हो जाते हैं उनसे भीख मंगवाई जाती है व अन्य किसी घिनौने काम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह मानव तस्करी का सबसे बड़ा उदाहरण भी है। बहरहाल,यह आंकड़े आने के बाद दिल्ली की जनता में एक भय का माहौल है और इसके बाद लोगों ने यही तय किया है कि अपना व अपने बच्चों की सुरक्षा का स्वयं ही ध्यान दिया जाए तो बेहतर है। चूकि यहां पुलिस बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पा रही। कारण क्या है, यह तो समझ से परे है लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए चूंकि जिन तंत्रों का प्रयोग करके पुलिस काम कर सकती है उतना स्वयं पीड़ित नहीं कर सकता। कूड़ा चुगने वाले, कबाड़ी वाले या सर्वे के नाम पर आपको सुविधा देने या बिना वजह पानी व बिजली या अन्य किसी की जांच करने वाले लोगों से सावधान रहने की जरूरत है चूंकि सबसे ज्यादा ऐसी घटनाओं को इसी तरह के लोग अंजाम देते हैं। इस तरह के लोग पहले रेकी करते हैं फिर उसके बाद शिकार करते हैं। सीसीटीवी में सबकुछ देखने के बाद भी कुछ न होना बहुत सारे सवाल खड़े कर जाता है। क्या यह गैंग इतना पावरफुल है कि इस पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं हो पा रही या कोई अन्य बड़ा कारण? यह तो अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है लेकिन इन आंकड़ों के आने के बाद सुरक्षा को लेकर कलई खुल गई। महानगरों में जितनी सुविधाएं हैं लेकिन रहने में उससे ज्यादा रिस्क भी बढ़ता जा रहा है। सिर्फ आंकड़ों की बात करें तो यह प्रत्येक दिन औसतन 35 से अधिक लोगों के लापता होने की गंभीर तस्वीर को उजागर करता है। यह न केवल कानून-व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठाता है, बल्कि समाज में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी एक बड़ी बहस को जन्म देता है। यदि उत्तर पूर्वी जिले की बात करें तो कुल 730 मामले दर्ज किए गए, जो दूसरे स्थान पर है। इसके बाद दक्षिण पश्चिम जिले में 717 व दक्षिण पूर्व जिले में 689 और बाहरी जिले में 675 मामले दर्ज किए गए। जिपनेट के मुताबिक द्वारका में 644, उत्तर पश्चिम जिले में 636, पूर्वी जिले में 577 और रोहिणी जिले में गुमशुदगी के 452 ऐसे मामले दर्ज किए गए। मध्य जिले में 363 लोगों का सुराग नहीं मिल पाया है, जबकि उत्तर, दक्षिण और शाहदरा जिलों में क्रमशः 348, 215 और 201 लोग अब भी लापता हैं। इन आंकड़ों से यह तो तय हो जाता है कि पूरी दिल्ली में मानव जीवन पर प्रहार हो रहा है। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों पर कई तरह के सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। यदि सवाल सुरक्षा का है तो यहां शासन-प्रशासन को बेहद गंभीर होने की जरूरत है, चूंकि बुनियादी जरूरत भी न मिल सके तो बाकी की उम्मीद कैसे की जाए। किसी भी सरकार व प्रशासन का पहला नियम नागरिकों को सुरक्षा देना है और यदि ऐसा नहीं हो पा रहा है तो यह निराशाजनक स्थिति पैदा करता है, इसलिए ऐसे मामलों में सभी को अपने स्तर पर सक्रियता दिखानी होगी।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

## अंतर्मन




## आज की पाती

### चाइनीज मांझा : खुलेआम बिकती मौत की धार

हर शहर, हर गली, हर मोहल्ले में, जब बच्चे और किशोर पतंग उड़ाने निकलते है तो उनका उद्देश्य केवल आसमान छूना होता है। लेकिन दुर्भाग्य से अब पतंग की यह उड़ान कई बार किसी की जान लेकर ही थमती है। इसका कारण कोई आम धागा नहीं, बल्कि एक जानलेवा उत्पाद है- चाइनीज मांझा। यह मांझा अब केवल पतंगों की डोर नहीं रहा, यह सड़क पर चल रहे आम आदमी की जिंदगी का दुश्मन बन चुका है। हर दिन अखबारों मे ऐसी खबरें आती है कि फलां व्यक्ति की गर्दन मांझे से कट गई, किसी पक्षी के पर मांझे मे उलझकर छिल गए, किसी स्कूली बच्चे का गला बुरी तरह घायल हो गया, कोई बाइक सवार अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। आज राह मे मौत एक पारदर्शी धागे मे लटकी हुई है। - विक्रम पटेल, धमतरी

## ट्रेंड

### कोटि-कोटि नमन

महान स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और विचारक ईश्वर चंद विद्यासागर को उनकी पुण्यतिथि पर कोटि-कोटि नमन। वे महिलाओं, वंचितों और गरीबों के उत्थान के लिए जीवन पर्यंत समर्पित रहे। स्वाधीनता के प्रति उनकी अडिग निष्ठा प्रेरणीय है।
-अमित शाह, केंद्रीय गृहमंत्री

### रणनीतिक कौशल

यह सवाल करना कि हमारे लड़ाकू विमानों ने नजदीक से हमला क्यों नहीं किया, लंबी दूरी के सटीक हमलों के रणनीतिक कौशल को नजरअंदाज करना है, जिसने हमारे सैनिकों की रक्षा की और यह सुनिश्चित किया कि मिशन सफल रहे।
-एन. बीरेन सिंह, पूर्व सीएम, मणिपुर

### मोदी जी में अंहकार

22 अप्रैल 2025 को पहलगाम आतंकी हमला हुआ। नेता विपक्ष राहुल गांधी और मैंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर विशेष सत्र की मांग की, लेकिन हमें इस पत्र का कोई जवाब नहीं आया। मोदी जी के अंदर इतना अहंकार है कि वह विपक्ष के पत्र का जवाब देना भी जरूरी नहीं समझते।
- मल्लिकार्जुन खड़गे, अध्यक्ष, कांग्रेस

### राजद की कार्रवाई

क्या राजद अपने विधायक भाई वीरेंद्र पर भी कार्रवाई करेगी, जिन्होंने बाबा साहेब आंबेडकर के आदर्शों के उलट एससी-एसटी समाज के खिलाफ शर्मनाक टिप्पणी की, जान से मारने की धमकी दी।
-तेज प्रताप यादव, पूर्व मंत्री, बिहार

## अपने विचार

**हरिभूमि कार्यालय**

टिकरापारा, रायपुर मे पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से **hbcgpati@gmail.com** पर भेज सकते हैं।

## करंट अफेयर

# रूस, यूक्रेन से 10-12 दिन में युद्ध समाप्त करे: अमेरिका



अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन के खिलाफ युद्ध रोकने के लिए अब सिर्फ 10 से 12 दिन का वक्त दे रहे हैं। इससे पहले उन्होंने पुतिन को 50 दिन की समयसीमा दी थी। ट्रंप ने 14 जुलाई को कहा था कि अगर सितंबर की शुरुआत तक शांति समझौता नहीं होता तो वह रूस पर अत्यधिक शुल्क लगाएंगे लेकिन सोमवार को ट्रंप ने कहा कि अब वह पुतिन को सिर्फ 10 से 12 दिन का वक्त दे रहे हैं यानी वह चाहते हैं कि सात से नौ अगस्त तक शांति के प्रयासों में ठोस प्रगति हो। ट्रंप के इस कदम के तहत रूस के व्यापारिक साझेदारों पर भी प्रतिबंध और अतिरिक्त शुल्क लगाए जाने के आसार हैं। ट्रंप ने कहा कि इसकी औपचारिक घोषणा बाद में की जाएगी। समय सीमा घटाने को लेकर ट्रंप ने कहा, 'इंतजार की कोई ठोस वजह नहीं है। हमें कोई प्रगति होती नहीं दिख रही।' स्कॉटलैंड की यात्रा के दौरान ट्रंप ने कहा कि पुतिन को 'समझौता करना होगा। काफी संख्या में लोग मर रहे हैं।' रूस की ओर से इस मामले में तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। ट्रंप से एक सम्मेलन में जब रूस के राष्ट्रपति से संभावित मुलाकात के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, 'अब मुझे बातचीत में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है।'

## ऑफ बीट

# स्वस्थ आहार लेने वाले बुजुर्गों को बीमारियां भी धीमी गति से



कल्पना कीजिए कि 70 वर्षीय दो व्यक्ति हैं, दोनों सक्रिय हैं, स्वतंत्र रूप से जीवन व्यतीत करते हैं और जीवन का आनंद लेते हैं। लेकिन अगले 15 वर्षों में, एक व्यक्ति को हृदय रोग, मधुमेह और अवसाद जैसी दो-तीन बीमारियां हो जाती हैं, जबकि दूसरा व्यक्ति अपेक्षाकृत स्वस्थ रहता है। ऐसा क्यों होता है? एक अध्ययन में शोधकर्ताओं ने पाया कि जो लोग निरंतर रूप से स्वस्थ आहार लेते हैं, उनमें दीर्घकालिक बीमारियां धीमी गति से विकसित होती हैं, जबकि प्रसंस्कृत मांस, परिष्कृत अनाज और शर्करा-युक्त पेय जैसे असंयमित आहार लेने वाले लोगों में बीमारियां अधिक तेजी से पनपती हैं। इससे विकलांगता, अस्पताल में भर्ती होने और समय से पहले मृत्यु का खतरा बढ़ता है। अध्ययन मे हृदय रोग और अवसाद, डिमेंशिया जैसी मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं पर आहार का सबसे मजबूत प्रभाव दिखा। शोधकर्ताओं का कहना है कि स्वस्थ आहार जलन तथा पेट संबंधी कुछ समस्याओं को नियंत्रित कर सकता है। सब्जियाँ, फल, साबुत अनाज और स्वास्थ्य के लिए उपयोगी वसा इस जलन को कम करते हैं, जबकि अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ इसे बढ़ाते हैं।

विचार

# नवभारत टाइम्स

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । बुधवार, 30 जुलाई 2025

## सीधी बात

**संसद में** ऑपरेशन सिंदूर पर हुई लंबी बातचीत न केवल स्वस्थ, सार्थक और जीवंत रही बल्कि इसने सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों को उनके बेहतर रंग में देश के सामने रखा। खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह स्पष्ट घोषणा सामने आई कि 'दुनिया के किसी भी नेता ने भारत से ऑपरेशन सिंदूर रोकने के लिए नहीं कहा' जिससे यह अस्पष्टता दूर हो गई, जो इस मुद्दे को लेकर बनी हुई थी। यही नहीं, प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की नई नीति और ऑपरेशन सिंदूर के निहितार्थों को बहुत बारीकी से स्पष्ट किया।

ऑपरेशन सिंदूर पर बहस

**दुनिया को संदेश ।** पीएम मोदी का जवाब केवल विपक्ष के लिए नहीं था। जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप लगातार भारत-पाक के बीच मध्यस्थता करने और व्यापार रोकने की धमकी देकर सीजफायर करवाने का दावा करते रहे हैं, उसके मद्देनजर यह सवाल पूरे देश को परेशान कर रहा था कि ट्रंप के दावों में कितनी सच्चाई है। हालांकि विदेश मंत्री एस. जयशंकर पहले भी ट्रंप के दावों को नकार चुके हैं, लेकिन सरकार के मुखिया की तरफ से आया जवाब पूरी दुनिया के लिए संदेश है कि भारत ऐसे फैसले किसी के दबाव में नहीं लेता।

**संयम के साथ शक्ति ।** पाकिस्तान के साथ टकराव के किसी भी मोड़ पर भारत का इरादा संघर्ष बढ़ाने का नहीं था। सरकार की ओर से खुली छूट होने के बावजूद भारतीय सेना की कार्रवाई सटीक, संतुलित और गैर-उकसावे वाली रही। साफ है कि भारत इस लक्ष्य के साथ उतरा था कि सीमा पार मौजूद आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करके आतंक के आकाओं को सबक सिखाना है, इसलिए उसकी सेना वहीं तक सीमित रही। यह संयमित रुख दिखाता है कि भारत युद्ध नहीं चाहता लेकिन अगर पाकिस्तान ने कोई दुस्साहस किया, तो उसे करारा जवाब देने में संकोच नहीं करेगा।

**सराहना होनी चाहिए ।** पीएम मोदी ने डिफेंस सेक्टर में सुधार से लेकर दुनिया में भारतीय हथियारों की बढ़ती मांग तक पर सिलसिलेवार ढंग से बात रखी। उन्होंने हर उस पहलू को छुआ, जिसे लेकर हाल में बहस बढ़ी है। आमतौर पर राजनीति में मुद्दे नारों के शोर में खो जाते हैं, लेकिन पीएम के भाषण के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष ने जिस तरह का जिम्मेदारी पूर्ण व्यवहार दिखाया उसकी भी सराहना की जानी चाहिए।

**बात आगे बढ़े ।** बहरहाल, संसद के मॉनसून सत्र का काफी वक्त हंगामे की भेंट चढ़ चुका है। विपक्ष की मांग थी कि ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में चर्चा हो। सो, इस पर लंबी चर्चा हुई, विपक्ष ने आक्रामक तेवर दिखाते हुए अपने सारे संदेह और सवाल सदन में रखे, सरकार ने अपने ढंग से उनके जवाब भी दे दिए। ऐसे में अब यह उम्मीद की जानी चाहिए कि सत्र के कम से कम बचे हुए हिस्से में संसद में हंगामा, शोरगुल और बॉयकॉट नहीं बल्कि स्वस्थ, सार्थक चर्चा और सवाल-जवाब देखने को मिलेंगे।

### नज़रिया

## आमों की ख़ुशबू

मोहम्मद असगर

**इस सीजन** जब यूपी के अमरोहा का लंगड़ा आम खाया तो ये अंदर से अजीब तरह के निकले। ऊपर से साफ, लेकिन जैसे अंदर ही अंदर खराब हों - खाने में तेजाबियत-सी। सोचा शायद ये आम खराब ही होंगे। लेकिन जब चौसा खाया, तो उसका भी वही हाल। तब मुझे लगा कि ये अमरोहा के आम, आम नहीं रहे। जिनसे इश्क था, जिन पर हम जान छिड़कते थे, जो आम होकर नामी थे, जिनमें मिठास भरपूर होती थी, जिन्हें खाने के बाद मुंह में खुशबू घुल जाती - वही आम अब नागवार क्यों लगने लगे? क्या हुआ उनके वजूद को? दिल नहीं करता इन्हें आम मानने का - न इनमें कोई स्वाद है और न खुशबू। और हो भी कैसे, जब पेड़ों को दवाएं देकर उनसे आम लिए जा रहे हैं। जिन पेड़ों पर पत्ता तक नहीं, वे भी दवाओं के जोर से आम पैदा कर रहे हैं। और इसके पीछे जिम्मेदार हैं खुद बाग मालिक। बौर तक आती नहीं और कारोबारी से सौदा तय हो जाता है। 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख... ऐसे बढ़ती गई दो साल की आम की फसल। अब जो कारोबारी सिर्फ पत्तों को देखकर इतनी बड़ी रकम बाग मालिक को दे रहा है, वह चाहता है कि बाग के हर पेड़ की हर टहनी आम से लद जाए। लिहाजा उसने अंधाधुंध कल्टार (दवा) लगानी शुरू कर दी। जड़ों में दबाई गई इस दवा के असर से जो पेड़ सूख रखे थे, उन्होंने भी आम दे दिए।

पहले दो साल में आम की एक बड़ी फसल होती थी और एक छोटी फसल, यानी एक साल बाग कम आम देता था और दूसरे साल ज्यादा। बाग मालिक तब बहुत कम पैसा लेता था, लेकिन आम महकते थे। अब मालिकों के मन में लालच आ गया है। उन्हें ज्यादा पैसे चाहिए और कारोबारियों को ज्यादा आम। वे चाहते हैं कि पत्ते न आएं, बस फल आ जाए। केवल कुछ ही बाग मालिक हैं, जो दवा के इस्तेमाल की इजाजत नहीं देते। अगर अमरोहा के आमों की खुशबू, स्वाद, शोहरत को बचाना है तो बाग मालिकों को पहल करनी होगी। वे कीमत घटाएंगे, तो आम फिर से कीमती हो जाएंगे।

### एकदा

## रिटायरमेंट की खुशी

**18वीं सदी** के अंत में इंग्लैंड के एक शहर में जनमे चार्ल्स लैंब को बचपन से ही पढ़ने-लिखने का बेहद शौक था। उसी दौर में विलियम वर्ड्सवर्थ और सैमुएल टेलर कोलरिज जैसे भावी महान कवि हुए। सभी को विश्वास था कि यह बालक एक दिन एक महान लेखक बनेगा। लेकिन बीमार बहन मैरी की जिम्मेदारी और पारिवारिक बोझ के चलते उन्हें एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क की नौकरी करनी पड़ी। मगर चार्ल्स की आत्मा किताबों, विचारों और भावनाओं में बसती थी। दिनभर उबाऊ फाइलों और सरकारी कागजों में उलझे रहते, रात को थके शरीर और नींद की मार खाई आंखों के बावजूद मोमबत्ती की रोशनी में बैठकर कुछ लिख लेते। उनके निबंधों में संवेदना, हास्य और मानवीय गहराई का अद्भुत मेल होता था। एक बार उन्होंने अपने मित्र को लिखा- 'मेरा स्वभाव कुछ सुस्त सा है। मैंने हमेशा इस नौकरी से नफरत की है। आदमी आधा वही होता है, बाकी आधा उसका कर्तव्य।' जब वह 55 वर्ष के हुए, तब उन्हें रिटायरमेंट मिला। जहां अधिकतर लोग दुखी थे, वह उल्लास से भरे हुए थे। उन्होंने मित्र को चिट्ठी में लिखा- 'I am free ! Free as air !' (मैं मुक्त हूं! हवा की तरह मुक्त!) अब वह पूरी तरह पढ़ने, लिखने और मानसिक रूप से बीमार बहन मैरी की सेवा करने में लग गए। उनकी रचना 'Essays of Elia' कालजयी बनी।

Subrata Dhar



संकलन : दिलीप लाल

नैशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल में खेल प्रशासन को जवाबदेह और पारदर्शी बनाने की कोशिश

# खेल महासंघों की निरंकुशता खत्म होगी?



अशोक कुमार





**स्विट्जरलैंड** के लॉजेन स्थित इंटरनैशनल ओलिंपिक कमिटी (IOC) मुख्यालय में इसी 1 जुलाई को भारतीय प्रतिनिधिमंडल के साथ 2036 ओलिंपिक्स की मेजबानी को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी। इसमें IOC ने भारत में खेल प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार, कुप्रबंधन और जवाबदेही की कमी पर गंभीर चिंता व्यक्त की।

**वक्त की जरूरत ।** IOC का ऐसा रुख आकस्मिक नहीं था। भारत में बरसों से खेल संघों के संचालन में पारदर्शिता की कमी रही है। ये खेल संघ अपने बनाए संविधान और स्वैच्छिक ढांचे से चलते रहे हैं। इससे खेल प्रणाली में निष्पक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी रही है। ऐसे में 'नैशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल, 2025' ऐतिहासिक पहल और वक्त की जरूरत के रूप में सामने आया है। इससे खेल प्रशासन में पारदर्शिता आएगी और अंतरराष्ट्रीय मानक लागू करने में मदद मिलेगी।

**तीन आधार ।** इस बिल के तीन मुख्य आधार हैं - नैशनल स्पोर्ट्स बोर्ड (NSB), नैशनल स्पोर्ट्स इलेक्शन पैनल (NSEP) और नैशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल (NST)। इन तीनों के सहयोग से पारदर्शी शासन, लोकतांत्रिक प्रक्रिया और त्वरित विवाद निवारण सुनिश्चित हो सकेगा।

**खेल नीति ।** नैशनल स्पोर्ट्स बोर्ड राष्ट्रीय स्तर पर खेल नीतियों का निर्माण करेगा। इसमें पूर्व अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी, खेल प्रशासक, कानूनी विशेषज्ञ और सिविल सोसायटी के प्रतिनिधि शामिल होंगे। राष्ट्रीय खेल नीति बनाने के अलावा इसकी प्रमुख जिम्मेदारी होगी - संसाधनों व इंफ्रास्ट्रक्चर का सही और उचित बंटवारा, राज्यस्तरीय निकायों से समन्वय और खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति, मानसिक स्वास्थ्य सहायता व चोट के इलाज जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराना। NSB खासतौर पर दो गंभीर समस्याओं पर ध्यान देगा - आयु में धोखाधड़ी और डोपिंग के मामले।

**समय पर चुनाव ।** भारत में कई बार खेल संघों के चुनावों में गुटबाजी, अनियमितताएं और लंबे समय तक एक ही व्यक्ति के पद पर बने रहने जैसी शिकायतें आती हैं। इन्हीं समस्याओं को दूर करने और खेल संघों में निष्पक्ष, पारदर्शी और समय से चुनाव कराने के लिए नैशनल स्पोर्ट्स इलेक्शन पैनल (NSEP) बनाया गया है।

**आसान न्याय ।** नैशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल की एक विशेष उपलब्धि है नैशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल (NST)। यह सिलेक्शन से जुड़े विवाद, अनुशासनात्मक कार्रवाई, अनुबंध, डोपिंग सहित अन्य मामलों की निष्पक्ष और त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करेगा। इससे अदालतों पर बोझ कम होगा।

**पारदर्शिता का ध्यान ।** ओलिंपिक और पैरालिंपिक चार्टर न्याय, समानता, सम्मान और पारदर्शिता जैसे मूल्यों को प्राथमिकता देते हैं। भारत में भ्रष्टाचार, डोपिंग और एज फ्रॉड ने खेल की साख को ठेस पहुंचाई है। इस बिल में ऐसे प्रावधान हैं, जिनसे निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी होगी। इसमें हितों के टकराव से संबंधित स्पष्ट दिशा-निर्देश हैं।

**नियंत्रण उद्देश्य नहीं ।** IOC के चार्टर के अनुसार, खेल संघों को स्वशासन का अधिकार है, जिसे यह विधेयक मान्यता देता है। इसमें कहा गया है कि NSB का कार्य मार्गदर्शन देना है, न कि नियंत्रण करना।

**विशेष यूनिट ।** भारत में जूनियर स्तर पर डोपिंग और उम्र से जुड़ी धोखाधड़ी बड़ी समस्याएं बनी हुई हैं। WADA की रिपोर्ट के अनुसार, भारत डोपिंग मामलों में दूसरे स्थान पर है। Economic Times की रिपोर्ट बताती है कि डोपिंग पॉजिटिविटी रेट 3.8% है। बिल में नैशनल स्पोर्ट्स बोर्ड के तहत विशेष यूनिट गठित करने का प्रावधान है। इससे बायोमीट्रिक और मेडिकल टेस्ट से एज वेरिफिकेशन होगा, खिलाड़ियों का सेंट्रलाइज्ड डेटा बैंक बनाया जाएगा और NADA व WADA के साथ सहयोग किया जाएगा। यदि यह व्यवस्था सही रूप में लागू हो गई, तो भारत 'क्लीन स्पोर्ट्स नेशन' बनने की दिशा में अग्रसर हो सकता है।

**बिल इसलिए जरूरी**

- अंतरराष्ट्रीय मानक लागू करने में मदद मिलेगी
- स्वायत्तता और जवाबदेही में संतुलन का प्रयास
- डोपिंग, एज फ्रॉड से निपटने के लिए रखे गए हैं विशेष प्रावधान

**निर्णायक मोड़ ।** नैशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल देश को एक स्पष्ट, बाध्यकारी और नैतिकता-आधारित कानून प्रदान करता है। इसमें केवल नियमों की बात नहीं है, सार्वजनिक सेवा के प्रति उत्तरदायित्व भी है। यह बिल भारतीय खेल व्यवस्था में निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है। NSB, NSEP और NST की त्रिस्तरीय संरचना मजबूत और पारदर्शी ढांचा तैयार करती है। इस प्रस्तावित ढांचे का मकसद है खेल प्रशासन को ईमानदार, जवाबदेह और खिलाड़ी केंद्रित बनाना।

**खेल महाशक्ति ।** यह प्रणाली भारत को वैश्विक खेल मानकों के करीब लाएगी, जहां निष्पक्ष मुकाबला, सशक्त खिलाड़ी, और राष्ट्र की प्रतिष्ठा जैसे मूल सिद्धांत साकार हो सकें। इस बिल की असली सफलता सिर्फ इसकी भाषा में नहीं, इसे ईमानदारी से लागू करने की राजनीतिक इच्छा शक्ति और खेल संस्कृति में बड़े बदलाव लाने की कोशिश पर निर्भर करती है। अगर इस पर सही तरीके से अमल हुआ, तो भारत खेलों में एक वैश्विक महाशक्ति बन सकता है।

*(लेखक हरियाणा खेल विश्वविद्यालय, राई के कुलपति हैं)*





# हेल्थ केयर की होम डिलिवरी में नई होड़



पी. एस. वोहरा

**विश्व की** अग्रणी ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन ने भारत में बीते दिनों चिकित्सा के क्षेत्र में डायग्नोस्टिक के अंतर्गत प्रवेश किया है। हालांकि अमेजन पहले से ही भारत में दवाओं के वितरण और चिकित्सकों के परामर्श की सुविधा उपलब्ध करवा रही है, जिसे अमेजन फार्मेसी व अमेजन कंसल्टेंसी के नाम से पहचाना जाता है। डायग्नोस्टिक से जुड़ी यह नई सुविधा अमेजन ने देश के 6 बड़े शहरों - दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, हैदराबाद, बेंगलुरु और मुंबई में उपलब्ध करवाई है।

**छह घंटे में जांच रिपोर्ट ।** इस सेवा के तहत 800 प्रकार की विभिन्न बीमारियों की जांच हेतु मरीज के विभिन्न प्रकार के सैंपल का संग्रहण उनके घर से बुकिंग के 60 मिनट के भीतर करने और 6 घंटे से पूर्व ही उनकी मेडिकल रिपोर्ट को डिजिटल माध्यम से मरीज तक पहुंचाने की बात है। इससे संबंधित सभी सुविधाएं कंपनी अपने मोबाइल ऐप्लिकेशन के माध्यम से ग्राहकों को दे रही है। भारत में चिकित्सा क्षेत्र वर्तमान में तकरीबन 400 बिलियन डॉलर का है। इसमें डायग्नोस्टिक क्षेत्र 10 से 12 बिलियन डॉलर का माना जाता है।

**कोरोना में शुरू हुआ चलन ।** घर बैठे बीमारियों की जांच करवाने का चलन मुख्यतया कोरोना महामारी के दौरान शुरू हुआ। उसके बाद धीरे-धीरे इसने एक जरूरत का रूप ले लिया। बड़े शहरों में इसकी जरूरत का मुख्य कारण समय की कमी, ट्रैफिक की समस्या और एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी है। हालांकि भारत में घर बैठे ही मेडिकल टेस्ट कराने की सुविधा बड़े शहरों में काफी समय से उपलब्ध है। डॉ. लाल पैथ लैब, थार केयर, मेट्रोपोलिस आदि ये सुविधाएं देने वाले कुछ मशहूर नाम हैं।

**डिस्काउंट से परहेज ।** अमेजन ने इस क्षेत्र में प्रवेश के लिए ऑरेंज हेल्थ लैब के साथ समझौता किया है। ऑरेंज हेल्थ लैब की स्थापना कोरोना के दौरान ही वर्ष 2021 में हुई। ऑनलाइन कंपनियां ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए अक्सर डिस्काउंट का सहारा लेती हैं लेकिन अमेजन के कुछ अधिकारियों के वक्तव्यों से ऐसा स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि इस क्षेत्र में डिस्काउंट या छूट देना उनकी व्यापारिक रणनीति नहीं होगी।

AI Image



कॉमन रूम

**बेहतरीन इन्फ्रास्ट्रक्चर ।** अमेजन का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट उसका बहुत बड़ा तकनीकी प्लैटफॉर्म है, जिसके माध्यम से वह पहले से भारत में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के क्रय-विक्रय में ऑनलाइन संलग्न है। उसकी दूसरी विशेषता डिलिवरी बॉय की संख्या है। ऑरेंज हेल्थ लैब के पास चिकित्सा के क्षेत्र में लैब का एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, मशीनरी है। इसलिए इस बात की बहुत संभावना है कि डायग्नोस्टिक के क्षेत्र में अमेजन को आने वाले समय में काफी लाभ हो।

**ओपीडी में बदलाव के आसार ।** डॉ. लाल पैथ लैब और अन्य संस्थान जो इस क्षेत्र में पहले से हैं, वे सब भी इस नए घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। स्वाभाविक ही उनके नई रणनीतियों के साथ आगे आने के आसार हैं। दूसरी तरफ अस्पतालों की ओपीडी में भी अब परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं क्योंकि वहां मरीजों को जांच कराने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। वैसे एक तथ्य यह भी है कि अमेजन के फार्मेसी सेगमेंट के संबंध में कई बड़े शहरों में नकारात्मक रुख है। पाया गया है कि कई मरीजों को दवाएं समय पर नहीं मिलतीं।

*(लेखक आर्थिक मामलों के जानकार हैं)*

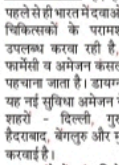

THE SPEAKING TREE

और पढ़ने के लिए देखें www.speakingtree.nbt.in

## सब आप जैसे ही होंगे तो जीवन नीरस हो जाएगा

जयति गोयल

**भगवान कृष्ण** के उपदेशों के अनुसार, इस संसार में विषमता का होना स्वाभाविक है। अपने-अपने स्वरूप, अपने-अपने शरीर, अपने-अपने स्वभाव, गुण, बुद्धि और बल के सामर्थ्य के अनुसार ही हर किसी का व्यवहार होता है। एक घर में यदि चार लोग रहते हैं, तो चारों का ही व्यवहार एक-दूसरे से भिन्न होता है। हर किसी की अपनी सोच होती है। काम करने का तरीका भी अलग-अलग होता है। हर चीज भिन्न है, और किसी भी दो वस्तुओं में पूरी समानता नहीं।

उदाहरण के लिए, भारत को ही लें, जहां विभिन्न धर्मों, जातियों, भाषाओं और संस्कृतियों के लोग एक साथ रहते हैं। हमें अपनी विभिन्नताओं को स्वीकार करना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। हमें यह भी समझना चाहिए कि विभिन्नता ही हमारी ताकत है और इसे संजोना चाहिए। हम हमेशा दूसरों से अपेक्षा रखते हैं कि वह हमारी तरह ही काम करे। हम जैसा चाहते हैं, वह वैसा ही करे। दफ्तर में और घर में भी।

जरा सोचिए, यदि सब मनुष्य एक जैसा व्यवहार करने लग जाएं, एक ही तरह से सोचने लगें, एक जैसी बातें करने लगें, यानी कोई भिन्नता ही न हो, सब आपकी तरह ही बन जाए तो जीवन में कोई नवीनता नहीं रहेगी। आपको नहीं लगता, ऐसा हो जाए तो जीवन बिल्कुल नीरस और उबाऊ हो जाएगा! ईश्वर ने सबको अलग बनाया है। इसी विभिन्नता में ही तो जीवन की मधुरता है। हमें यह मानना होगा कि न तो हर शख्स हमारी पसंद का हो सकता है, न ही हर परिस्थिति हमारे मुताबिक हो सकती है।

जो जैसा है, अगर आप उसे उसी तरह स्वीकार कर लें, तो समझ जाइए कि आपने इस जीवन को समझ लिया। अपेक्षाएं हमेशा ही खुशियों के आड़े आती हैं। अपेक्षाएं हर कष्ट, हर तनाव का मूल कारण हैं। जीवन की सुंदरता, आकर्षण और आनंद विभिन्नताएं हैं। अलग-अलग चीजें, लोग, संस्कृतियां, विचार और दृष्टिकोण मिलकर ही जीवन को समृद्ध और आकर्षक बनाते हैं।

कोई चीज जो किसी एक के लिए गलत है, वह दूसरे के लिए सही हो सकती है। मसलन मांसाहार किसी के लिए जीव हत्या हो सकता है, तो किसी के लिए प्राकृतिक तालमेल को बनाए रखने का तरीका। इस तरह सही-गलत के बजाय खुश रहने पर ध्यान देना जरूरी है। खुद खुश रहेंगे तो दूसरों की खुशी के बारे में भी सोच पाएंगे।

जो काम आपके लिए गलत है, वह आपका अपना नजरिया है, दूसरे के नजरिए से वही काम सही हो सकता है। ऐसे में किसी भी परिस्थिति में परेशान और बेचैन होने के बजाय उसे स्वीकार करना सीखना होगा। ऐसा करने पर आप उस उलझन से निकलने का तरीका भी खोज पाएंगे। आप सिर्फ एक ही व्यक्ति से उम्मीद रख सकते हैं और वह व्यक्ति हैं, खुद आप। अपनी खुशी या गम के लिए दूसरों को जिम्मेदार न ठहराएं।

CCI NG 3.7 Product: NBTDelhiBS PubDate: 30-07-2025 Zone: Mahanagar Edition: 1 Page: NBTMAH17 User: cci Time: 07-29-2025 23:14 Color:

# अदालत से उम्मीद

बिहार में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण की कवायद के खिलाफ दायर याचिकाओं की सुनवाई करते हुए मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की, वह काफी आश्वस्तकारी है। इस मामले की सुनवाई कर रहे विद्वान जजों ने स्पष्ट कहा कि चुनाव आयोग एक सांविधानिक संस्था है और अदालत यही मानती है कि उसकी कार्रवाई कानून-सम्मत होगी, फिर भी अगर कोई शिकायत आती है, तो हम सुनने के लिए यहां बैठे हैं। पीठ में शामिल न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची ने तो यहां तक आश्वस्त किया कि यदि बड़े पैमाने पर मतदाता बहिष्कृत होते हैं, तो हम हस्तक्षेप करेंगे। सोमवार को शीर्ष अदालत ने चुनाव आयोग को आधार कार्ड और मतदाता पहचानपत्र को स्वीकार्य दस्तावेज के तौर पर स्वीकार करने का भी निर्देश दिया था। आयोग आगामी 1 अगस्त को बिहार की मतदाता सूची का मसौदा जारी करेगा, तब जाकर तस्वीर साफ हो सकेगी कि कितने मतदाता जनवरी 2025 की सूची से बाहर हुए हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार दोटूक कह चुके हैं कि मृतकों, स्थायी रूप से दूसरी जगह जा बसे लोगों और दो या उससे अधिक जगहों की मतदाता सूचियों में दर्ज नामों को निकाला जाएगा।

निस्संदेह, चुनाव आयोग एक स्वायत्त सांविधानिक संस्था है। देश की मतदान प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने का सारा दारोमदार उसी के ऊपर है। जब कभी भी उसने अपने अधिकारों का उपयोग किया है, उसे न्यायिक संरक्षण भी मिला है। लेकिन बिहार में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण की कवायद को लेकर शुरुआत से उसने जो रुख अपनाया, उसे लेकर इस पूरी प्रक्रिया के दो महत्वपूर्ण अंगों, राजनीतिक पार्टियों और आम मतदाताओं, की चिंताएं गहरी हुईं। इन चिंताओं को दूर करने के बजाय आयोग के शीर्ष स्तर से जो बयानबाजी हुई, उसने चिंता को आशंका में तब्दील कर दिया और अब यह मामला आला अदालत में है। चुनाव आयोग के पास शीर्ष अदालत की पहली सुनवाई के बाद भी मौका था कि वह इस बवंडर को थाम लेता। अदालत ने उसे शुरू में ही सुझाव दिया था कि वह 'आधार' और 'वोटर आईकार्ड' को मान्य दस्तावेज के रूप में स्वीकारे। अब अदालत को दोबारा इसे दोहराने की जरूरत पड़ी है, तो यह यकीनन आयोग के लिए कोई अच्छी स्थिति नहीं मानी जाएगी।

**चुनाव आयोग के पास आखिरी मौका है कि वह पूरी तथ्यात्मकता के साथ मतदाता सूची जारी करे, ताकि मतदाताओं व पार्टियों का उस पर भरोसा अटूट बने।**

अव्वल तो बिहार में विधानसभा चुनाव बिल्कुल मुहाने पर है, ऐसे वक्त पर इतनी गहन कवायद को निष्पक्षता से अंजाम देना आयोग के लिए बड़ी चुनौती है। तब तो और, जब इस कार्य के लिए उसे राज्य सरकार के कर्मियों पर ही निर्भर रहना है। शीर्ष अदालत ने उचित ही एक सांविधानिक संस्था की गरिमा का ख्याल रखते हुए मसौदा मतदाता सूची पर रोक लगाने से इनकार किया है और आयोग को अपने तईं निष्पक्ष कदम उठाने का अवसर दिया है। राजनीतिक पार्टियों और याचिकाकर्ताओं के पास भी अवसर है कि वे जारी होने वाली मसौदा सूची का गहराई से विश्लेषण कर इसकी कमियों को अदालत में 12 अगस्त को पेश करें। आयोग के पास आखिरी मौका है कि वह पूरी तथ्यात्मकता के साथ मसौदा जारी करे, ताकि मतदाताओं व राजनीतिक दलों का उस पर भरोसा अटूट बने। राजनीतिक पार्टियों व राजनेताओं को किसी सांविधानिक संस्था पर टिप्पणी करते समय यह नहीं भूलना चाहिए कि अंततः उनका लक्ष्य देश में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करना ही है। हमारी संस्थाओं की प्रतिष्ठा गिरी, तो हमारे लोकतंत्र की छवि ही धूमिल होगी। पड़ोस के लोकतंत्र नजीर के तौर पर उनके सामने हैं।

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले 30 जुलाई, 1950

## राजनीतिक चलचित्र

कोरिया की लड़ाई को प्रारंभ हुए अब करीब पांच सप्ताह होने को हैं, लेकिन उसकी समाप्ति की अभी कोई आशा दृष्टिगोचर नहीं होती। वस्तुस्थिति यह है कि आज भी कोरियाई युद्ध के विश्वयुद्ध में परिणत होने की पचास प्रतिशत संभावना बनी हुई है। इस बीच युद्ध के आवेग में शिथिलता आने के बजाय वृद्धि ही हुई है। इसका प्रधान कारण यह है कि दक्षिण कोरिया की सहायतार्थ अमरीकी सेनाएं तथा शस्त्रास्त्र संगठित होते जा रहे हैं और साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ के आह्वान पर अन्य राष्ट्र भी थोड़ी सहायता देने लगे हैं, अतएव उत्तरी कोरिया की साम्यवादी सेनाओं को कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। कोरिया संबंधी स्थिति के बारे में जनरल मैक आर्थर ने सुरक्षा परिषद को जो प्रतिवेदन भेजा है, उसका आशय यही है कि अमरीकी सेनाओं ने अब जोरदार कार्रवाई के लिए अपने पांव जमा लिये हैं और आक्रमणकारियों को 30वीं अक्षांश रेखा तक खदेड़ने में सफलता की प्राप्ति असंदिग्ध है। सुरक्षा परिषद में प्रतिवेदन पर जो बहस हुई, उसमें ब्रिटिश प्रतिनिधि ने कहा कि अमरीकी फौजों ने सबसे कठिन फौजी कार्रवाई का सामना किया है, अर्थात आक्रमणकारियों की प्रगति में रोड़ा अटकाकर प्रतिरोधात्मक कार्रवाई के लिए अवसर निकाला है।

साम्यवादी सेनाओं तथा अमरीकी व दक्षिण कोरियाई सेनाओं की संख्या में चार और एक का अनुपात है। इसके अतिरिक्त उत्तरी कोरिया की सेनाएं प्रशिक्षित हैं और जल्दी ही शेष एक-तिहाई दक्षिण कोरिया को भी हस्तगत कर लेने के लिए जी-जान से लड़ रही हैं। रणबांकुरे साम्यवादी सैनिकों के साहसपूर्ण हमले को मैक आर्थर के सदर मुकाम से प्रकाशित एक विज्ञप्ति में 'आत्म घातकारी सामूहिक आक्रमण' बताया गया था। यही कारण है कि अमरीकी तथा ब्रिटिश बमवर्षकों की गोलाबारी तथा आग का सामना करते हुए भी साम्यवादी फौजें आगे बढ़ रही हैं। योंगडोंग को अमरीकियों के हाथों से पुनः छीन लेने के बाद वे क्वांगजू तथा मोकपो पर अधिकार कर चुकी हैं। और अब पेकिंग रेडियो द्वारा उद्धृत प्योंगयांग की विज्ञप्ति के अनुसार, उत्तरी कोरिया की फौजों ने दक्षिणी कोरिया के तट पर योसू तथा सुनचोन भी ले लिये हैं। अब आशंका होने लगी है कि युद्ध बहुत दिनों तक चल सकता है- इतना ही नहीं, उसकी प्रतिक्रिया ऐसी हो सकती है, जिससे और क्षेत्रों में युद्धाग्नि भड़क उठे।

# क्रिकेट कूटनीति की ताकत पहचानें



आशीष राय | वरिष्ठ खेल पत्रकार

**अपने पश्चिम और पूरब के पड़ोसी देशों के प्रति भारत की जो नाराजगी है, उसे वहां के क्रिकेटरों पर नहीं उतारना चाहिए, बल्कि क्रिकेट के जरिये रिश्ते दुरुस्त करने चाहिए।**

आमतौर 'सॉफ्ट पावर' का अर्थ होता है, किसी देश द्वारा अपने हित में अपनी सांस्कृतिक परंपराओं का इस्तेमाल करना, न कि दूसरे देशों पर प्रभाव डालने या उन पर हावी होने के लिए बल प्रयोग करना। आमतौर पर कला, मनोरंजन, भाषा और विभिन्न संस्थान इस सांस्कृतिक कूटनीति के औजार रहे हैं। खेलों की भी इसमें अहम भूमिका होती है।

सन् 1970 के दशक की शुरुआत में अमेरिका और चीन के बीच की दूरी टेबल टेनिस कूटनीति ने ही कम की थी। भारत और पाकिस्तान ने भी विश्वास बहाली के उपायों के रूप में कभी-कभी क्रिकेट कूटनीति का इस्तेमाल किया है। देखा जाए, तो क्रिकेट आजकल भारत की एक मूल्यवान सॉफ्ट पावर संपदा है। साल 1928 में, गुलाम भारत ने एम्स्टर्डम ओलंपियाड में हॉकी में स्वर्ण पदक जीतकर पूरी दुनिया को चौंका दिया था। उस दौर में महात्मा गांधी के अहिंसक स्वतंत्रता संग्राम के अलावा भारत के और किसी दूसरे पहलू ने दुनिया पर वैसा प्रभाव नहीं डाला, जैसा कि जयपाल सिंह की हॉकी टीम की इस जीत ने। इसके बाद 1936 के बर्लिन ओलंपिक में भारत ने स्वर्ण पदकों की हैट्रिक लगाकर जर्मन तानाशाह एडॉल्फ हिटलर को भी हैरान कर दिया था, जो दुनिया में सिर्फ गोरे लोगों को ही श्रेष्ठ नस्ल मानता था। संक्षेप में कहें, तो भारत को अपनी आजादी के साथ हॉकी एक सॉफ्ट पावर के रूप में विरासत में मिली थी।

मेक्सिको में 1968 में हुए हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने गुजरे 40 वर्षों में पहली बार न स्वर्ण पदक जीत सका और न रजत। मगर इसके तीन साल बाद ही उसने वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड में लगातार दो टेस्ट सीरीज जीतकर क्रिकेट जगत का ध्यान अपनी ओर खींचा। फिर 1983 के विश्व कप में अप्रत्याशित जीत ने भारत को क्रिकेट के रूप में सॉफ्ट पावर का एक नया हथियार दे दिया। इसने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) को 1987 का विश्व कप पाकिस्तान के साथ मिलकर आयोजित करने के लिए प्रेरित किया, जबकि शुरुआती तीनों विश्व कप की मेजबानी का एकाधिकार इंग्लैंड के पास था। भारत-पाकिस्तान के इस साझा प्रयास से एक ऐसा आर्थिक पैकेज तैयार हुआ, जिसकी बराबरी न तो इंग्लैंड और न ही ऑस्ट्रेलिया कर सकते थे।

जैसे-जैसे भारत में क्रिकेट और टेलीविजन की लोकप्रियता बढ़ी, भारतीय कॉरपोरेट जगत भी आगे आया और इस खेल के प्रसारणों में उसने आर्थिक मदद देनी शुरू की। इसका लाभ बीसीसीआई को मिला और वह प्रसारकों से लाइसेंस शुल्क मांगने लगा, जिसकी पहले कल्पना नहीं की गई थी। इस तरह भारत क्रिकेट का आर्थिक महाशक्ति बनता चला गया।

आज पैसे की बदौलत बीसीसीआई क्रिकेट पर इस कदर हावी है कि न केवल अन्य क्रिकेट बोर्ड, बल्कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) भी इसके आगे झुकी रहती है। आलम यह है कि जिस तरह ब्राजील फुटबॉल में निर्विवाद चैंपियन रहा है, उस तरह भारत क्रिकेट में लगातार शीर्ष पर नहीं रहा, यहां तक कि सबसे प्रतिष्ठित विश्व टेस्ट चैंपियनशिप भी नहीं जीत सका है, फिर भी बीसीसीआई का विश्व क्रिकेट पर पूरा नियंत्रण है।

एक टीम के रूप में भारत अन्य देशों के क्रिकेट बोर्डों का सबसे प्रिय है, क्योंकि भारतीय टीम के कारण उनके भी खजाने डिजिटल व टीवी नेटवर्क, विज्ञापनदाताओं और प्रायोजकों से होने वाली कमाई से भरा करते हैं। हालांकि, मेजबान क्रिकेट प्रेमियों की नजर में बीसीसीआई दबंग और आईसीसी पर हावी रहने वाला बोर्ड है। बीसीसीआई इस साल चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट की मेजबानी पाकिस्तान को देने के आईसीसी के फैसले में शामिल था। इसलिए, भारत का पाकिस्तान में जाकर खेलने से इनकार करना न केवल अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ना था, बल्कि आईसीसी के उन नियमों की अनदेखी करना भी था, जो 1996 और 2003 के विश्व कप में लागू किया गया था, यानी मैच न खेलने पर अंक गंवाने का प्रावधान, जिसका खामियाजा ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को भुगतना पड़ा था। भारत ने किसी तीसरे देश में खेलने और हरफनमौला स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को परिस्थितियों के मुताबिक बतौर रिप्लेसमेंट अपनी टीम में शामिल करके भी अनुचित फायदा उठाया। आईसीसी ने बीसीसीआई को विशेष रियायत दी। अधिकांश टीमों ने आर्थिक फायदे के लिए इसे स्वीकार कर लिया, लेकिन भारतीयों को छोड़कर यह सब और किसी को पसंद नहीं आया। इससे भारत की साख को नुकसान भी पहुंचा।

सीमित ओवरों वाले विश्व कपों में पाकिस्तान से भिड़ना और विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में दूरी बनाना भी अवसरवाद ही है। भारत का राजनीतिक नेतृत्व पाकिस्तान से नाराज है, जो स्वाभाविक है। ऐसे में, सैद्धांतिक रूप से उससे कोई संबंध न रखना ही उचित माना जाना चाहिए। साल 1974 में भी दक्षिण अफ्रीका के रंगभेदी शासन का विरोध करते हुए डेविस कप फाइनल में खेलने के बजाय हमने वाकओवर देना पसंद किया था।

ऐसे में, बीसीसीआई की ताकत का इस्तेमाल दिल और दिमाग जीतने की दिशा में सबसे अच्छी तरह से किया जा सकता है, न कि मैदान में दबाव डालने और अनुचित सुविधाएं हासिल करने के लिए। भारत चाहे, तो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड और दक्षिण एशिया में आईपीएल के जबर्दस्त प्रशंसकों का कूटनीतिक रूप से फायदा उठा सकता है। साल 1987 में, जब भारत-विरोधी जनरल जियाउल-हक पाकिस्तान की सत्ता पर काबिज थे और दोनों देशों के संबंध खराब थे, तब बीसीसीआई और पीसीबी की पहल से पाकिस्तानी जनता की भारत के प्रति कटुता कुछ समय के लिए कम हुई थी।

लिहाजा बेहतर यही होगा कि भारत के हुक्मरां आईपीएल में पाकिस्तानी क्रिकेटरों के खेलने पर लगे प्रतिबंध को हटाने पर विचार करें। इस साल, बांग्लादेशी क्रिकेटरों को भी पिछले दरवाजे से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इन दोनों पर प्रतिबंध हटाने से लोगों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा मिलेगा। अपने पश्चिम और पूरब के पड़ोसी देशों के प्रति भारत की जो नाराजगी है, उसे वहां के क्रिकेटरों पर नहीं उतारना चाहिए। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ टी-20 मुकाबलों में पाकिस्तानी और बांग्लादेशी क्रिकेटरों का उतरना न सिर्फ वहां के क्रिकेट प्रशंसकों को खुश करेगा, बल्कि उनके अंदर मौजूद भारत विरोधी गुबार को भी मिटा सकता है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

# टीकाकरण के मोर्चे पर एक मिसाल बन गया भारत



राजीव दासगुप्ता | प्रोफेसर, कम्यूनिटी हेल्थ, जेएनयू

बाल मृत्यु दर के बारे में अनुमान लगाने वाली संयुक्त राष्ट्र अंतर-एजेंसी समूह ने अपनी नई रिपोर्ट में भारत को बाल स्वास्थ्य के क्षेत्र में वैश्विक उदाहरण के रूप में पेश किया है। उसके मुताबिक, यहां कुल जनसंख्या में 'जीरो डोज' बच्चों का अनुपात 2023 के 0.11 प्रतिशत के मुकाबले 2024 में घटकर 0.06 प्रतिशत रह गया है। यानी, 2023 के 16 लाख के मुकाबले देश में उन बच्चों की संख्या घटकर 2024 में नौ लाख रह गई, जिनको जीवन-रक्षक टीकों की एक भी खुराक नहीं लग सकी है। फिलवक्त दुनिया में ऐसे बच्चों की संख्या 1.43 करोड़ है। जाहिर है, भारत में कोविड के बाद टीकाकरण में भारी सुधार हुआ है, लेकिन इसकी कुछ जटिलताएं भी हैं, जिन पर ध्यान देना होगा।

'जीरो डोज' बच्चे उनको कहा जाता है, जिनको अपने जीवन के पहले वर्ष में डिप्थीरिया, टेटनस और पर्टुसिस का संयुक्त टीका डीटीपी1 की पहली खुराक नहीं लगी है। वंचित तबकों में आमतौर पर ऐसे बच्चे ज्यादा पाए जाते हैं। इनको अक्सर कई तरह की मुश्किलों और अभावों का सामना करना पड़ता है, जिनमें सामाजिक सेवाओं का न पहुंच पाना, सामाजिक-आर्थिक विषमताएं व लैंगिक बाधाएं शामिल हैं। सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (यूआईपी) का मकसद ऐसे ही तमाम तबकों तक टीकाकरण की सुविधा पहुंचाना है। इसके द्वारा देश भर में हर साल 1.3 करोड़ टीकाकरण सत्रों के माध्यम से 2.9 करोड़ गर्भवती महिलाओं और 2.6 करोड़ शिशुओं को मुफ्त में टीका लगाया जा रहा है।

**देश भर में अब हरेक साल 2.9 करोड़ गर्भवती महिलाओं और 2.6 करोड़ शिशुओं को मुफ्त में टीका लगाया जा रहा है।**

इस अभियान की सबसे बड़ी चुनौती देश में सालाना लगभग 10 प्रतिशत आबादी का राज्य के अंदर या दूसरे राज्यों में पलायन करना है, जिनमें काफी संख्या में परिवार और छोटे बच्चे भी शामिल होते हैं। कोरोना महामारी के दौरान तमाम नियमित स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रभावित हुए थे। यूआईपी भी अपवाद नहीं था। हालांकि, महामारी की शुरुआत में ही 15 अप्रैल, 2020 को टीकाकरण को 'स्वास्थ्य सेवाओं का आवश्यक कार्य' घोषित किया गया था। इसके बाद, फरवरी-मार्च 2021 के दौरान 'इंटेसिव मिशन इंद्रधनुष 3.0' और एक साल बाद 'इंटेसिव मिशन इंद्रधनुष 4.0' सहित कई पूरक कार्यक्रम शुरू किए गए। फिर भी, 2019 से 2021 के बीच टीकाकरण से वंचित या टीकों की पहली खुराक से दूर बच्चों की संख्या दोगुनी हो गई। इसके बावजूद अगर भारत ने यह नई उपलब्धि हासिल की है, तो यह बताता है कि कोरोना की विनाशकारी डेल्टा लहर के दौरान भी भारत ने स्थिति को संभाले रखा।

9 अगस्त, 2024 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने 11 राज्यों के 143 जिलों के लिए 'जीरो डोज कार्यान्वयन योजना' की घोषणा की थी। इसी बीच, प्रधानमंत्री द्वारा 29 अक्तूबर, 2024 को यू-विन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। टीकाकरण में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने के लिए डिजाइन किया गया यह डिजिटल प्लेटफॉर्म पांच प्रमुख काम करता है। ये हैं- स्वयं या आशा कार्यकर्ताओं द्वारा गर्भवती स्त्रियों और बच्चों का पंजीकरण व टीकाकरण सेवाओं की ट्रैकिंग; कभी भी, कहीं भी पहुंच; नाम-आधारित रिकॉर्डिंग, ताकि जीरो डोज बच्चों की पहचान हो सके; लक्षित योजना और कुशल कार्यान्वयन में स्वास्थ्य कर्मियों की सहायता; और, स्थायी डिजिटल टीकाकरण का दस्तावेज तैयार करना।

बहरहाल, भारत में 2036 तक कुल जनसंख्या-वृद्धि में शहरी आबादी की हिस्सेदारी 73 प्रतिशत तक रहने की उम्मीद है। इसी कारण बीते कुछ वर्षों से शहरी और कस्बाई स्तर पर यूआईपी को मजबूत करने पर लगातार ध्यान दिया जा रहा है। सतत विकास लक्ष्य 3.2 द्वारा भी नवजात शिशुओं और पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मौतों को रोकने और खसरा, निमोनिया और दस्त से होने वाली मृत्यु दर को कम करने पर जोर दिया जा रहा है। भारत में कोविड-19 टीकाकरण की सफलता ने वैश्विक और घरेलू स्तर पर भारत के टीकाकरण कार्यक्रम में और अधिक विश्वास जगाया है। लिहाजा, यूआईपी पर दुनिया भर की नजर है। इसकी सफलता न सिर्फ नौनिहालों की जान बचाने की लिए अहम साबित होगी, बल्कि विभिन्न टीकाकरण अभियानों से मिले फायदे को बनाए रखने में भी जरूरी साबित होगी।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

# जल्दी धारणा न बनाएं

एक घर में दो व्यक्तियों को बुलाया गया और उनसे कहा गया कि वे कूड़े के ढेर से घास-भूसे को ट्रक पर लाद ले जाएं। जब ट्रक भूसे से भर गया, तो पीछे से बाहर उड़ने लगा। तब उनमें से एक व्यक्ति ने कहा- यदि ट्रक को शहर के बीच से यूं ले जाते हैं, तो सड़क पर भूसा उड़ने की वजह से पुलिस वालों के कारण हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। दूसरे व्यक्ति ने कहा, फिक्र मत करो। मेरे पास एक तरकीब है। तुम ट्रक चलाना, मैं भूसे के ऊपर अपने शरीर को फैलाकर लेट जाऊंगा और इससे हम भूसे को हवा में उड़ने से बचा लेंगे।

रास्ते में वह भूसे से भरा ट्रक एक पुल के नीचे से गुजरा। पुल के ऊपर खड़े दो लोगों ने संयोग से नीचे झांककर देखा कि एक व्यक्ति घास-फूस और भूसे के ढेर पर हाथ-पैर फैलाकर पड़ा है। उनमें से एक ने कहा- देखो, कोई व्यक्ति एक सही-सलामत आदमी को फेंकने जा रहा है।

बाहर से देखने पर हम जो निर्णय लेते हैं, वह ऐसा ही होता है। यह ऐसे ही है, मानो तुम किसी उपन्यास का एक पृष्ठ फाड़ लेते हो, उसे पढ़ते हो और उससे ही पूरे उपन्यास के बारे में निर्णय ले लेते हो। यह ठीक नहीं है। यह प्रसंग के बाहर है। पूरी कृति उस पृष्ठ से भिन्न पूरी तरह एक अलग चीज हो सकती है। हो सकता है कि तुमने उसके नकारात्मक भाग का सबसे कुरूप पृष्ठ फाड़ा हो!

तुम किसी भी व्यक्ति का जीवन समग्रता में नहीं जानते। एक व्यक्ति, जो तुमसे मिलने आया है, तुम उसके साथ चालीस वर्ष पहले रहते थे। उन चालीस वर्षों के प्रसंग वहां मौजूद हैं। जब तुम उससे जुदा हुए थे, तब से उस व्यक्ति को चालीस वर्षों का जीवन पृथक जीना पड़ा है। उन चालीस वर्षों के प्रसंग भी वहां होने जा रहे हैं। और तुमने उस व्यक्ति को देखा, एक निश्चित क्षण में उसे देखा और उसके बारे में अपना निर्णय ले लिया। अपनी धारणा बना ली। यह ठीक नहीं है। यह केवल मूर्खता है। उसका उस व्यक्ति से कोई संबंध न होगा। तुम्हारा निर्णय उस व्यक्ति की अपेक्षा तुम्हारे बारे में कुछ अधिक प्रदर्शित करेगा। तभी जीसस ने कहा, तुम दूसरे के बारे में कोई निर्णय मत लो, जिससे वे तुम्हारे बारे में कोई निर्णय न ले सकें।

**यह ऐसे ही है, मानो तुम किसी उपन्यास का एक पृष्ठ फाड़ लेते हो, उसे पढ़ते हो और उससे ही पूरे उपन्यास के बारे में निर्णय ले लेते हो। यह ठीक नहीं है।**

जिस व्यक्ति के बारे में तुम निर्णय करते हो, वह कुछ भी स्पष्ट नहीं करता, और क्योंकि उसके अतीत का इतिहास तुम्हारे लिए अनुपलब्ध है, उसका अस्तित्व भी तुम्हारे लिए अनुपलब्ध बना रहता है। सारे प्रसंग खो चुके होते हैं, और वहां केवल बिजली की कौंध की तरह एक क्षणिक कृत्य होता है। उस कृत्य के आधार पर उस व्यक्ति की व्याख्या, तुम्हारी अपनी ही व्याख्या होगी। वह तुम्हारे बारे में ही कुछ प्रदर्शित करेगी।

ओशो

ओम बिरला | लोकसभा अध्यक्ष



जब-जब देश किसी गंभीर चुनौती से गुजरा है, भारत की संसद ने एक स्वर में 'राष्ट्र सर्वोपरि' की भावना के साथ एकजुटता दिखाई है। माननीय सदस्यों से आग्रह है कि सदन में चर्चा राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए पूर्ण गरिमा के साथ की जाए।

# लड़ना सिखा रही गिल-गंभीर की जोड़ी

शुभमन गिल-गौतम गंभीर युग का हम चाहे जितना मजाक उड़ा लें, पर इतना मानना पड़ेगा कि इन दोनों की जोड़ी कम-से-कम लड़ तो रही है। लीड्स में जो पहला मैच हम हारे, उसे इंग्लैंड को जीतने में पांच दिन लग गए थे। दूसरा मैच (बर्मिंघम टेस्ट) हम जीते, तो ऐसे जीते कि 336 रनों से बाजी मारा, तीसरा मैच (लॉड्र्स टेस्ट) हम मात्र 22 रन से हारे, मात्र 22 रन। मतलब, एक खराब ओवर जडेजा को मिल जाता, तो सीरीज में बढ़त मिल गई होती। इसके बाद चौथा मैच (मैनचेस्टर), जिसमें भारत का टिकना मुश्किल था, वहां चार लड़कों ने स्टोक्स ऐंड कंपनी को बेदम कर दया। जडेजा, सुंदर और गिल के शतक के साथ-साथ राहुल के 90 भी बेशकीमती हैं। आपको यह जानकर भी हंसी आएगी कि कैसे स्टोक्स और हैरी ब्रूक बार-बार ड्रॉ के लिए पुकार रहे थे। हालांकि, इस ड्रॉ के साथ यह भी तय है कि अब भारत सीरीज जीत नहीं सकता, अब या तो इंग्लैंड जीतेगा या भारत सीरीज ड्रॉ करवाकर लौटेगा। मगर टी-20 के युग में, नए-नए लड़कों से इतना करवा लेना भी कम नहीं। बाद बाकी टीम की गेंदबाजी में कमी दिख रही है। बुमराह के साथ फिटनेस का गंभीर मसला है, सिराज मौसमी बॉलर हैं और तीसरा गेंदबाज सिर धुनने के बाद भी मिल नहीं रहा है, पर कब तक नहीं मिलेगा? अच्छी बात यह है कि टीम में लड़ने की भावना है, वरना हमने तो अपने ही घर में तीसरे दिन हारती टीम भी देखी है। यह टीम कम-से-कम पांचवें दिन तक खेल को पहुंचा रही है। हां, कोच बनने से पहले गंभीर की बड़ी-बड़ी बातों का कद कुछ कम हुआ है, तालमेल तो वह हर तरह से बनाते दिख रहे हैं, पर उनके प्रयासों को नकारना ज्यादती है। बाकी पांचवां मैच बचा है, तो उसके बाद ही पूरी बात हो सकेगी।

सिद्धार्थ अरोड़ा 'सहर', टिप्पणीकार

**यह** ड्रॉ जीत से कम नहीं है। इंग्लैंड के कप्तान ने मैच के आखिरी 15 ओवर में जडेजा को कहा कि ड्रॉ करें? जडेजा ने मना कर दिया- नहीं, पूरे ओवर खेलेंगे। और फिर, दोनों ने यानी जडेजा और सुंदर ने अपने-अपने शतक पूरे किए। गौतम गंभीर के इन लड़कों ने जिस तरह का प्रदर्शन किया है, उसको देखकर यही लगता है कि ये सिर उठाकर गर्व से घर वापस आएंगे। भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम कोहली और रोहित के जाने के बाद अब पूरी तरह लय में आ चुकी है। इन लड़कों ने जिम्मेदारी संभाल ली है। इसके लिए गौतम गंभीर और शुभमन गिल को ढेर सारी बधाई!

राज, टिप्पणीकार

## अनुलोम-विलोम

### गिल और गंभीर



# यह साथ टीम के लिए नुकसानदेह अधिक

इसमें कोई दोराय नहीं कि इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने अच्छा प्रदर्शन किया। दूसरी पारी में जहां शून्य पर दो विकेट गिर गए थे और टीम पर पारी की हार का खतरा मंडरा रहा था, तब केएल राहुल, शुभमन गिल, वाशिंगटन सुंदर और रवींद्र जडेजा जैसे खिलाड़ियों ने मजबूती से मोर्चा संभाला और मैच को सफलतापूर्वक ड्रॉ करवा लिया। मगर इसी बिना पर गिल और गंभीर की जोड़ी की जय-जय करने का कोई मतलब नहीं है। टीम के पास अब भी कोई स्पष्ट दिशा और सोच का अभाव दिखता है। तकनीक के मोर्चे पर भी कई खिलाड़ी निराश करते हैं। तीसरे टेस्ट में ही दूसरी पारी में जडेजा को छोड़कर बाकी खिलाड़ियों का खेल देखा जा सकता है। टेस्ट क्रिकेट को भी ट्वेंटी-20 की शैली में खेलने की मानसिकता अब भी खत्म नहीं हो सकी है। इतना ही नहीं, विराट कोहली में भी ढेर सारा क्रिकेट बचा हुआ था, तो मुमकिन है कि अगले तीन साल तक वह भी टीम इंडिया का हिस्सा होते, यदि गौतम गंभीर मुख्य कोच नहीं होते और क्रिकेट प्रशासकों व चयनकर्ताओं के पास थोड़ी सी समझदारी होती। इसी तरह, गौतम गंभीर और अजीत अगरकर (बीसीसीआई चयन समिति के अध्यक्ष) की जोड़ी को भी विनाशकारी बताया जा रहा है। इससे भारतीय क्रिकेट को नुकसान ही अधिक हुआ है। सवाल शुभमन गिल की कप्तानी पर भी खूब उठ रहे हैं। ऐसा देखा गया है कि महज एकाध जीत के बाद ही उनका और साथी खिलाड़ियों का खराब व्यवहार मीडिया में दिखने लगा है। क्या उनको खेल व रणनीति पर ध्यान नहीं देना चाहिए? जाहिर है, अभी गिल और गंभीर की जोड़ी की तारीफ में कसीदे गढ़ने का कोई मतलब नहीं है। अगर इस जोड़ी को लंबी दूरी तय करनी है, तो टीम इंडिया के हर पहलू पर इसे ध्यान देना होगा।

सुजीत कुमार, टिप्पणीकार

**भारतीय** क्रिकेट में कप्तान और कोच की जोड़ी हमेशा चर्चा में रही है, क्योंकि टीम की सफलता में इन दोनों की ही सोच, तालमेल और शैली का गहरा असर पड़ता है। चूंकि टीम इंडिया टेस्ट क्रिकेट के लिहाज से एक नए युग में दाखिल हो चुकी है, क्योंकि हाल ही में रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गजों ने संन्यास लिया है, इसलिए शुभमन गिल को कप्तान बनाया गया है। मगर लगता यही है कि अभी गिल और गंभीर, दोनों को काफी मेहनत करनी होगी। एकाध मैच को जीत लेने से ही सफल जोड़ी का तमगा नहीं दिया जा सकता। टीम के खिलाड़ियों में नई ऊर्जा भरना इन दोनों की मुख्य जिम्मेदारी होनी चाहिए।

शेखर कुमार, टिप्पणीकार

**56** अरब डालर है वर्तमान में भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार का आकार। मुक्त व्यापार समझौता इसे बढ़ाकर 2030 तक दोगुना कर सकता है।





डा. मोनिका राज
शोधार्थी

आजकल

# गंभीर चुनौती बनता भीड़ प्रबंधन

**भारत को अपनी भीड़ प्रबंधन व्यवस्था को अंतरराष्ट्रीय मानकों तक पहुंचाना होगा, तभी धार्मिक और सार्वजनिक आयोजनों में सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित किया जा सकेगा। इसके लिए स्वतंत्र रणनीति या नीतिगत ढांचा विकसित किया जाए। भीड़ प्रबंधन को केवल पुलिस व्यवस्था तक सीमित न रखा जाए, बल्कि इसे एक विशिष्ट आपदा जोखिम प्रबंधन के रूप में देखा जाए। तकनीक के उपयोग एवं नीतिगत मजबूती से ही भविष्य में भगदड़ जैसी घटनाओं को रोका जा सकता है**

चिंतित करती बार-बार होने वाली भगदड़ की घटनाएं। फाइल

भारत, जहां धर्म और आध्यात्मिकता जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं, वहां हर वर्ष करोड़ों श्रद्धालु मंदिरों, मेलों और धार्मिक आयोजनों में एकत्रित होते हैं। यह भीड़ आस्था और भक्ति का अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करती है, लेकिन कई बार यही आस्था अनियंत्रित होकर त्रासदी में बदल जाती है। हाल में हरिद्वार के प्रसिद्ध मनसा देवी मंदिर में हुई भगदड़ ने एक बार फिर हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्यों बार-बार ऐसी घटनाएं होती हैं और क्यों हमारा प्रशासन और समाज इससे सबक नहीं ले पाता। इससे पहले भी देश के अलग-अलग हिस्सों में इसी तरह की त्रासदियां घट चुकी हैं।

**बार-बार क्यों हो रही हैं भगदड़ की घटनाएं:** धार्मिक स्थलों पर भीड़ का अनुमान और उसका नियंत्रण अक्सर बेहद कमजोर साबित होता है। बावजूद इसके सुरक्षित रास्तों, अलग-अलग प्रवेश और निकास द्वारों तथा मेडिकल इमरजेंसी की ठोस योजना का अभाव साफ दिखाई देता है। भीड़ के इस असंतुलन को और भयावह बना देती हैं अफवाहें, जो अक्सर भगदड़ का मुख्य कारण बनती हैं। हर ऐसी त्रासदी के बाद जांच बैठती है, जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की बातें होती हैं, लेकिन नतीजा लगभग हमेशा नगण्य रहता है। सख्त सजा और स्थायी सुधारात्मक उपायों के अभाव में वही गलतियां बार-बार दोहराई जाती हैं। स्थिति को और जटिल बना देती है हमारे धार्मिक स्थलों की अव्यवस्थित संरचना। अधिकांश मंदिर और तीर्थ स्थल दशकों या सदियों पुराने हैं, जिनकी वास्तुकला आधुनिक भीड़ को संभालने में सक्षम नहीं है। संकरी सीढ़ियां, बंद गलियारे और एकतरफा मार्ग की कमी ऐसे हादसों को जन्म देती है।

**प्रशासनिक लापरवाही या प्रणालीगत विफलता:** हर बार जब किसी धार्मिक या सार्वजनिक आयोजन में भगदड़ होती है, तो प्रशासनिक प्रतिक्रिया लगभग एक जैसी होती है-हादसे के बाद जांच समिति का गठन, कुछ अधिकारियों का निलंबन और पीड़ितों के लिए मुआवजे की घोषणा, लेकिन इन औपचारिक कार्रवाइयों के बावजूद दीर्घकालिक सुधार नजर नहीं आते। इसका एक प्रमुख कारण है आयोजनों में आने वाली भीड़ का वैज्ञानिक आकलन न होना। अक्सर आयोजकों और प्रशासन को यह अंदाजा ही नहीं होता कि कितने लोग आयोजन स्थल पर पहुंच सकते हैं, जिससे क्षमता से कहीं अधिक लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। दूसरी बड़ी समस्या है प्रवेश और निकासी मार्गों की कमी। अधिकतर धार्मिक स्थल संकरी गलियों या सीमित स्थानों में बने होते हैं, जहां पर्याप्त आपातकालीन निकास की व्यवस्था नहीं होती। ऐसे में जैसे ही भीड़ में अफरा-तफरी मचती है, लोगों के पास सुरक्षित निकलने का कोई विकल्प नहीं रहता। इसके अलावा पुलिस, स्थानीय प्रशासन और आयोजन समितियों के बीच समन्वय की गंभीर कमी भी हादसों को बढ़ावा देती है। अक्सर यह देखने को मिलता है कि अलग-अलग एजेंसियां बिना आपसी तालमेल के काम करती हैं, जिससे आपातकालीन स्थिति में तुरंत और प्रभावी कार्रवाई संभव नहीं हो पाती। सुरक्षा बलों और स्वयंसेवकों को भीड़ नियंत्रण और आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने का पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं दिया जाता। न तो उनके पास आधुनिक संसाधन होते हैं और न ही संकट से निपटने की स्पष्ट रणनीति।

**भीड़ नियंत्रण में आधुनिक उपकरणों की भूमिका:** आज के डिजिटल युग में जब एआइ, सीसीटीवी निगरानी, ड्रोन सर्विलांस और डाटा एनालिटिक्स का प्रयोग लगभग हर क्षेत्र में किया जा रहा है, तब भी भारत के धार्मिक आयोजनों में इन आधुनिक तकनीकों का समुचित उपयोग नहीं हो पाता। सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन का उपयोग कर लाइव निगरानी से भीड़ के घनत्व को तुरंत पहचाना जा सकता है और आवश्यकतानुसार अलर्ट जारी कर दुर्घटनाओं को टाला जा सकता है। एआइ आधारित सिमुलेशन के माध्यम से आयोजन से पहले ही भीड़ के मूवमेंट का आभासी अध्ययन कर कमजोर बिंदुओं की पहचान की जा सकती है। डाटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल करके पिछले आयोजनों के आंकड़ों का विश्लेषण कर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि किसी विशेष अवसर पर कितने लोगों के आने की संभावना है और किस समय में भीड़ का दबाव सबसे अधिक होगा। डिजिटल टिकटिंग प्रणाली अपनाकर सीमित संख्या में ही प्रवेश पास जारी किए जा सकते हैं, जिससे क्षमता से अधिक लोगों की भीड़ न जुटे।

**आपदा प्रबंधन बनाम भीड़ प्रबंधन:** भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 लागू है, किंतु यह मुख्य रूप से भूकंप, बाढ़, चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए बनाया गया था। भीड़ प्रबंधन को इस अधिनियम का हिस्सा तो माना गया है, लेकिन इसके लिए कोई स्वतंत्र रणनीति या नीतिगत ढांचा विकसित नहीं किया गया है। आवश्यकता इस बात की है कि भीड़ प्रबंधन को केवल पुलिस व्यवस्था तक सीमित न रखा जाए, बल्कि इसे एक विशिष्ट आपदा जोखिम प्रबंधन के रूप में देखा जाए। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की जानी चाहिए, जो धार्मिक आयोजनों और सार्वजनिक स्थलों के लिए समान दिशा-निर्देश प्रदान करे और जिसका पालन अनिवार्य रूप से कराया जाए। आपदा प्रतिक्रिया बल जैसे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ में भीड़ नियंत्रण विशेषज्ञों की नियुक्ति कर उन्हें विशेष प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, ताकि वे आपात स्थितियों में प्रभावी ढंग से काम कर सकें। साथ ही हर बड़े धार्मिक स्थल पर स्थायी क्राउड कंट्रोल यूनिट या भीड़ प्रबंधन सेल का गठन किया जाना चाहिए, जो आयोजन से पहले और दौरान भीड़ की निगरानी, प्रवेश-निकास का प्रबंधन और आपातकालीन प्रतिक्रिया सुनिश्चित कर सके। इस प्रकार की नीतिगत मजबूती से ही भविष्य में भगदड़ जैसी घटनाओं को रोका जा सकता है।

**नीतिगत सुधार और जवाबदेही:** सिर्फ तकनीक और मानक संचालन प्रक्रिया अपनाने से ही भगदड़ की समस्या का समाधान नहीं होगा, जब तक कि सरकारी एजेंसियों में स्पष्ट जवाबदेही तय न हो। अक्सर देखा जाता है कि किसी हादसे के बाद जांच समिति गठित की जाती है, रिपोर्ट तैयार होती है, लेकिन वह फाइलों में दबकर रह जाती है और कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती। जरूरत इस बात की है कि हादसे में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया जा सके। इसके साथ ही जिम्मेदारियों का स्पष्ट निर्धारण होना चाहिए, भीड़ का अनुमान लगाने से लेकर मार्ग सुरक्षा और अफवाहों के नियंत्रण तक किस अधिकारी या एजेंसी की ड्यूटी होगी, यह पहले से तय होना चाहिए। अदालतों और मानवाधिकार संस्थाओं की सक्रिय निगरानी भी जरूरी है, ताकि पीड़ितों को समय पर मुआवजा और न्याय मिल सके। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई देश इस दिशा में सफल माडल पेश कर चुके हैं। जापान में त्योहारों के दौरान डिजिटल एंट्री सिस्टम और आपातकालीन निकास संकेतकों का अनिवार्य रूप से उपयोग होता है, जिससे भीड़ को नियंत्रित करना आसान हो जाता है। सऊदी अरब ने हज प्रबंधन में एआइ और स्मार्ट ट्रैकिंग ब्रेसलेट्स का प्रयोग कर तीर्थयात्रियों को चरणबद्ध तरीके से मार्गदर्शन प्रदान किया है, जिससे वहां की भीड़ नियंत्रण प्रणाली अत्यधिक प्रभावी हो गई है। सिंगापुर में किसी भी बड़े आयोजन से पहले जोखिम आकलन रिपोर्ट तैयार करना अनिवार्य है, जो संभावित खतरों की पूर्व पहचान कर सुरक्षा उपायों को मजबूत बनाती है। भारत को इन देशों से सीख लेकर अपनी भीड़ प्रबंधन व्यवस्था को अंतरराष्ट्रीय मानकों तक पहुंचाना होगा, तभी धार्मिक और सार्वजनिक आयोजनों में सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित किया जा सकेगा।

## धार्मिक आयोजनों को सुरक्षित बनाना आवश्यक

भारत जैसे आस्था प्रधान देश में धार्मिक आयोजनों को सुरक्षित बनाना अनिवार्य है। इसके लिए सरकार को एक सुदृढ़ भीड़ प्रबंधन नीति बनानी चाहिए, जो न केवल नियम और दिशा-निर्देश तय करे, बल्कि उनके प्रभावी क्रियान्वयन की भी गारंटी दे। धार्मिक संस्थानों के प्रबंधन में पारंपरिक समितियों के साथ-साथ पेशेवर इवेंट मैनेजर्स की नियुक्ति की जानी चाहिए, जो भीड़ नियंत्रण, आपातकालीन योजनाओं और सुरक्षा प्रोटोकाल को बेहतर तरीके से लागू कर सकें। तकनीक का अधिकतम उपयोग भीड़ प्रबंधन में अहम भूमिका निभा सकता है। सीसीटीवी निगरानी, ड्रोन मानिटरिंग, डिजिटल टिकटिंग और एआइ आधारित सिमुलेशन जैसे उपायों को नियमित रूप से अपनाया जाना चाहिए। साथ ही आपातकालीन मेडिकल सेवाओं की उपलब्धता हर आयोजन में सुनिश्चित की जानी चाहिए, ताकि किसी अप्रत्याशित स्थिति में तुरंत उपचार मिल सके। इसके अलावा जन-जागरूकता अभियान चलाकर लोगों में अनुशासन का पालन करने और अफवाहों से बचने की आदत विकसित करनी होगी। जब तक प्रशासनिक नीतियों और जनता की सहभागिता में संतुलन नहीं बनेगा, भीड़ प्रबंधन की चुनौतियां पूरी तरह खत्म नहीं हो पाएंगी।

हर भगदड़ के बाद जब मृतकों की चीखें और परिजनों का मातम समाचारों में आता है, तब कुछ दिनों तक चर्चा होती है, लेकिन जल्द ही सब कुछ सामान्य हो जाता है। यह चक्र तभी टूटेगा जब आस्था और व्यवस्था के बीच संतुलन बनेगा, तकनीक और नीति का सही उपयोग होगा और जवाबदेही तय होगी। आस्था की रक्षा केवल पूजा-पाठ से नहीं, बल्कि श्रद्धालुओं की जान की सुरक्षा से भी होती है। यदि हमने अब भी पिछली त्रासदियों से सबक नहीं लिया, तो आने वाले समय में भीड़ का दबाव और बढ़ेगा और भगदड़ की त्रासदी बार-बार दोहराई जाएगी।

-डा. मोनिका राज

खरी-खरी

## 'जिम्मेदार' की तलाश

डा. प्रदीप मिश्र

स्कूल की छत के गिरते ही, 'जिम्मेदार' की खोज शुरू हो गई। बड़ी घटनाओं में 'जिम्मेदार' कभी नहीं मिलते, पर छोटी घटनाओं में तत्काल मिल जाते हैं। यह घटना छोटी ही है। गरीबों के बच्चों की जान जाना छोटी घटना ही कहलाता है। जो बच्चे गए, वे बड़े आदमी के तो नहीं ही थे? घटनास्थल पर पहुंचे अफसरों ने बताया कि 'इस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार, न तो वह ठेकेदार है, जिसने भवन बनाया। न वे अफसर हैं, जिन्होंने ठेकेदार के काम को सराहा। न वे जननायक हैं, जिन्होंने भवन का उद्घाटन किया।'

घटना हुई है तो किसी को तो जिम्मेदार बनाओ? वो शिक्षक है न। वही जिम्मेदार है। उसने शासन को नहीं बताया कि अमुक दिन और अमुक समय छत गिरेगी? वह शिक्षक दुर्घटना के समय कक्षा में मौजूद भी नहीं रहा, जबकि नियमतः उसे कमरे में मौजूद रहकर छत को गिरने से रोकना था। वैसे अगर शिक्षक कह देता कि 'छत गिरने वाली है' तो सब यही कहते कि 'क्लास नहीं लेने का नया बहाना तलाशा है मास्टर साहब ने?' फिर प्रिंसिपल शिक्षक की बात मानकर अफसरों को लिखते कि 'छत गिरने वाली है।' तो अफसर उनके खिलाफ जांच बिठा देते कि 'जर्जर भवनों की जो सूची है, उसमें आपके स्कूल का भवन नहीं है। अब आप क्या इंजीनियर हैं? आर्किटेक्ट हैं? अफसर, नेता, मंत्री, बड़े आदमी हैं? आप हैं कौन? आपकी बात क्यों मानी जाए? आपके पत्र से स्पष्ट होता है कि आप सरकारी कार्य में बाधक बन रहे हैं। क्यों न आप पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए?'

शिक्षक शासन को जानते थे, इसलिए भवन के जर्जर होने की सूचना सरकार को नहीं दी। सरकार 'ओके रिपोर्ट' चाहती थी, सो दुर्घटना के दिन तक सब 'ओके' रहा आया। अब जब छत गिर गई तो 'अंधेर नगरी' में किसी एक 'जिम्मेदार' का सिर तो ढूंढना था, जो बैठे-बैठाए वह शिक्षक मिल गया। इस तरह उस भवन के निर्माण से गिरने तक ठेकेदार को ठेकेदारी मिली। अफसर को कमीशन, नेता को चंदा, पीड़ित को मुआवजा और शिक्षक को दंड मिला। इसे कहते हैं, डेमोक्रेटिक जस्टिस।

पोस्ट



क्या सदन में चर्चा का अर्थ यह होता है कि हम अपने देश के सैन्य अभियान को तमाशा घोषित करें? कुछ नेता आपरेशन महादेव के समय को लेकर सवाल उठा रहे हैं। क्या एनकाउंटर की तारीख भी पहले से घोषित की जानी चाहिए?
अमिताभ अग्निहोत्री@Aamitabh2

जिन सरकारी अधिकारियों की लापरवाही से बिहार में कुत्ते को रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट दिया गया, वे अधिकारी पूरी व्यवस्था पर कलंक हैं। इनकी शिनाख्त करके इन्हें निकाल बाहर करना चाहिए।
संजय निरुपम@sanjaynirupam

मैनचेस्टर टेस्ट के बाद मैं यह कहने में कोई संकोच नहीं करूंगा कि वाशिंगटन सुंदर को बल्लेबाजी क्रम में ऊपर खिलाया जाए।
डब्ल्यूवी रमन@wvraman

ट्रंप यूक्रेन युद्ध नहीं रुकवा सकते। पुतिन उन्हें रत्ती भर भाव नहीं दे रहे। इजरायल भी गाजा में उनकी बात मानने को तैयार नहीं। ऐसे में ट्रंप के पास यही राग अलापते रहने के अलावा और कुछ खास नहीं कि उन्होंने भारत-पाकिस्तान की लड़ाई रुकवा दी।
स्टैनली जानी@johnstanly



रोहित कौशिक
वरिष्ठ पत्रकार

# शिक्षा के नाम पर धोखाधड़ी का खेल

इन दिनों देश में कई संदिग्ध शिक्षा संस्थान विभिन्न प्रकार की फर्जी डिग्रियां प्रदान कर रहे हैं। ऐसे मामलों की लगातार खबरें भी सामने आ रही हैं। जब भी इन संस्थानों के संदिग्ध क्रियाकलापों का पर्दाफाश होता है, तब कार्रवाई की जाती है, लेकिन कुछ समय बाद ये संस्थान फिर से सक्रिय हो जाते हैं। हाल में उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स ने हापुड़ की मोनाड यूनिवर्सिटी में चल रहे फर्जी डिग्री के खेल का भंडाफोड़ किया। एसटीएफ ने मोनाड यूनिवर्सिटी में छापेमारी के दौरान 1372 फर्जी डिग्रियां, 262 प्रोविजनल और माइग्रेशन सर्टिफिकेट समेत अन्य सामग्रियां बरामद कीं। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि यह गिरोह बीए, बीएड, बीए-एलएलबी, फार्मेसी, बीटेक जैसे कोर्स की फर्जी डिग्रियां बनाकर बेचता था। प्रति छात्र 50,000 से चार लाख रुपये तक की वसूली की जाती थी। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि फर्जी डिग्रियों के माध्यम से शिक्षा का मजाक बनाया जा रहा है। फर्जी विश्वविद्यालय छात्रों को ठगने का काम कर रहे हैं।

कुछ समय पहले यूजीसी ने देशभर में खुले कई फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची जारी की थी। इन विश्वविद्यालयों को किसी भी प्रकार की डिग्री देने का अधिकार नहीं है। ये विश्वविद्यालय हाल में स्थापित नहीं हुए हैं, बल्कि कई वर्षों से चल रहे हैं। सही जानकारी के अभाव में हजारों छात्र इन फर्जी विश्वविद्यालयों के जाल में फंस जाते हैं। सवाल यह उठता है कि इतने वर्षों से चल रहे इन फर्जी विश्वविद्यालयों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? यदि ऐसे विश्वविद्यालयों पर पहले ही कार्रवाई की जाती, तो हजारों छात्रों के भविष्य पर मंडराते खतरे को टाला जा सकता था। दरअसल ऐसे मामलों में हर कोई अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहता है। यूजीसी समय-समय पर विद्यार्थियों को जानकारी देने के लिए फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध कराता



फर्जी डिग्री का बढ़ता खतरा। फाइल

रहता है, लेकिन जब यूजीसी और सरकार को फर्जी विश्वविद्यालयों की जानकारी है, तो उनके संचालकों की धरपकड़ कर इन्हें बंद क्यों नहीं कराया जाता? फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची प्रकाशित कर देने मात्र से ही यूजीसी और सरकार अपनी जिम्मेदारी से बरी नहीं हो जाते। जानकारी होते हुए भी ऐसे विश्वविद्यालयों को कार्य करते देना और उनके संचालकों के खिलाफ कोई कार्रवाई न करना एक बड़ा अपराध है।

यह विडंबना है कि आज गली-गली में निजी शिक्षा संस्थानों की बाढ़ आ गई है। इनमें से कुछ शिक्षा संस्थानों के क्रियाकलाप संदिग्ध हैं। सवाल यह है कि शिक्षा को व्यापार बनाने के लिए जिम्मेदार कौन है? उदारीकरण की आंधी ने अन्य क्षेत्रों के साथ-साथ शिक्षा के क्षेत्र को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया है। सरकार ने शिक्षा का निजीकरण करते हुए गर्व का अनुभव किया। इस नीति के चलते अनेक औद्योगिक घराने शिक्षा के क्षेत्र में कूद पड़े। इनकी देखा-देखी छोटे व्यापारी भी इस क्षेत्र की ओर आकर्षित होने लगे। शिक्षा के निजीकरण ने एक नए प्रकार के व्यापार को जन्म दिया, जिसमें मुनाफा तो पूरा था, लेकिन व्यापारी की छवि मुनाफा कमाने वाले की नहीं, बल्कि उपकार करने वाले की थी। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक के बाद एक सरकारें इसी नीति पर चलती रहीं। सभी सरकारों द्वारा धड़ल्ले से निजी एवं डीम्ड विश्वविद्यालयों को मान्यता दी जाती रही। सरकारें बार-बार यह बताती रहीं कि हमारे देश के हालात को देखते हुए और विश्वविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता है। इस हड़बड़ी में शिक्षा की गुणवत्ता की ओर किसी का ध्यान नहीं गया। कई बार जानबूझकर इन विसंगतियों को नजरअंदाज किया जाता है।

आजादी के बाद शिक्षा नीति की कमजोरी को दूर करने के प्रयास किए गए, लेकिन ये प्रयास पर्याप्त सिद्ध नहीं हुए। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि हमारे नीति-निर्माता शिक्षा नीति में परिवर्तन करने की हड़बड़ाहट में अपना विवेक खोकर कुछ ऐसे निर्णय ले रहे हैं, जो शिक्षा के वास्तविक उद्देश्य को ठेस पहुंचा रहे हैं। सवाल यह है कि क्या हमारा मुख्य उद्देश्य शिक्षा नीति में परिवर्तन करना है या फिर इस परिवर्तन के माध्यम से शिक्षा की कमजोरियों को दूर करना है? इस दौर में उच्च शिक्षा की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। कहने को तो शिक्षा नीति में काफी बदलाव हुए हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि हम अभी भी लीक ही पीट रहे हैं। आज अनेक शिक्षक नवाचार को बढ़ावा देकर बेहतरीन काम कर रहे हैं, लेकिन यह भी कटु सत्य है कि आज गुरु के रूप में अध्यापक की प्रतिष्ठा लगातार कम हो रही है। शिक्षा जगत में मौजूद इन विसंगतियों के बीच नई शिक्षा नीति में भी एक बार फिर निजी शिक्षण संस्थानों को अनेक तरीकों से पनपने का मौका दिया गया है।

अब समय आ गया है कि सरकार निजीकरण की आड़ में पनपे संदिग्ध विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों के क्रियाकलापों पर गंभीरता से ध्यान दे, ताकि हजारों विद्यार्थियों के भविष्य को अंधकारमय होने से बचाया जा सके।

जागरण जनमत कल का परिणाम

**क्या पहलगाम के आतंकियों पर चिदंबरम का बयान कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगा?**





सभी आंकड़े प्रतिशत में।

**आज का सवाल**

क्या कांग्रेस ने शशि थरूर, मनीष तिवारी को आपरेशन सिंदूर पर बहस से दूर रखकर सही किया?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

नोबेल-नोबेल रट रहे दे दो नोबेल यार,
वरना रटते जायेंगे 'चच्चा' बारम्बार।
'चच्चा' बारम्बार आत्म भी भटकेगा,
दुनिया को तब शांति से नहीं रहने देगा!
जानबूझकर और बजाते खतरे की बेल,
फिर रुकने पर युद्ध रटें वे नोबेल-नोबेल!!
- ओमप्रकाश तिवारी

मंथन



डा. सुशील कुमार सिंह
निदेशक, वाईएस रिसर्च फाउंडेशन आफ पालिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन

# व्यापारिक संबंधों में नया अध्याय

**भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ हालिया व्यापार समझौता दोनों देशों के रणनीतिक, आर्थिक और तकनीकी संबंधों को और मजबूत बनाने में सहायक सिद्ध होगा**



और करीब आते भारत-ब्रिटेन। फाइल

अर्थशास्त्री जिम ओ नील ने कुछ वर्ष पूर्व भविष्यवाणी की थी कि भारत जल्द ही विश्व के सबसे प्रभावशाली देशों में से एक बनेगा। यह स्पष्ट है कि जैसे-जैसे भारत की अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आएगा, इसकी राजनीतिक, सैन्य और सांस्कृतिक शक्ति के साथ वैश्विक प्रभाव में भी बदलाव होगा। हाल में ब्रिटिश प्रधानमंत्री किएर स्टार्मर और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें भारत-ब्रिटेन विजन-2035 जारी किया गया और व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते को औपचारिक रूप दिया गया। यह समझौता भारत और ब्रिटेन के बीच रणनीतिक, आर्थिक और तकनीकी संबंधों को और मजबूत बनाने में सहायक सिद्ध होगा, जिससे व्यापार, नवाचार, रक्षा और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में नए अवसर उत्पन्न होंगे। वर्तमान में भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार का आकार लगभग 56 अरब डालर है। ब्रिटेन यह जानता है कि मुक्त व्यापार के माध्यम से इसे 2030 तक दोगुना किया जा सकता है, जिससे वस्तुओं और सेवाओं का संयुक्त व्यापार लगभग 120 बिलियन डालर तक पहुंच जाएगा। इस समझौते से वर्ष 2040 तक भारत के ब्रिटेन के निर्यात में भी 60 प्रतिशत वृद्धि की संभावना है। इससे रोजगार सृजन, प्रौद्योगिकी और नवाचार, रक्षा, जलवायु एवं स्थायित्व, शिक्षा और कौशल विकास को बल मिलेगा।

हिंद प्रशांत क्षेत्र में बाजार हिस्सेदारी और रक्षा विषयों पर भारत और ब्रिटेन के बीच 2015 में समझौते हो चुके हैं। वर्तमान समझौते के माध्यम से ब्रिटेन हिंद प्रशांत क्षेत्र की विकासशील अर्थव्यवस्था को एक अवसर के रूप में देख सकता है। इस क्षेत्र में दुनिया के 48 देशों की लगभग 65 प्रतिशत आबादी निवास करती है। ब्रिटेन का दृष्टिकोण चीन के प्रति पूरी तरह सख्त नहीं है, पर वह इसे लेकर सतर्क है। ब्रिटेन नहीं चाहेगा कि चीन ऐसे देशों के खनिज संसाधनों पर अपना नियंत्रण स्थापित करे। कई देशों के बंदरगाहों पर कब्जा करना चीन की सामरिक नीति रही है। क्वाड के माध्यम से अमेरिका, जापान, आस्ट्रेलिया और भारत ने इस पर नकेल कसने का प्रयास किया है। यदि ब्रिटेन अपने बाजार और व्यापार समेत आर्थिक नीतियों को भारत के साथ साझा करता है, तो यह न केवल द्विपक्षीय लाभ को बढ़ावा देगा, बल्कि चीन को भी संतुलित करने में मदद करेगा।

मुक्त व्यापार समझौते से भारत को ब्रिटेन के बाजार में 99 प्रतिशत शुल्क-मुक्त पहुंच प्राप्त होगी, जिससे हमारे वस्त्र, चमड़ा, समुद्री उत्पाद, इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहन तथा आटो पार्ट्स जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों को लाभ मिलेगा। भारत 90 प्रतिशत टैरिफ लाइनों पर शुल्क में कटौती करेगा या उसे समाप्त करेगा, जिसमें ब्रिटेन से आयातित 92 प्रतिशत वस्तुएं शामिल हैं, जैसे कार, शराब आदि। भारत समझौते के छठे वर्ष में ब्रिटेन के इलेक्ट्रिक वाहनों पर टैरिफ समाप्त कर देगा और 40 हजार ब्रिटिश पाउंड से कम कीमत वाले इलेक्ट्रिक वाहनों पर कोई शुल्क नहीं लेगा। सेवा क्षेत्र के अंतर्गत भारतीय पेशेवरों और कंपनियों को वित्तीय सेवाएं, शिक्षा आदि क्षेत्रों में पहुंच प्राप्त होगी। इसके अलावा इंजीनियरिंग, वास्तुकला जैसे क्षेत्रों के लिए वीजा प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन के तहत भारतीय पेशेवरों और उनके नियोक्ताओं को ब्रिटेन में सामाजिक सुरक्षा योगदान से तीन वर्षों के लिए छूट मिलेगी, जिससे भारतीय प्रतिभा की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी। समावेशी विकास के मामले में यह समझौता महिलाओं, युवाओं, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों, किसानों और नवप्रवर्तकों की भागीदारी को बढ़ावा देगा। कृषि लाभ की दृष्टि से भी यह समझौता उपयोगी सिद्ध हो सकता है, क्योंकि भारत के कृषि उत्पादों जैसे प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, खाद्य तेल और समुद्री खाद्य पदार्थों पर शुल्क में कटौती की जाएगी।

भारत और ब्रिटेन के बीच जो प्रमुख समझौते हुए हैं, उनमें साल 2022 में ब्रिटेन द्वारा नए लड़ाकू विमानों की प्रौद्योगिकी और नव वाहन प्रौद्योगिकी पर भारत के साथ सहयोग की प्रतिबद्धता शामिल है। भारत की असल चिंता चीन है। भारत की समस्या यह है कि सीमा पर तनाव के बावजूद व्यापार में चीन पर निर्भरता कम नहीं हो रही। भारत इस असंतुलन से निपटना चाहता है और मेक इन इंडिया में ब्रिटिश निवेश को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है। ब्रिटेन की भूमिका भारत के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन इसका लाभ कैसे उठाया जाएगा, यह विचार करने का विषय है। 1990 के बाद पश्चिमी देशों के साथ भारत के जो रिश्ते बने हैं, वे आज परवान चढ़ रहे हैं। ये रिश्ते न केवल आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि चीन को संतुलित करने में भी सहायक हो सकते हैं।

*********

दैनिक जागरण
अनुशासन से ही जीवन की दशा-दिशा बदली जा सकती है

# सुप्रीम कोर्ट का संदेह

बिहार में मतदाता सूची के पुनरीक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट का यह कहना समझ नहीं आया कि यदि बड़े पैमाने पर लोग इस सूची से बाहर होते हैं तो हम हस्तक्षेप करेंगे। क्या उसे चुनाव आयोग के इरादों पर संदेह है? आखिर उसे यह कहने की क्या आवश्यकता थी कि वह मतदाता सूची की पुनरीक्षण प्रक्रिया की निगरानी कर रहा है और जरूरत पड़ी तो दखल देगा। यदि सर्वोच्च न्यायालय ही चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर भरोसा नहीं जताएगा तो फिर बात कैसे बनेगी? यह ठीक नहीं कि सुप्रीम कोर्ट याचिकाकर्ताओं को यह जिम्मेदारी सौंप रहा है कि वे मतदाता सूची के मसौदे को देखें और यदि उसमें बड़ी संख्या में जीवित लोगों के नाम न पाएं तो उसे बताएं। ये याचिकाकर्ता तो छोटी-छोटी विसंगति को तूल देंगे। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा कोई भी खटखटा सकता है, लेकिन आखिर ऐसे लोगों को विशेष महत्व क्यों दिया जाना चाहिए, जो चाहते ही नहीं कि बिहार या अन्य राज्यों में मतदाता सूचियों का सत्यापन हो और अवैध तरीके से वोटर बने लोगों के नाम हटाए जाएं? यह ठीक नहीं कि कुछ लोग हर छोटे-बड़े मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुलवाने में समर्थ रहते हैं। इनमें विपक्षी नेता भी शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट को तो खुलकर यह कहना चाहिए था कि चुनाव आयोग को समय-समय पर मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण करते ही रहना चाहिए। इसका क्या मतलब कि बिहार में 2003 के बाद मतदाता सूची का पुनरीक्षण हो रहा है और बंगाल में भी 2002 के बाद ऐसा करने की तैयारी है। यह तो चुनाव आयोग की कमी है कि वह अपना काम समय पर नहीं कर रहा है। उसे तो लगातार यह देखना चाहिए कि देश में कहीं पर भी ऐसे लोगों का नाम मतदाता सूची में दर्ज न होने पाए, जिनकी मृत्यु हो गई हो अथवा जो स्थायी रूप से अन्यत्र बस गए हों। ऐसे लोग तो वोटर हरगिज नहीं होने चाहिए, जिनके बारे में यह साफ नहीं कि वे भारत के नागरिक हैं। मतदान का अधिकार केवल उसे ही मिलना चाहिए, जो भारत का नागरिक हो। अच्छा होगा कि चुनाव आयोग देश भर में मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण करे। यह ठीक है कि नागरिकता की छानबीन करना चुनाव आयोग का काम नहीं, लेकिन क्या यह उचित नहीं होगा कि भारत सरकार राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर यानी एनआरसी का काम करे। विपक्षी पार्टियों का यह आरोप बड़ा ही बेतुका है कि केंद्र सरकार चुनाव आयोग के जरिये एनआरसी का काम कर रही है। यह तो वह काम है, जो हर हाल में होना चाहिए। कायदे से होना तो यह चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट इसकी जरूरत रेखांकित करता कि केंद्र सरकार एनआरसी की दिशा में अवश्य आगे बढ़े। भारत ऐसी धर्मशाला नहीं हो सकता, जिसमें धर्मशाला संचालक यानी सरकार की ही न चल पाए।

# अच्छी पहल

बिहार पुलिस अगले महीने सिटीजन सर्विस पोर्टल लांच करने जा रही है। इससे कई सुविधाएं आनलाइन मिलने लगेंगी, लोगों की सहूलियत बढ़ेगी। आनलाइन प्राथमिकी की कापी निकालनी हो या गोपनीय तरीके से किसी अपराधी की शिकायत करनी हो, इस पोर्टल पर सारी सुविधाएं मौजूद होंगी। सबसे बड़ी बात, किरायेदार और घरेलू सेवकों का सत्यापन भी इस पोर्टल पर बिना थाने गए कराया जा सकता है। यह बहुत जरूरी है और वक्त की मांग भी। खासकर, वरिष्ठ नागरिकों को इससे काफी सहूलियत होगी जो एक ही काम के लिए थाने तक दौड़ते रहने की कुव्यवस्था से तंग आ चुके हैं। नतीजा, सत्यापन के काम में लापरवाही होती है और इससे अपराध की बड़ी घटनाओं की पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है। अपराधियों की गोपनीय जानकारी देने की पहल पर संज्ञान लिया गया तो यह क्राइम कंट्रोल में काफी सहायक साबित हो सकता है। यद्यपि, पुलिस को यह ध्यान देना होगा कि वह ऐसे मामलों का संज्ञान लेकर अपराधियों को दबोचे। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी हाल में सूचना देने वाले की पहचान उजागर नहीं हो। अभी तो लाख प्रयासों के बावजूद लोगों के मन में पुलिस के प्रति आशंका रहती है। आशंका यही कि कहीं पुलिस उन्हें ही न फंसा दे। सख्त कार्रवाई और तय समय में इस पोर्टल पर समाधान मिला तो निश्चित तौर पर आमजन का भरोसा बढ़ेगा। न सिर्फ क्राइम कंट्रोल होगा, बल्कि पुलिस की स्मार्ट छवि भी निखर कर सामने आएगी। बदलते समय में जब तमाम सेवाएं आधुनिक एवं स्मार्ट हो रही हैं, तब पुलिस की यह पहल सराहनीय ही कही जाएगी। आवश्यकता है कि इस योजना का क्रियान्वयन उचित रूप से किया जाए, ताकि इसके उद्देश्यों की पूर्ति में सफलता प्राप्त हो सके।

> सिटीजन सर्विस पोर्टल आम लोगों के लिए काफी सहायक साबित हो सकता है

# युवाओं की प्रतीक्षा करती राजनीति



राहुल वर्मा

**राजनीतिक दलों और उम्रदराज नेताओं के बीच स्व-नियमन की कोई राह तलाशी जाए, जिसमें वरिष्ठ नेताओं के अनुभव के साथ ही युवाओं की ऊर्जा एवं नए सोच को भी राजनीति में सही जगह मिले**

राजनीति को भले ही कोई 'पेशा' नहीं समझा जाता हो, लेकिन अन्य पेशेवरों की तरह इसमें भी रिटायरमेंट यानी सेवानिवृत्ति का सवाल रह-रहकर सतह पर आता रहता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत का बीते दिनों इस संबंध में एक बयान भी चर्चा में रहा था। भारत युवाओं की बड़ी आबादी वाला देश है। इस कारण स्वाभाविक रूप से राजनीति में भी युवाओं का व्यापक प्रतिनिधित्व अपेक्षित है। हालांकि कई पहलुओं के चलते यह संभव नहीं हो पा रहा है। वैसे, राजनीति में युवाओं के पर्याप्त प्रतिनिधित्व का अभाव केवल भारत में ही देखने को नहीं मिलता, बल्कि दुनिया के अधिकांश देशों में यही रुझान नजर आता है। एक अध्ययन के अनुसार प्रमुख लोकतांत्रिक देशों में 10 प्रतिशत से कम ही नेता 35 साल से कम आयु के हैं। भारत में भी यही परिपाटी जारी है। 1952 से 2024 के बीच गठित हुई लोकसभा पर दृष्टि डालें तो उसकी औसत आयु लगातार बढ़ती जा रही है। इस क्रम में मौजूदा लोकसभा की औसत आयु सर्वाधिक है। यह दर्शाता है कि राजनीतिक व्यवस्था में युवाओं का समायोजन उचित अनुपात में नहीं हो पा रहा है। इसके कारणों की पड़ताल में सबसे बड़ा पहलू यही सामने आता है कि राजनीति में प्रवेश ही अक्सर अधिक आयु में मिलता है। डाक्टर, इंजीनियर या अन्य सेवाओं में जहां व्यक्ति कम आयु में ही अपना कार्य शुरू कर देता है, वहीं राजनीति में यह सफर अपेक्षाकृत देर से शुरू होता है। अक्सर 40 से 45 की आयु में व्यक्ति राजनीतिक जीवन की पहली सीढ़ी चढ़ता है। 45 से 50 की आयु में वह पार्षद, विधायक या सांसद बनता है। मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जैसे शीर्ष पद तक पहुंचने में 60-65 साल की आयु हो जाना बहुत सामान्य बात है। यही कारण है कि राजनीति में 'उम्रदराज' लोगों को भी 'युवा तुर्क' की उपमा दी जाती है। एक बड़ी संख्या उन लोगों की भी है जो किसी अन्य पेशे में होते हैं और उसके साथ ही राजनीति में संलग्न रहते हैं।

यह सही है कि संविधान ने 25 वर्ष से अधिक आयु वाले किसी भी व्यक्ति को जनप्रतिनिधि चुने जाने की अर्हता निर्धारित की हुई है, पर वास्तविकता में यह संकल्पना व्यापक रूप से साकार नहीं हो सकी है। कुछ युवा नेता विधानसभा, लोकसभा और मंत्री पदों तक पहुंचे हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश या कहें कि 90 प्रतिशत ऐसे हैं जो किसी राजनीतिक परिवार से संबंध रखते हैं। ये अपनी पारिवारिक विरासत की पूंजी से ही स्वयं को स्थापित कर पाए हैं। देश में 35 साल से कम आयु के 90 प्रतिशत सांसद इसी श्रेणी में आते हैं। चुनाव लड़ने में भी युवा नेताओं की भागीदारी बेहद सीमित है। उदाहरणस्वरूप 2024 के लोकसभा चुनाव में 8,000 से अधिक प्रत्याशियों में 30 साल से कम आयु के गंभीर उम्मीदवार सौ भी नहीं थे। पार्टी संगठन में भी युवाओं को उचित समय पर जगह नहीं मिल पाती। देश की सभी मुख्य पार्टियों की युवा इकाइयों के प्रमुखों पर दृष्टि डालें तो लगभग सभी की उम्र 40 के आसपास है। प्रतिनिधित्व से इतर प्रदर्शन की बात करें तो इसे लेकर भी बहस हो सकती है कि इसमें उम्रदराज अनुभवी नेता बेहतर होते हैं या युवा नेता। इस संदर्भ में अध्ययन कुछ रुझानों को दर्शाते हैं।



अवधेश राजपूत

युवा नेताओं की कार्यशैली में नए सोच की झलक मिलती है। वे दीर्घकालिक एजेंडे पर काम करते हैं। जोखिम लेने से भी संकोच नहीं करते। कई बार इसके बहुत सकारात्मक परिणाम भी निकलते हैं। इसके उलट उम्रदराज नेता अपने अनुभवों के आधार पर आगे बढ़ते हैं। किसी आपदा या संकट के समय उनका अनुभव बहुत काम आता है। किसी तनाव या टकराव की स्थिति में भी वे कहीं अधिक संयम से काम लेते हैं। बजट प्राथमिकताओं की बात की जाए तो जहां युवा नेता इन्फ्रास्ट्रक्चर पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं, वहीं वरिष्ठ नेता कल्याणकारी योजनाओं को वरीयता देते हैं। संसदीय उपस्थिति और सक्रियता को देखें तो इसमें युवा नेता पिछड़ जाते हैं। कार्यवाही में उनकी भागीदारी और उपस्थिति दोनों ही वरिष्ठ नेताओं से कम है। यह सही है कि कार्यवाही के मामले में राजनीतिक दल अनुभव को प्राथमिकता देते हुए वरिष्ठ नेताओं को आगे करते हैं, पर युवा सांसदों को संसद में उपस्थिति होने से भला कौन रोक रहा है? संसद में 60 वर्ष से अधिक आयु के सांसदों की उपस्थिति जहां 80 प्रतिशत के आसपास है, वहीं 40 साल से कम आयु वाले सांसदों की 75 प्रतिशत से थोड़ी कम।

राजनीतिक नेतृत्व के मामले में उम्र से अधिक यह मायने रखना चाहिए कि कोई नेता महत्वपूर्ण दायित्व संभालने के लिहाज से उपयुक्त है या नहीं। चूंकि ऐसे लोगों को अहम फैसले लेने होते हैं, इसलिए उनका शारीरिक एवं मानसिक तौर पर स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। अमेरिका में जो बाइडन को दूसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी इसी कारण वापस लेनी पड़ी कि उनकी सेहत को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे थे। यही कारण है कि कुछ लोग यह सुझाव देते हैं कि जिम्मेदार पदों पर बैठे नेताओं का नियमित अंतराल पर स्वास्थ्य बुलेटिन जारी किया जाना चाहिए। इसके भी अपने जोखिम और सीमाएं हैं। एक तो नेता के स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी का असर राजनीतिक स्थिरता से लेकर आर्थिकी पर देखने को मिल सकता है। दूसरा, इसमें निजता का भी एक पेच है, क्योंकि किसी बीमारी की स्थिति में व्यक्तिगत गरिमा का भी ध्यान रखना पड़ता है। युवाओं को बेहतर प्रतिनिधित्व देने और राजनीति को समावेशी बनाने के लिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री जैसे पदों पर अधिकतम बार चुने जाने की संख्या को नियत करने पर विचार हो सकता है। हालांकि यह भी जनता के समक्ष विकल्पों को सीमित करने वाला होगा और यह कोई व्यापक समाधान भी नहीं करेगा। बेहतर यही होगा कि इस मोर्चे पर राजनीतिक दलों के भीतर और उम्रदराज नेताओं के बीच स्व-नियमन की कोई सर्वसम्मत राह तलाशी जाए, जिसमें पुराने नेताओं के अनुभव का लाभ मिलने के साथ ही युवाओं की ऊर्जा एवं नए सोच को भी राजनीति में सही जगह मिले।

(लेखक सेंटर फार पालिसी रिसर्च में फेलो एवं राजनीतिक विश्लेषक हैं)
response@jagran.com

# एडीएम को अंग्रेजी बोलना जरूरी क्यों है

राजीव सचान

**यह उत्तराखंड ही नहीं, देश का दुर्भाग्य है कि किसी अधिकारी का अंग्रेजी न बोल पाना उसकी अक्षमता समझी गई**

उत्तराखंड में दूसरे राज्यों के लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाने को लेकर दायर याचिका की सुनवाई करते हुए राज्य हाई कोर्ट ने पाया कि उसके समक्ष पेश नैनीताल के एडीएम प्रशासन विवेक राय ने माना कि वे अंग्रेजी समझ तो लेते हैं, लेकिन बोलने में दिक्कत होती है। नैनीताल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र और आलोक माहरा की खंडपीठ ने राज्य के मुख्य सचिव एवं राज्य निर्वाचन आयुक्त को यह जांचने का निर्देश दिया कि क्या अंग्रेजी न बोल पाने वाले अपर जिला मजिस्ट्रेट स्तर के किसी अधिकारी को कार्यकारी पद का प्रभावी नियंत्रण सौंपा जा सकता है? पता नहीं मुख्य सचिव क्या करेंगे। क्या वे एडीएम की अंग्रेजी बोलने की दक्षता परखेंगे या हाई कोर्ट के निर्देश के अनुसार उन्हें ऐसे किसी पद पर नियुक्त करेंगे, जहां अंग्रेजी बोलने की जरूरत न हो। चूंकि उत्तराखंड हिंदीभाषी राज्य है, इसलिए विवेक राय के लिए उपयुक्त पद की कमी न होगी, लेकिन यदि उन्हें अन्यत्र भेजा जाता है तो उनके मान-सम्मान को धक्का लग सकता है। लोग ऐसा कह सकते है कि ये वही अधिकारी हैं, जो अंग्रेजी नहीं बोल पाते। तमाम ऐसा भी कहेंगे कि आखिर उत्तराखंड विदेश में तो है नहीं। आखिर यहां अंग्रेजी बोलने की जरूरत क्यों है? अंग्रेजी समझ आ जाए तो ठीक है। सच तो यह है कि कुछ पूर्व प्रशासनिक अधिकारी, न्यायविद् और भाषाविद् समेत अन्य यह सवाल उठा रहे हैं कि भारत और खासकर हिंदी भाषी राज्य में अंग्रेजी बोलना जरूरी है या अपना काम सही तरीके से करना? कुछ लोग राज्य सरकार को सलाह दे रहे हैं कि उसे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर करनी चाहिए।

उत्तराखंड सरकार जो भी करे, ऐसा कहने वाले लोग अवश्य होंगे कि प्रशासनिक अधिकारी को अंग्रेजी बोलना तो आना ही चाहिए। यह बहस आगे चलती रहेगी, लेकिन यह अनुमान लगाया जा सकता है कि विवेक राय किसी हिंदी भाषी राज्य के होंगे और उन्होंने राज्य की प्रशासनिक सेवा की परीक्षा पास होगी। आम धारणा है कि यह परीक्षा पास करने वाले मेधावी होते हैं। वैसे यह जरूरी नहीं कि राज्यों की प्रशासनिक सेवा संबंधी परीक्षा या फिर संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा पास करने वाले सभी लोग प्रशासनिक रूप से दक्ष ही होते हैं। जब तक इन परीक्षाओं की पात्रता के मानदंड नहीं बदलते, तब तक हमें इन्हें पास करने वालों को काबिल ही मानना होगा। विवेक राय हाई कोर्ट के समक्ष यह कह सकते थे या उनकी ओर से मुख्य सचिव अब भी कह सकते हैं कि उत्तराखंड पीसीएस परीक्षा तो अंग्रेजी में देने की अनिवार्यता ही नहीं। हैरानी नहीं कि कोई यह कहने लगे कि अब उत्तराखंड पीसीएस परीक्षा में अभ्यर्थियों के अंग्रेजी ज्ञान को अच्छे से परखा जाए। ऐसी कोई मांग होती है तब उसका विरोध भी होगा, क्योंकि उत्तराखंड की तो भाषा हिंदी ही है और यहां तैनात अधिकारियों के लिए इतना बहुत है कि उन्हें अंग्रेजी समझ आ जाए और वे कामचलाऊ अंग्रेजी बोल लें।

चूंकि अपने देश में अंग्रेजी जानना नहीं, उसे बोलना योग्यता और श्रेष्ठता का परिचायक है इसलिए उसका हौवा है-आतंक है। अपने देश में अंग्रेजी को ज्ञान, बुद्धिमत्ता और काबिलियत की भाषा माना जाता है। इसके बावजूद माना जाता है कि जापान, फ्रांस, जर्मनी, चीन आदि ने बिना अंग्रेजी के अद्भुत प्रगति की। कई देश ऐसे हैं, जहां अंग्रेजी जानने-बोलने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि वहां लोग यह कथित अंतरराष्ट्रीय भाषा न बोलते हैं और न समझते हैं। यह सच है कि अंग्रेजी की अपनी महत्ता है। कोई अंग्रेजी जाने और बोल भी ले तो अच्छी बात है। आम तौर पर कूटनीति, व्यापार और तकनीक की भाषा मुख्यतः अंग्रेजी है, लेकिन एआइ के जमाने में अंग्रेजी जानना-बोलना जरूरी नहीं रह गया है, क्योंकि अब तुरंत अच्छा अनुवाद हो जाता है। शायद अपने देश में इस बात को अब भी नहीं समझा जाएगा, क्योंकि यहां धाराप्रवाह अंग्रेजी बोलना ही पर्याप्त नहीं। उसका लहजा भी ब्रिटिश या अमेरिकी होना चाहिए। यदि किसी का लहजा वैसा नहीं होता, जैसा कथित तौर पर होना चाहिए तो उसका मजाक उड़ता है, भले ही वह कितने ही उच्च पद पर हो या फिर कितना ही काबिल हो। ऐसा मुख्यतः केवल भारतीयों के साथ है, चीनी, जापानी या अफ्रीकी लोगों के साथ नहीं। चूंकि कई देशों की भाषाओं में त, थ, ध जैसे शब्द ही नहीं, इसलिए उनका लहजा अलग होता है। पश्चिम में तो यह अलग लहजा सामान्य समझा जाता है, पर भारत में असामान्य। इंडिया दैट इज भारत में अंग्रेजी बिन सब सून। अपने देश में लोग ठसक के साथ कहते हैं कि हिंदी या फिर उनकी अपनी मातृभाषा में उनका हाथ तंग है। वे हिंदी या फिर अन्य भारतीय भाषा बोले बिना उच्च पदों पर सुशोभित होते हैं। उन्हें कोई परेशानी भी नहीं होती।

यह थोथी बात है कि हिंदी अंग्रेजी के समकक्ष राजभाषा है। सच यह है कि उच्चतर अदालतों में अंग्रेजी का बोलबाला है। कहीं अनुवाद में गड़बड़ हो तो मूल अंग्रेजी ही मान्य होगा। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र आदि राज्यों के नेता हिंदी थोपने की फर्जी बात करके अपने राज्य की भाषा की अनदेखी करने के साथ अंग्रेजी के वर्चस्व को बढ़ाने का ही काम कर रहे हैं।

(लेखक दैनिक जागरण में एसोसिएट एडिटर हैं)
response@jagran.com



चर्चा में अंग्रेजी पर नैनीताल हाई कोर्ट की टिप्पणी। फाइल

## ऊर्जा

### ज्ञान की शक्ति

ज्ञान हमारे विवेक की कुंजी है। ज्ञान की शक्ति से हम अच्छे और बुरे का निर्धारण कर सकते हैं। अच्छाई के प्रति झुकाव और बुराई से अलगाव इसी ज्ञान के कारण संभव हो सकता है। ज्ञानवान व्यक्ति विनम्र और निष्कपट होता है। वह छल-छद्म और दंभ से दूर रहता है। ईमानदारी उसका सर्वश्रेष्ठ आभूषण होता है। ज्ञान का लालित्य उसे प्रज्ञावान बनाता है। उसकी बुद्धि प्रभावी एवं तीक्ष्ण होती है। ज्ञानवान व्यक्ति समाज एवं राष्ट्र की उन्नति के आधार बनते हैं। उनका व्यक्तित्व प्रखर एवं सर्वजन हिताय के सौंध से आप्लावित रहता है। ज्ञानवान बनना केवल पोथी पढ़ने से संभव नहीं है, अपितु इसके लिए मानस की पवित्रता, वाणी की शुद्धता एवं बुद्धि की निर्मलता होना अत्यंत आवश्यक है। पुस्तकें पढ़कर, तमाम प्रसंग रटकर और सिद्धांत बांचकर आप साक्षर अथवा स्वयं को पढ़ा-लिखा घोषित कर सकते हैं, परंतु आप ज्ञानवान तभी कहला सकते हैं जब आप अध्ययन के बाद मनन और उसके वास्तविक प्रदर्शन में सक्षम हो सकें। नीति और अनीति का भेद करना आप जान सकें। सकारात्मकता एवं नकारात्मकता में निहित भावों को महसूस कर सकें।

रावण को शास्त्रों की गहन जानकारी थी, परंतु अहंकार के चलते वह ज्ञान निरर्थक होकर रह गया। रावण का बुद्धि कौशल उसे धर्म और अधर्म में भेद करना नहीं सिखा पाया। वह संपूर्ण जीवन अनीति का आश्रय लिए रहा। वह ज्ञान के उजास को कभी अनुभव ही नहीं कर पाया। उसने ज्ञान के तेज को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, जिससे वह अज्ञानता के दलदल में दबा रहा। इसलिए यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम विवेकपूर्ण तरीके से अपनी शिक्षा की सामर्थ्य को पहचानें। उसे अंगीकार करें। नकारात्मकता से दूर रहकर सुनीति का सामीप्य प्राप्त करें। धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ें। तभी हम ज्ञानवान कहला सकेंगे।

ललित शौर्य

# धूल भरी आंधियों से सुरक्षा जरूरी

सुधीर कुमार

विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा हाल ही में जारी वार्षिक 'एयरबोर्न डस्ट बुलेटिन' के अनुसार, हर साल दुनिया भर के 150 देशों की 33 करोड़ से अधिक आबादी रेत और धूल के तूफानों का सामना करती है। धूल भरी आंधी केवल एक सामान्य मौसमी परिघटना नहीं है, बल्कि यह मानव स्वास्थ्य, परिवहन सेवाओं और कृषि सहित अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर बहुत गहरा प्रभाव डालने वाला कारक है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, धूल भरी आंधियों में शामिल रेत और धूल के कण हर साल लगभग 70 लाख लोगों की अकाल मृत्यु का कारण बनते हैं। रेत और धूल के ये कण न केवल मानव स्वास्थ्य और जीवन पर असर डालते हैं, बल्कि खेतों में खड़ी फसलों के लिए भी खतरा बनते हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन का अनुमान है कि जिन क्षेत्रों में धूल भरे तूफानों की आवृत्ति अधिक है, वहां फसलों की पैदावार में 25 प्रतिशत तक की कमी आ सकती है। विशेषकर शुष्क और अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में मौसम में बदलाव के दौरान धूल भरी आंधियों का उठना एक सामान्य भौगोलिक घटना है। देश के रेगिस्तानी क्षेत्रों में यह लगभग हर दिन की एक सामान्य घटना है। वहीं, उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में गर्मी के दिनों में धूल भरी आंधियों का चलना भी सामान्य सी बात है।

जब ये तूफान उठते हैं, तो वे मिट्टी से रेत और धूल को वायुमंडल में फैला देते हैं। इस दौरान धूलकण सैकड़ों किलोमीटर दूर तक की यात्रा करते हैं, जिससे दृश्यता कम हो जाती है और आवागमन प्रभावित होता है। प्रभावित आबादी को इस दौरान श्वसन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। खुले आसमान के नीचे काम करने वाले श्रमिकों को इससे कार्य करने में कठिनाई होती है। इस प्रकार, धूल भरी आंधियां अर्थतंत्र को भी बड़ा नुकसान पहुंचाती हैं। विश्व बैंक का अनुमान है कि धूल से होने वाली वैश्विक कल्याण हानि 1990 में 2.2 खरब डालर से बढ़कर 2013 में लगभग 3.6 खरब डालर हो गई।

मरुस्थलीकरण, अतिचारण, अवैज्ञानिक कृषि पद्धतियां, वनोन्मूलन और जलवायु परिवर्तन जैसे कारकों के कारण वनस्पति आवरण में गिरावट आती है, जिससे मिट्टी की पकड़ कमजोर पड़ जाती है और इसके कण तेज हवाओं में आसानी से उड़ने लगते हैं। हालांकि धूल भरी आंधी एक प्राकृतिक परिघटना है, लेकिन मृदा संरक्षण के उपायों को अपनाकर उड़ने वाली रेत और धूल की मात्रा को नियंत्रित किया जा सकता है। इसके लिए वनीकरण को बढ़ावा, मृदा अपरदन पर रोक और पशुचारण पर नियंत्रण जैसे उपाय करने होंगे। आंधी-तूफान को पूरी तरह से रोका नहीं जा सकता, लेकिन मानवीय गतिविधियों को नियंत्रित कर इसके दुष्प्रभावों से बचा जा सकता है।

(लेखक बीएचयू में शोधार्थी हैं)

> धूल भरी आंधियों में शामिल रेत और धूल के कण हर साल लगभग 70 लाख लोगों की अकाल मृत्यु का कारण बनते हैं

## मेलबाक्स

### आतंकवाद पर दोहरे मानदंड

'गाजा संकट पर मूकदर्शक मोदी सरकार' शीर्षक से लिखे आलेख में सोनिया गांधी ने गाजा में सक्रिय आतंकी संगठन हमास की निर्दयता और क्रूरता को अनदेखा कर जिस कड़े अंदाज में मोदी सरकार को लपेटते हुए इजरायली प्रतिकार की निंदा की है, वह उनके दोहरे मानदंडों को ही दर्शाती है। चारों ओर से ताकतवर दुश्मन इस्लामिक देशों से घिरा हुआ छोटा सा यहूदी देश इजरायल यदि अपने साहस और शौर्य से इन इस्लामिक देशों के छद्म युद्ध का मुकाबला कर पा रहा है तो केवल इसलिए कि वह हमलावर दुश्मन पर सख्ती में संकोच नहीं करता। इजरायल के एक हजार से अधिक निर्दोष नागरिकों की अकारण निर्मम हत्या के बाद सैकड़ों नागरिकों को बंधक बनाकर गाजा ले जाने वाले आतंकी संगठन हमास को इस तरह का अमानवीय कृत्य करने से पूर्व इजरायल के घातक प्रतिशोध की बात भी ध्यान में रखनी चाहिए थी। हालांकि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमास की क्रूरता का दंड निर्दोष फलस्तीनी नागरिकों को भी भुगतना पड़ रहा है। इजरायल में भारत जैसी सहनशीलता नहीं है, जो दशकों से पाकिस्तान द्वारा पोषित जिहादी आतंकवाद के घातक दंश को बर्दाश्त कर रहा है। हालांकि अब आतंकवाद को लेकर भारत की नीति और नियम भी बदले हैं, वह गोली का जवाब गोले से दे रहा है। भारत के 'आपरेशन सिंदूर' ने यह साबित भी कर दिखाया। इस बीच यह भी अफसोस की बात है कि पराक्रम से भरे इस अभियान के बाद कांग्रेस के कुछ नेताओं के बयान ऐसे रहे जो पाकिस्तान को ज्यादा रास आए। यह स्पष्ट है कि आतंकवाद के संदर्भ में अब भारत और इजरायल की नीति एक जैसी है, फर्क बस इतना है कि शांतिप्रिय भारत प्रतिकार स्वरूप केवल लक्ष्य को भेदने वाली संक्षिप्त सैन्य कार्रवाई करता है, जबकि इजरायल आर-पार की लड़ाई में सक्रिय रहता है। ऐसे में, यह मानकर मोदी सरकार को कठघरे में खड़ा करना उचित नहीं है कि शांति और मानवता का पक्षधर भारत फलस्तीनी नागरिकों की रक्षा के लिए इजरायल पर दबाव नहीं बना रहा है। अंतरराष्ट्रीय मंचों से प्रधानमंत्री मोदी ने युद्धरत देशों के राष्ट्राध्यक्षों से युद्ध को छोड़कर बुद्ध के शांति मार्ग को अपनाने की बात कही है।

डा. वीपी पाण्डेय, अलीगढ़ (उ.प्र.)

### कुत्तों के आक्रामक होने का कारण

विजय गोयल का आलेख 'आवारा कुत्तों के आतंक से बेबस जनता' एक स्वाभाविक चिंता को उजागर करता है। इसमें देश के नगर निगमों के पास कुत्तों की संख्या नियंत्रित करने के लिए एनिमल बर्थ कंट्रोल योजना का जिक्र भी किया गया तो साथ ही केरल में तो सरकार इन आवारा कुत्तों को यूथेनेशिया (जहर) देकर इनकी जीवन लीला समाप्त करने की तैयारी कर रही है। लेकिन इसका समाधान केवल नसबंदी या इनकी जीवन लीला समाप्त करना नहीं है। इस धरती पर सभी जीवों को स्वतंत्रता का अधिकार है। किसी भी प्राणी या विशेष रूप कुत्तों को पकड़ना या उनकी संख्या कम करना समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि इससे इकोसिस्टम प्रभावित हो सकता है। पर्यावरण खतरे में पड़ जाएगा। यह बात हमारे मन-मस्तिष्क में होनी चाहिए कि कोई भी प्राणी बिना कारण मानव पर आक्रमण नहीं करता। प्राणी व्यवहार विज्ञानियों ने इसके पीछे सामाजिक और वैज्ञानिक कारण बताए हैं। जैसे, शहरीकरण के कारण प्राणियों को रहने की जगह नहीं मिलती, जिससे वे सड़कों पर आ जाते हैं। कुत्ते, विशेषकर झुंड में रहने वाले, अपने परिवार की सुरक्षा करते हैं। यदि उन्हें अपने झुंड के सदस्यों को खतरा महसूस होता है, तो वे आक्रमक हो सकते हैं और यदि वे बीमार होते हैं तो आक्रमक होकर अपने दांतों का उपयोग कर काटते हैं। अंततः इन अबोध प्राणियों के प्रति और विशेष रूप से कुत्तों के प्रति सहानुभूति और सुरक्षा का कार्य करना आवश्यक है। इससे ये निर्दोष प्राणी मानव के आक्रोश का कारण नहीं बनेंगे। हमें उनके प्रति संवेदनशील रहना चाहिए। बेहतर यही होगा कि हम कोई मध्यमार्ग अपनाकर बेसहारा कुत्तों का भी सहारा बन सकें और उनके कारण किसी मानव को कोई क्षति न पहुंचे, यह भी सुनिश्चित करें।

anghvipk1955@rediffmail.com

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।
अपने पत्र इस पते पर भेजें:
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: response@jagran.com

संस्थापक- स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक- स्व. नरेन्द्र मोहन, चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर- महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक- संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए; नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष: नई दिल्ली कार्यालय: 011-43166300, नोएडा कार्यालय: 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

बाढ़ प्राकृतिक घटना है, लेकिन इससे होने वाले नुकसान के लिए मानवीय कृत्य जिम्मेदार हैं। -गिलबर्ट एफ व्हाइट

**आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, देश के औद्योगिक उत्पादन का पिछले दस महीने के निम्नतम स्तर पर पहुंचना वाकई खतरे की घंटी है। बेशक आसन्न त्योहारी मौसम उपभोक्ता मांग को लेकर सकारात्मक संकेत दे रहा है, लेकिन फिलहाल की स्थिति नीति-निर्माताओं से गंभीर विचार-विमर्श की मांग तो करती ही है।**

# खतरे की घंटी

भारतीय अर्थव्यवस्था की धड़कन कहे जाने वाले औद्योगिक क्षेत्र से जून महीने के जो आंकड़े आए हैं, वे चिंताजनक हैं। सरकार द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, देश का औद्योगिक उत्पादन मात्र डेढ़ फीसदी की वृद्धि दर के साथ पिछले दस महीने के निम्नतम स्तर पर पहुंच गया है। ज्यादा चिंता इसको लेकर है कि यह आंकड़ा मई 2025 की संशोधित वृद्धि दर 1.9 फीसदी से कम है और पिछले वर्ष जून में दर्ज 4.9 फीसदी की वृद्धि की तुलना में भी काफी कमजोर है। लिहाजा यह गिरावट अर्थव्यवस्था के समग्र स्वास्थ्य पर प्रश्नचिह्न लगाने के साथ रोजगार और निवेश जैसे महत्वपूर्ण मोर्चों पर भी दबाव पड़ने की आशंका दर्शाती है। दरअसल, अप्रैल-जून में अत्यधिक बारिश के कारण खनन क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियां धीमी रहीं। इसके अलावा, भारी बारिश के कारण तापमान में भी गिरावट आई, जिससे बिजली की मांग कम हो गई, नतीजतन इसका असर बिजली उत्पादन पर भी पड़ा। हालांकि, बुनियादी ढांचा और निर्माण सामग्री क्षेत्र में अपेक्षया वृद्धि ने कुछ सकारात्मक संकेत दिए हैं, जो मुख्यतया सरकारी पूंजीगत व्यय से प्रेरित हैं। कमजोर औद्योगिक उत्पादन घरेलू और विदेशी, दोनों निवेशकों को हतोत्साहित कर सकता है, जिससे पूंजी निवेश में गिरावट आ सकती है, जो दीर्घकालिक आर्थिक विस्तार के लिए महत्वपूर्ण है। सुस्त आर्थिक वृद्धि से सरकार के कर राजस्व में कमी आ सकती है, जिससे सामाजिक कार्यक्रमों व बुनियादी ढांचे के विकास के लिए धन उपलब्ध कराने की उसकी क्षमता पर असर पड़ सकता है। औद्योगिक उत्पादन में कमी से उपभोक्ता मांग में भी कमी आ सकती है। लेकिन अच्छी बात है कि मुद्रास्फीति में लगातार कमी, मानसून की बेहतर स्थिति और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नीतिगत दरों में की गई कटौती से आने वाले दिनों में मांग बढ़ने के संकेत हैं। चूंकि, आगे त्योहारी मौसम भी आने वाला है, इसलिए उपभोक्ता मांग को लेकर सकारात्मक संकेत हैं। फिर भी आने वाले महीनों में मांग और निवेश, दोनों के रुझानों पर कड़ी



नजर रखने की जरूरत होगी, क्योंकि सार्वजनिक निवेश का उत्साह बरकरार रहने के बावजूद निजी पूंजीगत व्यय में अब तक कोई खास वृद्धि नहीं दिखी है। अगले कुछ महीनों में औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार और केंद्रीय बैंक को समन्वित प्रयास करने होंगे। ब्याज दरों में कमी और कर-राहत जैसे उपाय मांग को बढ़ा सकते हैं, जबकि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश को और तेज करना होगा। अमेरिकी टैरिफ की आशंकाओं और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच भारत को अपनी निर्यात नीति को मजबूत करना चाहिए, ताकि औद्योगिक क्षेत्र को बाहरी मांग से सहारा मिल सके। लक्षित राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों के साथ ही संरचनात्मक सुधारों से अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जा सकता है।

# बारिश में थमते शहर

**अमेरिका में आई बाढ़ की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर देखकर उनकी बदहाली पर तंज कसने के बजाय उससे सबक लेने की जरूरत है। भारत के कुछ शहरों में सामान्य बारिश में ही आधी से ज्यादा यातायात व्यवस्था चरमरा जाती है। तूफान आने पर क्या होगा, इसकी कल्पना ही डराती है।**

इस मानसून में भी भारतीय शहर लगभग पानी में डूबे हुए हैं। सड़कें नदियां बन गई हैं, तो घर दलदल और कहीं बाहर जाना, तो बड़े साहस का काम जैसा लगता है। शहरी बाढ़ अब वार्षिक कहानी बन गई है और जलवायु परिवर्तन ने इसकी तीव्रता को बढ़ा दिया है। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, पुणे के अग्रणी जलवायु वैज्ञानिक डॉ. रॉक्सी कोल सीधे शब्दों में कहते हैं, 'जलवायु पूर्वानुमान भविष्य में होने वाले औसत परिवर्तन की एक सीमा के साथ आते हैं। यह इसकी भविष्यवाणी नहीं करता कि यह कब होगा, बल्कि यह बताता है कि भविष्य में चरम मौसमी घटनाओं की विशेषताएं क्या होंगी।' मतलब साफ है कि शहर भयानक बाढ़ों के लिए हमेशा तैयार रहें, न कि सिर्फ यह अनुमान लगाएं कि वे आएंगी।



पत्रलेखा चटर्जी
वरिष्ठ पत्रकार

इस महीने की शुरुआत में अमेरिका के न्यूयॉर्क में आई बाढ़ की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर साझा करते हुए कुछ भारतीयों ने तंज किया कि वैश्विक महाशक्तियां भी पानी में डूब जाती हैं, लेकिन न्यूयॉर्क की इस बदहाली का मजाक उड़ाने के बजाय हमें इससे गहरे सबक लेने की जरूरत है। अगर न्यूयॉर्क के हालात बदतर हुए, तो इसका कारण यह है कि वहां की पुरानी जल निकासी व्यवस्था को आधुनिक बारिश के हिसाब से तैयार नहीं किया गया था। यही बात भारत के शहरी बुनियादी ढांचे पर भी लागू होती है। ज्यादातर आबादी अनियोजित ढंग से बने आवासों में निवास करती है, इसलिए वे ज्यादा असुरक्षित हैं।

भारतीय शहर विकास के इंजन हैं। ये देश की जीडीपी में 63 फीसदी का योगदान देते हैं, जिसके वर्ष 2050 तक 75 फीसदी तक पहुंचने का अनुमान है। उस समय तक मौजूदा शहरी आबादी का दोगुना यानी 95.1 करोड़ लोग शहरों में रहने लगेंगे। वे 70 फीसदी नई नौकरियां पैदा करेंगे व दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप ईकोसिस्टम की मेजबानी करने वाले नवाचार का केंद्र होंगे, लेकिन वे तीव्र जलवायु तनाव का भी सामना करेंगे।

बरसाती बाढ़ में जब जल निकासी की व्यवस्था चरमरा जाती है। घटती हरियाली और शहरों के अनियंत्रित फैलाव के चलते भारी बारिश से



जलभराव की समस्या पैदा होती है। विश्व बैंक की नई रिपोर्ट, 'टुवाड्‌र्स रिजिल्यंट एंड प्रॉस्परस सिटीज इन इंडिया', जिसे केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने तैयार किया है, स्पष्ट रूप से बताती है कि अभी शहरी बाढ़ की वजह से प्रतिवर्ष करीब चार अरब डॉलर का नुकसान होता है। 2070 तक यह नुकसान बढ़कर 14 से 30 अरब डॉलर पहुंच सकता है और करीब 4.6 करोड़ लोग मुसीबत में पड़ सकते हैं। और ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं। मुंबई में बाढ़ संभावित क्षेत्रों का किराया बीस से पच्चीस फीसदी कम है, जो गरीब परिवारों के जीवन को संकट में डालता है। कोलकाता में आधे से ज्यादा नागरिक सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रहते हैं। एक तूफान सब कुछ तबाह कर सकता है।

विश्व बैंक की रिपोर्ट में बताया गया है कि 'शहरी बाढ़ शहर के सड़क नेटवर्क पर गहरा असर डालती है। यहां तक कि सिर्फ दस या बीस फीसदी सड़कें जलमग्न होने पर कुछ शहरों की आधी से ज्यादा यातायात व्यवस्था गड़बड़ा जाती है। भारतीय शहर पहले से ही जलापूर्ति, सार्वजनिक परिवहन, पार्क, सीवरेज, आवासीय संकट तथा ठोस कचरा संग्रहण और उसके निष्पादन की बढ़ती मांग को पूरा करने की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। खराब वायु गुणवत्ता और गहराता जल संकट शहरों को प्रभावित करने वाली अन्य महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं। कई शहरों में बड़े पैमाने पर नया शहरी विकास शहर के बाहरी इलाकों में हो रहा है, जिससे लचीली सेवाओं और बुनियादी ढांचे का समन्वय और वितरण चुनौतीपूर्ण हो रहा है।'

ऐसे में काम पर जाना या अस्पताल पहुंचना मुश्किल होता है। फिर भी, कुछ उम्मीदें बाकी हैं। कुछ शहर इन समस्याओं को पीछे धकेल रहे हैं। अहमदाबाद का हीट एक्शन प्लान पूर्व चेतावनी प्रणालियों को मजबूत करता है और बाहरी श्रम कार्यक्रमों को समायोजित करता है। कोलकाता ने शहर स्तर पर बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली शुरू की है। इंदौर ने अपने कचरा प्रबंधन में सुधार कर पर्यावरण संरक्षण के साथ ही नए रोजगार पैदा किए हैं। चेन्नई की जलवायु कार्य योजना विस्तृत जोखिम आकलन के जरिये अनुकूलन और निम्न-कार्बन विकास को लक्ष्य बनाती है। ये प्रयास दर्शाते हैं कि जलवायु कार्रवाई शहरी स्तर पर संभव है और प्रभावी भी।

हालांकि, भारत का अभी काफी शहरीकरण होना बाकी है, जिसका मतलब है कि हमारे पास अब भी बेहतर करने का अवसर है। बाढ़ प्रभावित और शहर के बाहरी इलाकों में अनियोजित विकास जोखिम बढ़ा रहा है। वर्ष 1985 से 2015 के बीच बरसाती बाढ़ में 131 फीसदी की वृद्धि देखी गई। कभी कम जोखिम वाले शहर (हैदराबाद, बंगलूरू, इंदौर) अब नियमित रूप से बाढ़ का सामना कर रहे हैं। नदियों के किनारे बसे दिल्ली और सूरत जैसे शहरों में बाढ़ का पानी निचले इलाके में जाने से छोटे शहरों में जोखिम बढ़ रहा है। जाहिर है, इससे निपटने में ऊंची दीवारें और गहरी नालियां काम नहीं आएंगी। भविष्य की चरम स्थितियों के बारे में डॉ. कोल की चेतावनी जलवायु-स्मार्ट शहरी डिजाइन की मांग करती है : पानी निकासी योग्य फुटपाथ, दलदली भूमि की वापसी और हरियाली का विस्तार। जल निकासी प्रणालियों को उन्नत करने की जरूरत है और हमें बाढ़ क्षेत्रों में निर्माण कार्य रोकना होगा।

अभी जो स्मार्ट सिटी अभियान और हीट एक्शन प्लान चल रहे हैं, उन्हें और समृद्ध करने की जरूरत है। अनौपचारिक बस्तियां-जहां 6.55 करोड़ लोग रहते हैं-की सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये क्षेत्र अक्सर उच्चतम जोखिम वाले होते हैं। बुनियादी ढांचे को उन्नत करना सिर्फ समानता लाना नहीं है, बल्कि उस कार्यबल को सुरक्षित करना है, जो शहरी भारत को ताकत प्रदान करता है। आर्थिक दृष्टि से यह एक जीत है, शहरों को बाढ़ से बचाने से अरबों रुपये की बचत होती है और विकास का इंजन चलता रहता है।

मानसून हमें प्रकृति की शक्ति और उसे सहने की हमारी क्षमता की याद दिलाता है। भारतीय शहर चौराहे पर खड़े हैं। जलवायु परिवर्तन में या तो हम अपने शहरी सपनों को डूबने दे सकते हैं, या फिर ऐसे लचीले शहरों का निर्माण कर सकते हैं, जो बारिश में भी आगे बढ़ते रहें। हमें कैसा शहर चाहिए, यह हमें ही तय करना है, लेकिन हमारे पास समय कम है। भारत को ऐसे शहरों का निर्माण करने की जरूरत है, जो मानसून में न सिर्फ बचे रहें, बल्कि फलते-फूलते भी रहें।

edit@amarujala.com

## जीवन धारा



बेनेडिक्ट स्पिनोजा

प्रकृति में कुछ भी संयोगवश नहीं होता। जो संयोग जैसा लगता है, वह हमारी जानकारी की कमी के कारण है। हर चीज एक व्यवस्था में बंधी है। जीवन को इस नजरिये से देखें, हर घटना, हर अनुभव एक सबक है।

# जीवन को हर पल जीवंतता के साथ जिएं

*तर्क और ज्ञान के माध्यम से दुनिया को समझना एक संपूर्ण जीवन जीने की कुंजी है। जब हम अपने आसपास की दुनिया को समझते हैं, तो अपने डर, संदेह और बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। स्वतंत्रता का मतलब है अपनी भावनाओं और इच्छाओं को समझना और उन्हें तर्क की रोशनी में जीना। जितना अधिक हम खुद को और अपनी भावनाओं को समझेंगे, उतना ही हम उससे प्रेम करने लगेंगे। अपनी खुद की दुनिया को जानने के लिए अंतस की यात्रा करें, यह बाहरी दुनिया से अलग होकर अपने भीतर से जुड़ने, अपने विचारों, भावनाओं और प्रेरणाओं का अन्वेषण करने के बारे में है। अपने विचारों, खुशियों और दुखों को गहराई से देखें। खुशी कोई बाहरी पुरस्कार नहीं है। यह तब मिलती है, जब हम तर्क और नैतिकता के साथ जीते हैं।*



*जब हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करते हैं, तब हम जीवन की सुंदरता का आनंद लेते हैं। जीवन में प्रेम, करुणा और समझ के साथ हम पाएंगे कि खुशी हमारे भीतर ही खिल रही है। शांति युद्ध की अनुपस्थिति नहीं, यह एक मनःस्थिति है, जिसमें दया, विश्वास और न्याय बसता है। लोग शांति को केवल युद्ध की समाप्ति समझते हैं, लेकिन यह मन की शांति है, जो तब आती है, जब हम दूसरों के प्रति प्रेम और न्याय के साथ जीते हैं। अपने जीवन में शांति लाने के लिए दूसरों के प्रति दया और समझ को विकसित करना बेहद जरूरी है। जो व्यक्ति स्वतंत्र है, वह मृत्यु के बारे में सबसे कम सोचता है और उसका ज्ञान मृत्यु पर नहीं, बल्कि जीवन पर केंद्रित रहता है। जितना ज्यादा आप जीने के लिए संघर्ष करेंगे, उतना ही कम जिएंगे। इसलिए, यह धारणा छोड़ दें कि आपको जो करना है, उसके बारे में हमेशा निश्चित होना जरूरी है। हर समय सौ फीसदी सुनिश्चित होने की आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय, अपने भीतर जो वास्तविक है, उसके प्रति समर्पित हो जाएं, क्योंकि केवल वही निश्चित है।*

*जीवन को हर पल जीवंतता के साथ जिएं। हर सूर्योदय, हर विचार, हर मुस्कान को गले लगाएं। प्रकृति में कुछ भी संयोगवश नहीं होता। जो संयोग जैसा लगता है, वह हमारी जानकारी की कमी के कारण है। हर चीज एक व्यवस्था में बंधी है। अपने जीवन को इस नजरिये से देखें, हर घटना, हर अनुभव एक सबक है। इसे समझने की कोशिश करेंगे, तो भीतर का डर गायब हो जाएगा। दूसरों के प्रति सहानुभूति रखें, और जीवन में प्रेम और एकता को बढ़ावा दें। अच्छा जीवन आसान नहीं है। यह तर्क, धैर्य और आत्म-अनुशासन मांगता है। लेकिन यही इसकी सुंदरता है। सच्ची स्वतंत्रता तब मिलती है, जब हम अपनी इच्छाओं को तर्क के अधीन करते हैं। अपने लक्ष्यों के लिए मेहनत करें, यह संघर्ष ही हमें समृद्ध बनाता है। अपने जीवन में प्रेम को चुनें। घृणा हमें बांधती है, लेकिन प्रेम हमें मुक्त करता है। मन को बल से नहीं, बल्कि प्रेम और उच्च विचार से जीता जा सकता है। अपने अनुभवों से सीखें, अपने विचारों को तर्क की कसौटी पर कसें, और अपने जीवन को प्रेम और समझ के साथ जिएं।*

## अपने भीतर की यात्रा करें

सूत्र

*जीवन को पूर्णता में समझने के लिए अपनी भावनाओं को समझना बेहद जरूरी है। स्वतंत्रता, प्रेम और खुशी-ये सभी स्वयं को जानने से ही प्रकट होते हैं। जैसे आप किताबों में मौजूद अक्षरों को ध्यान से पढ़ते हैं, उसी प्रकार स्वयं को एकदम ध्यान से समझें। अपने भीतर की यात्रा करें।*

## दूसरा पहलू

माना जाता है कि तांबा खदान के खनिकों ने पहिये का आविष्कार किया होगा, पर किसने किया, यह रहस्य बरकरार है।

# पहिये का आविष्कार और उसका रहस्य

**कल्पना** करें कि आप 3,900 ईसा पूर्व दक्षिण-पूर्वी यूरोप में तांबे की खदान में काम करने वाले खनिक हैं। आप रोज खदान की गर्म व अंधेरी सुरंगों में तांबे का अयस्क ढोते हैं। एक दिन आप अपने साथी को एक अजीब उपकरण के जरिये तीन गुना ज्यादा अयस्क एक ही बार में ले जाते हुए देखते हैं। हम जिस अजीब उपकरण की बात कर रहे हैं, वह 'पहिया' था। लेकिन पहिये का आविष्कार किसने किया, यह आज भी रहस्य है। तांबा खदान की कहानी 2015 के एक सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें कहा गया कि लगभग 6,000 साल पहले, आज के हंगरी में कारपैथियन पहाड़ों के खनिकों ने अयस्क ढोने के लिए पहिये का आविष्कार किया।



काई जेम्स

एक सिद्धांत है कि पहिया लकड़ी के रोलर्स से विकसित हुआ। 1960 के दशक से कुछ शोधकर्ताओं ने इस सिद्धांत पर गंभीर सवाल उठाए।

लंबे समय तक माना जाता था कि पहिया लकड़ी के रोलर्स से विकसित हुआ। 1960 के दशक से कुछ शोधकर्ताओं ने इस सिद्धांत पर गंभीर सवाल उठाए। लेकिन खदान, जिसमें मानव निर्मित बंद रास्ते हों, रोलर्स के अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करतीं। अन्य बातों के अलावा इसने मेरी टीम को रोलर्स सिद्धांत पर फिर से विचार करने के लिए बाध्य किया। रोलर्स से पहियों तक पहुंचने के लिए दो प्रमुख नवाचारों की जरूरत है। पहला, माल ढोने वाली गाड़ी में बदलाव। गाड़ी के आधार पर अर्धवृत्ताकार सॉकिट लगाए जाने चाहिए, जो रोलर्स को अपनी जगह पर बनाए रखें। इस तरह, जब गाड़ीवान गाड़ी को खींचता है, तो रोलर्स भी उसके साथ खिंचते हैं। सॉकिट वाले रोलर्स की खोज पहिये के विकास में महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई।

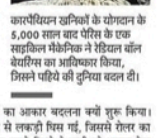



कारपैथियन खनिकों के योगदान के 5,000 साल बाद पेरिस के एक साइकिल मैकेनिक ने रेडियल बॉल बेयरिंग्स का आविष्कार किया, जिसने पहिये की दुनिया बदल दी।

अगले चरण में रोलर्स में भी बदलाव हुआ। यह साफ नहीं है कि खनिकों ने रोलर्स का आकार बदलना क्यों शुरू किया। संभावना है कि रोलर व सॉकिट के बीच घर्षण से लकड़ी घिस गई, जिससे रोलर का हिस्सा पतला हो गया हो। कारण जो भी हो, इस पतले हिस्से ने गाड़ी को धक्का देना आसान बना दिया। समय के साथ इसका डिजाइन बेहतर होता गया। धीरे-धीरे रोलर्स इतने पतले हो गए कि सिर्फ एक पतली पट्टी ही बची, जिसके दोनों सिरों पर बड़े गोल डिस्क थे। यही था 'पहिए का जन्म।' हमारी थ्योरी के मुताबिक, पहिये का आविष्कार एक धीमी प्रक्रिया थी, जिसमें कई छोटे-छोटे सुधार हुए। कारपैथियन खनिकों के योगदान के 5,000 साल बाद पेरिस के एक साइकिल मैकेनिक ने रेडियल बॉल बेयरिंग्स का आविष्कार किया, जिसने पहिये की दुनिया बदल दी। पहिये के आविष्कार की कहानी इसके गोल आकार की तरह घुमावदार है, जिसका कोई स्पष्ट आरंभ और अंत नहीं है, हां, रास्ते में अनगिनत चक्कर जरूर हैं। *(-द कन्वर्सेशन से)*

## आंकड़े

### कुत्तों से खतरा

देश में कुत्तों के काटने के मामले वर्ष 2021 और 2022 के बीच कम हो गए थे, लेकिन पिछले दो वर्षों में फिर से इसमें वृद्धि हुई है।

| वर्ष | मामले |
|---|---|
| 2020 | 46,33,493 |
| 2021 | 17,01,133 |
| 2022 | 21,89,909 |
| 2023 | 30,52,521 |
| 2024 | 37,15,713 |

आंकड़े कुत्तों द्वारा एक साल में इन्सानों को काटे जाने के | स्रोत : IDSP-IHIP

ऋषि वृतीनारायण से उनकी भाभी ने कहा कि महात्मा बनने से घर का काम कैसे चलेगा? इसके बाद उन्होंने जो लीला दिखाई, उसे देखकर सब चमत्कृत रह गए।

# भक्ति का चमत्कार

ऋषि वृतीनारायण जी के बारे में कहते हैं कि वह अपनी माता को पीड़ा पहुंचाए बिना पांच वर्ष तक पेट में ही निवास करते रहे। जब उनका जन्म हुआ, तो उनके शरीर पर कई अद्भुत चिह्न थे। बचपन से ही वह लोगों को आकर्षित करते थे। अपने मित्रों के साथ खेलते समय भी वह भगवान की लीलाओं का अनुकरण करते। उम्र बढ़ने के साथ-साथ उनका भगवान के प्रति लगाव और गहरा हो गया।

उनकी यह वृत्ति देखकर आसपास के लोगों और परिवार वालों ने उनका विवाह करा दिया, ताकि वह संन्यासी न बनें, लेकिन विवाह के बाद भी उनका अधिकांश समय ध्यान-समाधि में ही बीतता। परिवार वालों को लगा कि शादी के बाद भी उनकी वृत्ति में कोई बदलाव नहीं आया। एक दिन उनकी भाभी ने उन्हें खूब बुरा-भला सुनाया और कहा, 'महात्मा बनने से घर का काम कैसे चलेगा?' ध्यान में बैठे ऋषि वृतीनारायण जी उसी समय अपने आसन के नीचे से रुपयों की थैलियां निकालकर चारों तरफ फेंकने लगे। एक साथ इतने सारे रुपये देखकर आश्चर्यचकित भाभी ने उनसे क्षमा मांगी। इसके बाद परिवार को उनकी भगवद्भक्ति का सत्य समझ आया। ऋषि वृतीनारायण जी बोले, 'ये रुपये जरूरतमंद लोगों में बांट दीजिए।' इसके बाद उनके परिजन घर-गृहस्थी के कामों के साथ भगवान की भक्ति करने लगे।



अंतर्यात्रा
संकलित

अमर उजाला

पुराने पन्नों से — 30 जुलाई, 1954

## स्वेज समझौते पर ब्रिटिश लोकसभा में बहस

ब्रिटेन की लोकसभा में स्वेज समझौते और साइप्रस को स्वशासन देने तथा वहां पर ब्रिटिश फौजी अड्डे बनाने के प्रश्न को लेकर कई सदस्यों द्वारा सरकार की कड़ी आलोचना की गई।

# हिंसक भाषा बोध और सहिष्णुता

**महाराष्ट्र के राज्यपाल भले ही तमिलभाषी हों, पर मराठी गौरवबोध के बहाने जारी भाषा विवाद में हस्तक्षेप करके उन्होंने अपने दायित्वबोध को ही जाहिर किया है।**

उमेश चतुर्वेदी | मुद्दा

आमची मराठी बोध को लेकर जारी सियासी खींचतान के बीच आए राज्यपाल के बयान को लेकर विवाद नहीं होता, तो आश्चर्य ही होता। मराठी स्वाभिमान के बहाने हिंदीभाषियों से हिंसा का समर्थक रही महाराष्ट्र नव निर्माण सेना यानी मनसे हो या फिर शिवसेना-उद्धव ठाकरे, दोनों के नेता राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के विरोध में उतर आए हैं। कहा गया है कि राज्यपाल को मराठी स्वाभिमान और मराठी भाषा के अपमान में अंतर समझना चाहिए। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन भले ही तमिलभाषी हों, लेकिन मराठी गौरवबोध के बहाने जारी भाषा विवाद में हस्तक्षेप करके उन्होंने एक तरह से अपने दायित्वबोध को ही जाहिर किया है।

वह मानते रहे हैं कि राजनीति में अखिल भारतीय व्याप्ति के लिए हिंदी का सहयोग जरूरी है। 1968 में तमिलनाडु में हिंदी को राजभाषा बनाने के खिलाफ हिंसक आंदोलन हो चुका है। राधाकृष्णन ने उस आंदोलन की



हिंसक तपिश महसूस की है। फिर भी, हिंदी सीखना उनकी चाहत रही है। हिंदी विरोध की आंच में पली-बढ़ी तमिलनाडु की एक पूरी पीढ़ी आपसी बातचीत में मानती है कि उसने क्या खोया है। वह मानती है कि अगर हिंदी विरोध की आंच से झुलसने का उसे अंदाजा होता, तो हिंदी के विरोध में वह अपनी जिंदगी और अपने सपनों को होम नहीं करती। राज्यपाल ने सिर्फ यह कहा है कि किसी को पीटने के बाद क्या वह तत्काल मराठी बोलने लगेगा। निश्चित तौर पर इसका जवाब न में है।

सीपी राधाकृष्णन 1998 और 1999 में लगातार दो बार कोयंबटूर से चुने गए थे। उन दिनों वह तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे। उसी दौर की एक घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि एक बार वह तमिलनाडु में कहीं जा रहे थे, तो तमिल न बोलने के चलते स्थानीय भाषा आंदोलनकारी कुछ हिंदी भाषी लोगों को पीट रहे थे। इसके लिए उन्होंने हिंदीभाषियों से माफी मांगी और तमिल बोलने की जिद करने वाले लोगों से कहा था कि क्या उनके हाथों पिट जाने के बाद कोई तत्काल तमिल बोल पाएगा। भारत की हर भाषा और उसे बोलने वालों का सम्मान हो, इस सोच को बढ़ावा देने की जरूरत है। भारत की भाषाएं आपस में बहनें हैं। इनके बहनापे को बढ़ावा देने की जरूरत है।

बहुभाषी भारत में कहावत है कि *कोस-कोस पर पानी बदले, तीन कोस पर बानी,* यानी कुछ ही दूरी पर भाषा का स्वरूप बदल जाता है। लेकिन क्या व्यक्ति इसका व्यवहार करना छोड़ देता है, क्या कुछ दूरी पर बदली भाषा से वह घृणा करने लगता है। भाषाओं की दुनिया किसी राष्ट्र की चौहद्दी नहीं है कि बाड़ लगाकर उन्हें रोक दिया जाएगा, भाषाओं का समाज नदी के पाट की तरह भी नहीं है कि उनके किनारों को बांध बनाकर रोक दिया जाएगा और उसके पानी को नियंत्रित कर लिया जाएगा। दरअसल, भाषाएं नदी के प्रवाह की तरह हैं। जिस तरह हर नदी का अपना प्रवाह है, उसके प्रवाह की अपनी ध्वनि है, कुछ ऐसा ही हाल हर भाषा का है। राज्यपाल के बयान का मकसद भाषाओं की दुनिया की इसी खूबसूरती और उनके गौरवबोध से लोगों का परिचय कराना है। महाराष्ट्र में मराठी बोली जाए या तमिलनाडु में तमिल का व्यवहार बाकी भाषाओं की तुलना में बेहतर हो, इससे भला किसी को क्यों इन्कार होगा। लेकिन मराठी और तमिल को बेहतर बताने और हिंदी या अन्य दूसरी भाषा को कमतर बताने की सोच को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

अपनी भाषा के कथित गौरवबोध के नाम पर हिंसा का सहारा लेना कतई उचित नहीं है। ऐसा करना एक तरह से कानून-व्यवस्था का मामला बन जाता है। ऐसे में राज्यपाल का यह कहना उचित ही है कि कानून-व्यवस्था ठीक नहीं रहेगी, तो निवेशक राज्य में आने से बचेंगे, निवेश घटेगा तो राज्य में उत्पादक इकाइयां कम होंगी, इससे रोजगार घटेगा और राज्य का राजस्व भी। भाषा की राजनीति को इन तथ्यों को भी समझना होगा। उसे देखना होगा कि भाषा के प्रति प्यार अराजकता का जरिया न बने। भाषा को लेकर आक्रामक राजनीति करने वालों को सोचना चाहिए कि अगर हर भाषा-भाषी अराजक ढंग से अपने भाषाई गौरवबोध को उभारने और उसे अभिव्यक्ति देने लगे, तो क्या होगा? अराजकता का तीव्र विस्फोट होगा और उससे अंततः राष्ट्र की नींव में सुराख हो जाएंगे, जिसकी बुनियाद पर राष्ट्र का खड़े रह पाना कठिन होगा।

राज्यपाल ने ठीक ही कहा है कि हमें ज्यादा से ज्यादा भाषाएं सीखनी चाहिए, अपनी मातृभाषा पर गर्व भी करना चाहिए। भाषा के नाम पर अराजक होने के बजाय जरूरत इस बात की है कि हम एक-दूसरे की भाषा ही नहीं, उसके समूचे अस्तित्व के प्रति सहिष्णु हों। तुच्छ व तात्कालिक राजनीतिक फायदे के लिए भाषा के नाम पर सहिष्णुता का यह पुल एक बार टूटा, तो उसे फिर से स्थापित कर पाना बेहद कठिन होगा। महाराष्ट्र के राज्यपाल के बयान को इन्हीं संदर्भों में देखा, परखा और समझा जाना चाहिए।

राष्ट्रीय
सहारा
पटना • बुधवार • 30 जुलाई • 2025
www.rashtriyasahara.com

## खुदकुशी चिंता का सबब

देश में सालों से प्रतिदिन छात्र खुदकुशी कर रहे हैं। यह किसी मूक महामारी की तरह नयी पौध को चपेटे में ले रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आईआईटी खड़गपुर व ग्रेटर नोएडा की शारदा यूनीवर्सिटी में हुई आत्महत्याओं पर स्वतः संज्ञान लिया। पीठ ने पूछा छात्र आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? अदालत दोनों संस्थानों से इस पर जवाब पहले ही मांग चुकी है। चूंकि दोनों ही मामलों में प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है इसलिए बहरहाल चार सप्ताह के लिए सुनवाई स्थगित कर दी। इसी दौरान अदालत के संज्ञान में आया कि 4 जून को दिल्ली आईआईटी में छात्र द्वारा की गई खुदकुशी पर अब तक एफआरआई भी नहीं दर्ज की गयी है। सबसे बड़ी अदालत ने शारदा यूनीवर्सिटी की चुप्पी पर भी सवाल



उठाया। साथ ही खड़गपुर आईआईटी में बीते सात महीनों में हुई चार छात्रों की मौत के कारणों को पता लगाने को भी कहा। दोनों संस्थानों द्वारा उनके आचरण पर दिए जवाबों पर पीठ ने कहा हम यह अपने बच्चों और संतानों के लिए कर रहे हैं। अदालत ने मई में देश भर में छात्रों की आत्महत्या के व्यापक मुद्दे और इस समस्या के समाधान के लिए जरूरी व्यवस्थागत बदलाव की जांच के लिए राष्ट्रीय कार्यबल का गठन भी किया है। जो सितम्बर में अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट दे सकती है। देश में छात्रों द्वारा की जा रही आत्महत्याएं चिंताजनक स्थिति पर पहुंच चुकी हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार प्रतवर्ष तेरह हजार से ज्यादा छात्र अपनी जान खुद लेते हैं, जिनमें परीक्षाओं में असफल होने वाले छात्रों की भी काफी संख्या में होती है। पढ़ाई का बेजा दबाव, समाजिक/पारिवारिक स्थितियां, बदलते मानदंड, बढ़ती प्रतिस्पर्धा और बच्चों से अपेक्षाएं छात्रों पर चौतरफा आघात करते हैं। असफलता व हताशा से जूझने की उन्हें कोई किरण नजर नहीं आती। शिक्षकों का सारा दबाव परीक्षा में अव्वल आने का होता है। उन्हें प्रशिक्षित करने की जिम्मेदारी शिक्षण संस्थानों को निभानी होगी। छात्रों की मानसिक दशा को लेकर न तो परिवार गंभीर होते हैं, न ही शिक्षण संस्थान। विशेषज्ञ कहते हैं, खुदकुशी का विचार बार-बार आता है। ऐसे हताश, तनावग्रस्त व अवसाद वालों को मनोवैज्ञानिक मदद के सहारे काफी हद तक उबारा जा सकता है। हैरत है, परीक्षा के दबाव पर 'मन की बात' करने वाले प्रधानमंत्री ने भी इस समस्या को कभी तवज्जो नहीं दी। अदालत द्वारा इस मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लिया जाना सर्वोच्च संवेदनशीलता का द्योतक है। सरकारों और शिक्षण संस्थाओं को सख्त हिदायतें दी जाएं और ऐसे दंड का प्रावधान हो, जिससे ये छात्रों के जीवन से खिलवाड़ करना बंद करने को मजबूर हों।

## मारे गए पहलगाम के आतंकी

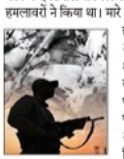

भारत की आत्मा को चोट पहुंचाने वालों को कब तक जीवित रहने दिया जाता। पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों पर हमला करने वाले आतंकियों की मौत आखिर आनी ही थी। सेना ने इन आतंकियों को सावन के पवित्र महीने में सजा दे दी, संयोग से वह भी सोमवार के दिन। श्रीनगर के बाहरी इलाके के जंगलों में सेना के शीर्ष पैरा कमांडो ने पहलगाम आतंकवादी हमले के मास्टरमाइंड और उसके दो साथियों को मार गिराया। सुलेमान उर्फ जुबैर उर्फ आसिफ उस समय मारा गया, जब सुरक्षा बलों ने तकनीकी संकेत मिलने के बाद ऑपरेशन महादेव शुरू किया। यह संकेत एक ऐसे सैटेलाइट फोन के इस्तेमाल से मिल रहा था, जिसका उपयोग पहलगाम हमले के हमलावरों ने किया था। मारे गए दूसरे आतंकवादी पिछले साल सोनमर्ग सुरंग



हमले में शामिल रह चुके जिब्रान और हमजा अफगानी थे ये दोनों भी पहलगाम हमले में शामिल थे। पहलगाम में आतंकवादियों ने 26 लोगों की हत्या कर दी थी। मृतकों में अधिकतर पर्यटक थे। इसके बाद भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ढांचे के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। सुरक्षाबलों ने खुफिया जानकारी के आधार पर सोमवार को क्षेत्र में आतंकवादियों के एक अन्य समूह की मौजूदगी की आशंका के चलते अभियान शुरू किया था, जिसमें ये आतंकवादी मारे गए। इनमें शामिल जिब्रान पिछले साल अक्टूबर में गगनगीर में सोनमर्ग सुरंग परियोजना पर हुए हमले में शामिल था। मुठभेड़ स्थल से एक एम4 कार्बाइन राइफल, दो एके राइफल और कुछ गोलियां बरामद की गई। इन गोलियों का मिलान पहलगाम में मिली गोलियों के खोखों से हो चुका है। श्रीनगर स्थित सेना की चिनार कोर ने एक्स पर पोस्ट किया कि ऑपरेशन महादेव में तीन आतंकवादी मारे गए हैं। पहलगाम हमले के दोषियों का मारा जाना सुरक्षाबलों की एक बड़ी सफलता है, लेकिन इस कार्रवाई में लगा वक्त बहुत ज्यादा है। सवाल तो यह भी उठता है कि आतंकवादियों की हिम्मत कैसे हुई कि वो इतनी दुर्दांत हमला कर सके। पाक प्रायोजित आतंकवाद की 'आपरेशन सिंदूर' के बाद कमर टूट गई होगी ऐसी उम्मीद सभी भारतीय करते हैं, लेकिन यह भी विचारणीय बात है कि किसी देश द्वारा प्रायोजित आतंकवाद को खत्म करने के लिए अंतरराष्ट्रीय राजनय का दबाव कारगर होता है। इस मोर्चे को मजबूत बनाने की कोशिशों को सार्थक गति देना अत्यंत जरूरी है।

**मानव तस्करी/योगेश कुमार**

## मानवता के लिए शर्मसार कृत्य

मानव तस्करी से पीड़ति लोगों की परेशानियों को सामने लाने और उनके अधिकारों की रक्षा करने के उद्देश्य से 'संयुक्त राष्ट्र ड्रग्स और अपराध कार्यालय' (यूएनओडीसी) द्वारा प्रतिवर्ष 30 जुलाई को 'मानव तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस' मनाया जाता है।

मानव तस्करी की समस्या वैसे तो पहले से ही बेहद गंभीर समस्या बनी हुई है, लेकिन कोरोना महामारी के कारण उपजी परिस्थितियों के बाद इस समस्या को पूरी दुनिया में फलने-फूलने का बड़ा अवसर मिला। संयुक्त राष्ट्र के 'ड्रग्स व अपराध निरोधक कार्यालय' द्वारा जारी एक रिपोर्ट में मानव तस्करी के पीड़ितों और उससे बच सके लोगों पर कोविड-19 महामारी के विनाशकारी प्रभावों का खाका पेश करते हुए कहा जा चुका है कि मानव तस्करों ने अपने अपराधिक इरादों के लिए इस वैश्विक संकट का लाभ उठाया। आंकड़ों पर नजर डालें तो करीब 80 प्रतिशत मानव तस्करी जिस्मफरोशी के लिए ही होती है जबकि 20 प्रतिशत बंधुआ मजदूरी अथवा अन्य प्रयोजनों के लिए। ड्रग्स और हथियारों की तस्करी के बाद मानव तस्करी को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा संगठित अपराध माना गया है। एक अनुमान के अनुसार, दुनियाभर में श्रम, सेवाओं और व्यावसायिक सेक्स के लिए 27 मिलियन से भी ज्यादा लोगों का शोषण किया जाता है। बल, धोखाधड़ी और जबरदस्ती के माध्यम से उन्हें खेतों, कारखानों, रेस्तरां और घरों में काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार मानव तस्करी सालाना अनुमानित 236 बिलियन डॉलर के अवैध मुनाफे के लिए जिम्मेदार है। भारत में भी मानव तस्करी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। एनसीआरबी के मुताबिक देश में मानव तस्करी के प्रतिदिन औसतन छह मामले दर्ज होते हैं। दरअसल, एक ओर जहां तकनीक ने मानव तस्करी को रोकने के लिए कई अभिनव समाधान प्रदान किए हैं, वहीं तकनीक ने कुछ जटिल नैतिक प्रश्नों को भी जन्म दिया है और मानव तस्करों सहित अपराधियों के लिए व्यक्तियों का शोषण करने में तेजी से परिष्कृत होने के नये अवसर भी पैदा किए हैं।



**अनमोल वचन**

*सब प्राचीन अच्छा और सब नया बुरा नहीं होता। बुद्धिमान पुरुष स्वयं परीक्षा द्वारा गुण-दोषों का विवेचन करते हैं*
-कालिदास

# संभावित सवाल-जवाब

**बिहार में एसआईआर**

**नवल किशोर कुमार**



बिहार में विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण यानी एसआईआर अब पूरे देश में सुर्खियां बटोर चुका है। केंद्रीय चुनाव आयोग की इस पहल ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशद्वय जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जायमाल्या बागची तक को यह कहने को बाध्य कर दिया कि आयोग अवैध मतदाताओं को हटाने का नहीं, वैध मतदाताओं को मताधिकार से वंचित रखने का प्रयास कर रहा है। न्यायाधीशद्वय ने एक बार फिर अपने निर्देश में कहा है कि दुनिया में कोई भी ऐसा प्रमाण पत्र नहीं है, जिसमें फर्जीवाड़ा नहीं हो सकता, लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि जो मत देने की पात्रता रखते हैं, उन्हें इस अधिकार से वंचित कर दिया जाए। आयोग को यह खरी खोटी सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड और फोटोयुक्त पहचान पत्र को दस्तावेज के रूप में स्वीकारने की बात कही।

दरअसल, यह पूरी प्रक्रिया आरंभ में ही कटघरे में तब खड़ी हो गई और सवाल उठने लगे जब आयोग ने 11 दस्तावेजों की मांग की। इन दस्तावेजों में आधार कार्ड और फोटोयुक्त पहचान पत्र शामिल नहीं थे। आयोग का कहना था कि ये दोनों दस्तावेज मान्य दस्तावेज नहीं हो सकते। इसके बाद आयोग पर भाजपा के पक्ष में काम करने का आरोप विपक्ष ने लगाया। विपक्ष का तर्क था कि इस साल के आरंभ में ही आयोग ने मतदाता पुनरीक्षण किया था। फिर ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी कि इसे अब दुबारा किया जा रहा है और इसके लिए केवल एक महीने का समय दिया जा रहा है।

विपक्ष की दलील यह रही कि ऐसा करके आयोग दलित और पिछड़े समुदायों के लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित करना चाहती है। हालांकि राजनीतिक इतिहास के आधार पर देखें तो विपक्ष की इस बात में दम भी दिखता है। असल में इससे पहले जब 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव हुए तब लगभग डेढ़ सौ सीटों पर हार और जीत का अंतर पांच हजार से कम मतों का था। ऐसे में यदि बिहार के 4-5 प्रतिशत मतों में कटौती हो जाय तो निश्चित तौर पर भाजपा और उसके सहयोगी दलों का पलड़ा भारी हो जाएगा। विपक्ष के लिहाज से देखें तो उसके लिए यह अस्तित्व बचाने की लड़ाई है। इसे विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के इस बयान से समझा जा सकता है कि वे चुनाव के बहिष्कार करने का निर्णय ले सकते हैं। दरअसल, एसआईआर की पूरी प्रक्रिया को बिहार की जनता अपने आंखों से देख रही है। कई खबरें वहां आई हैं कि किस तरह बीएलओ बिना लोगों के घर गए, स्वयं ही फार्म भर कर भेज दे रहे हैं। अनेकानेक मतदाताओं को यह भी नहीं पता कि उनका फार्म भरा गया या नहीं भरा गया। इसके बावजूद केंद्रीय चुनाव आयोग यह कह रहा है कि बिहार के 64 लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से काटे जाएंगे। उसके




मुताबिक 22 लाख मतदाता मृत पाए गए हैं। इसके अलावा उसका कहना है कि करीब 7 लाख मतदाता ऐसे हैं जिनके नाम अन्यत्र भी पाए गए हैं। आयोग का यह भी कहना है कि करीब 35 लाख मतदाता ऐसे हैं, जिनका कोई अता-पता नहीं है। आयोग के अनुसार आज की तारीख में राज्य में वैध मतदाताओं की कुल संख्या 7 करोड़ 23 लाख है।

आयोग ने यह नहीं बताया है कि यदि 64 लाख नाम डिलीट किए गए हैं तो कितने मतदाताओं के नाम जोड़े गए हैं। राजनीतिक दलों के सामने यह बड़ी चुनौती है कि वे दस दिनों के अंदर आपत्ति योग्य प्रविष्टियों की जांच कर सकें और आपत्तियां दर्ज करा सकें। जाहिर तौर पर यह एक बड़े राजनीतिक षड्यंत्र की ओर इशारा करता है। विपक्ष ने आरंभ से ही इस सवाल को एक मौके के रूप में लिया। इसकी पहली अभिव्यक्ति तब हुई जब बिहार बंद का आह्वान किया गया। इस आह्वान का असर राज्य के हर कोने में देखने को मिला। इसका एक लाभ इंडिया गठबंधन को यह मिला कि आम मतदाताओं से उसका सीधा संबंध बना और यह भी कि विभिन्न दलों के कार्यकर्ताओं को एक साथ जमीन पर खड़ा होने का मौका मिला। यह इसके पहले नहीं हुआ था। यहां तक कि बिहार में इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेतागण भी एक-दूसरे के साथ मंच साझा करते नजर नहीं आए थे। यानी अब बिहार की राजनीति में परिदृश्य बदल रहे है। मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार के रूप में तेजस्वी की लोकप्रियता बढ़ी है। वहीं नीतीश कुमार की छवि एक थके हुए राजनेता की बनती जा रही है। जदयू के कार्यकर्ताओं के मन में यह आस टूटती जा रही है कि चुनाव बाद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री पद पर आसीन होंगे, क्योंकि इसे लेकर जदयू और भाजपा के बीच स्थितियां साफ नहीं हैं। विपक्ष की सफलता यह है कि उसने भाजपा को लोकतंत्र के हत्यारे के रूप में जनता के बीच स्थापित कर दिया है जो हर हाल में चुनाव जीतना चाहती है।

नीतीश कुमार के कमजोर होने का एक असर एनडीए के घटक दलों के ऊपर साफ तौर पर देखा जा सकता है। उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार से पार्टी की कमान छोड़ने की बात कहकर विपक्ष के नैरेटिव को ही मजबूत किया है कि नीतीश अब थक चुके हैं। वहीं चिराग पासवान का विद्रोही तेवर जदयू को बैकफुट पर धकेल रहा है। इस बीच जीतनराम मांझी जदयू से अधिक भाजपा के करीब होते नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर देखें तो एनडीए गठबंधन में जदयू अकेली पार्टी बनती जा रही है। हालांकि बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का काम बोलता है, लेकिन जिस तरह से राज्य में अपराधियों ने तांडव मचाया है, उसने उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया है।

दूसरी तरफ भाजपा के हौसले आसमान पर हैं। इसकी वजह यह है कि उसने पिछड़ी जातियों और सवर्णों पर अपने अधिकार को और मजबूत किया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसके लिए राहें बहुत आसान हैं। विपक्षी गठबंधन भी अब मजबूत स्थिति में है। और यह कहना अतिरेक नहीं है कि एसआईआर ने विपक्ष को बिना किसी परिश्रम के ही यह मजबूती दे दी है। बहरहाल, अभी चुनाव में चार महीने का समय शेष है। सियासत कभी भी सरल रेखा का अनुगमन नहीं करती है, लेकिन यह भी याद रखा जाना चाहिए कि चुनाव जीतता वही है, जो सबसे मजबूत नैरेटिव खड़ा करता है। उदाहरण के लिए लोक सभा चुनाव के समय 'संविधान खतरे में है' का नैरेटिव मजबूत था तब भाजपा को 240 पर सिमट जाना पड़ा। एक बार फिर एसआईआर के बहाने वोट लूटने का नैरेटिव मजबूत बनता जा रहा है। यह भाजपा के लिए किसी अभिशाप से कम नहीं।

*(लेख में विचार निजी हैं)*

> अभी चुनाव में चार महीने का समय शेष है। सियासत कभी भी सरल रेखा का अनुगमन नहीं करती है, लेकिन यह भी याद रखा जाना चाहिए कि चुनाव जीतता वही है, जो सबसे मजबूत नैरेटिव खड़ा करता है। उदाहरण के लिए लोक सभा चुनाव के समय 'संविधान खतरे में है' का नैरेटिव मजबूत था तब भाजपा को 240 पर सिमट जाना पड़ा। एक बार फिर एसआईआर के बहाने वोट लूटने का नैरेटिव मजबूत बनता जा रहा है

### भारत में दुनिया के आधे आमों का उत्पादन

- कॉन्स्टेंस एल किर्कर और मैरी न्यूमैन द्वारा लिखित **'मैंगो : अ ग्लोबल हिस्ट्री'** के अनुसार भारत ने अकेले 2020 में दुनिया के लगभग आधे आमों का उत्पादन किया जो 2.4 करोड़ टन से अधिक था। यह जानकारी संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के आंकड़ों का हवाले से दी गई है



- आम सिर्फ राष्ट्रीय जुनून नहीं है, बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप से दुनिया को मिला यह उपहार सीमाओं और व्यंजनों के पार भी खूबसूरती से फैला है। आम में 'चीनी और अम्लता का अंतर्निहित संतुलन' इसे तीखे मसालों, जड़ी-बूटियों और यहां तक कि डेयरी उत्पादों के साथ भी पूरक बनाने में मदद करता है (मीडिया इनपुट्स)

एक **non issue** को **issue** बनाने में कुछ लोगों को महारत हासिल है। सपा सांसद डिम्पल यादव के कई अन्य सांसदों के साथ किसी मस्जिद परिसर में जाने पर ऐसे लोग शोर मचा रहे हैं। पर हमारे यहां कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्मस्थल-परिसर में जा सकता है। संविधान पाबंदी नहीं लगाता तो आप कौन हैं पाबंदी लगाने वाले?

**उर्मिलेश, पत्रकार**
@UrmileshJ



**उपलब्धि** | **मनोज चतुर्वेदी**

## शतरंज में दिव्या का दिव्य रूप

दिव्या देशमुख ने मात्र 19 साल की उम्र में फिडे महिला शतरंज विश्व कप का खिताब जीतकर शतरंज जगत में अपना डंका बजा दिया है। वह यह खिताब जीतने वाली अब तक की सबसे कम उम्र की खिलाड़ी हैं। उन्होंने जॉर्जिया में आयोजित हुई इस चैंपियनशिप के फाइनल में हमवतन कोनेरू हम्पी को हराकर यह उपलब्धि हासिल की। यह खिताब जीतने वाली पहली भारतीय हैं। इस खिताबी जीत से वह ग्रैंडमास्टर भी बन गई हैं। यह गौरव पाने वाली भारत की चौथी महिला हैं। इससे पहले हम्पी, हरिका द्रोणावल्ली और वैशाली रमेशबाबू हैं।

दिव्या ने खिताब जीतने के साथ ग्रैंडमास्टर बनने पर कहा, मुझे इस जीत को समझने के लिए समय चाहिए। मुझे लगता है कि मुझे इस तरह ग्रैंडमास्टर खिताब मिलना नियति की बात थी। इससे पहले मेरे पास एक भी ग्रैंडमास्टर नॉर्म नहीं था और अब मैं ग्रैंडमास्टर बन गई हूं। सबसे कम उम्र में 2013 में फिडे मास्टर बनने वाली दिव्या ने अपने 14 साल लंबे कैरियर में ढेरों सफलताएं प्राप्त की हैं। उन्होंने 41 बार भारत का प्रतिनिधित्व करके 24 बार गोल्ड मेडल जीता है। इसमें पिछले शतरंज ओलंपियाड में व्यक्तिगत स्वर्ण जीतना शामिल है। अभी कुछ ही माह पहले विश्व शतरंज चैंपियन बने डी गुकेश की तरह ही दिव्या भी लंबी बाजियां खेलने में महारत रखती हैं। इस कारण ही गुकेश और दिव्या अन्य खिलाड़ियों से भिन्न नजर आते हैं। दोनों ने ही लगभग एक ही समय शतरंज खेलने शुरू किया। दिव्या कहती हैं कि इस विश्व कप को जीतने में तैयारियों की भूमिका अहम रही है। दिव्या के शुरुआती कोच श्रीनाथ नारायणन का कहना है कि दिव्या बहुत ही आक्रामक खिलाड़ी है। समय बीतने के साथ वह बहुमुखी प्रतिभा की धनी बनती जा रही है। एक अच्छी बात यह है कि वह सभी प्रारूपों में अच्छा खेलती है। दिव्या देशमुख और कोनेरू हम्पी के बीच पहली दो बाजियां क्लासिकल शतरंज की बराबर रहने पर टाइब्रेकर में खेली गईं रैपिड बाजियों में दिव्या ने 2.5-1.5 अंकों से विजय पाकर यह उपलब्धि हासिल की है। दिव्या के लिए रैपिड बाजियों में हम्पी को फतह करने के खास मायने हैं। इसकी वजह यह है कि वह पिछले दिसम्बर में ही रैपिड शतरंज की दूसरी बार चैंपियन बनी थीं। वैसे भी वह रैंकिंग में भी पांचवें स्थान पर हैं और दिव्या तो टॉप दस खिलाड़ियों में भी शामिल नहीं थीं। दिव्या की तरह ही हम्पी ने भी बहुत छोटी उम्र में अपना जलवा दिखाना शुरू कर दिया था। वह जूडिट



पोलगर को हराकर मात्र 15 साल, एक माह और 27 दिन की उम्र में ग्रैंडमास्टर बन गईं थीं। वह यह गौरव पाने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी होने के साथ दुनिया की सबसे कम उम्र में यह गौरव पाने वाली खिलाड़ी बन गईं थीं। भारत की इन दो खिलाड़ियों के बीच फाइनल खेले जाने से इस खेल में चीनी दबदबे की कहानी पर भी किसी हद तक विराम लग गया है। यह सही है कि भारत में सही मायनों में शतरंज की अलख जगाने वाले विश्वनाथन आनंद हैं। उन्होंने गैरी कास्पारोव की अगुआई वाले सोवियत संघ (मौजूदा रूस) के दबदबे को तोड़कर भारत को इस खेल में अग्रणी बनाया था। विश्व शतरंज पर भारतीय दबदबे के बारे में विश्व के नंबर दो खिलाड़ी हिकारू नाकामुरा का कहना है कि भारतीय खिलाड़ियों ने पिछले दो सालों में जो उपलब्धियां हासिल की हैं, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि यह भारतीय शतरंज का स्वर्णिम काल है। दिव्या के बारे में यह कहा जाता है कि वह दुर्घटनावश शतरंज खिलाड़ी बनी हैं और इस तरह बनी खिलाड़ी का इस मुकाम तक पहुंचना बहुत मायने रखता है। उनके हिसाब से उनकी बड़ी बहन बैडमिंटन खेलती थी और माता-पिता उसके साथ जाते थे। दिव्या उस समय चार-पांच साल की थी और वह भी साथ जाने लगीं और उनके बैडमिंटन खेलने में उनका नेट तक भी नहीं पहुंच पाना बाधा बनने लगा। इस कारण उसी हॉल में एक स्थान पर शतरंज होता था, उसे देखने लगीं। शतरंज देखने से उसमें ही मन रम गया और वह शतरंज खिलाड़ी बन गईं। दिव्या के शतरंज में जगे इस शौक का पिता डाक्टर जितेंद्र और माता नम्रता ने अपने प्रयासों से नई ऊंचाइयां देने में मदद की। उन्होंने नागपुर के अपने निवास के करीब एक शतरंज अकादमी में उसका रजिस्ट्रेशन करा दिया।

हमारे यह कहा जाता है कि पूत के पांव पालने में दिखते हैं, दिव्या ने भी मात्र दो साल की कोचिंग में रंग दिखाना शुरू कर दिया। वह 2012 में पुडुचेरी में ही राष्ट्रीय शतरंज में अंडर-7 का राष्ट्रीय खिताब जीतने में सफल हो गईं। इसके बाद दिव्या ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और धीरे-धीरे अंतरराष्ट्रीय शतरंज क्षितिज पर चमकना शुरू कर दिया। दिव्या 2020 आने तक भारतीय ओलंपियाड टीम की नियमित सदस्य बन गईं और उनकी गिनती देश की दिग्गज खिलाड़ियों में होने लगी। इसका फायदा यह हुआ कि उन्हें नियमित तौर पर विश्वनाथन आनंद से टिप्स मिलने लगी। आनंद ने दिव्या के बारे में कहा कि यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। सच यह है कि उसने झू जिनर, तान झोंगजी औ लगीं। रद्रोणावल्ली हरिका जैसी दिग्गज खिलाड़ियों को हराया है। वह जबर्दस्त क्षमता वाली खिलाड़ी है। इसलिए यह अप्रत्याशित नहीं है। लोगों को उससे यह उम्मीद थी और उसने यह करके दिखाया है।

**भाग्य** | **श्रीराम शर्मा आचार्य**



मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता है। निज का उत्थान-पतन उसके वश की बात है। यह तथ्य जितना सच है, उतना ही यह भी सही है कि वातावरण का प्रभाव अपने ऊपर भी पड़ता है और अपने व्यक्तित्व से परिवार एवं समाज का वातावरण भी प्रभावित होता है। बुरे वातावरण में रहकर कदाचित ही कोई अपनी विशिष्टता बना सका हो। साथ ही, यह भी सच है कि वातावरण का प्रभाव भी पड़े बिना नहीं रहता। अधिकतर समर्थ लोगों के क्रियाकलाप ही वातावरण बनाते हैं। बहुसंख्यक होने पर और एक प्रकार की गतिविधियां अपना लेने पर दुर्बल स्थिति के लोग भी अपना एक विशेष प्रकार का माहौल बना लेते हैं। व्यसनी, अनाचारियों का समुदाय भी ऐसा प्रभाव उत्पन्न करता है, जिससे सामान्य स्तर के लोग प्रभावित होने लगें। इसलिए अच्छे वातावरण में रहना और बुरे वातावरण से बचना भी उसी प्रकार आवश्यक है, जैसे स्वच्छ हवा में रहने और दुर्गन्ध से बचने का प्रयत्न किया जाता है। वह कहानी प्रसिद्ध है, जिसमें एक ही घोंसले से पकड़े गए दो तोते के बच्चे दो भिन्न प्रकार के व्यवसायियों ने पाले। वहां की स्थिति के अनुसार ही वे बोलना सीख गए। संत के यहां पला तोता 'सीताराम-राधेश्याम' कहता था और चोर के यहां पला 'लूटो-खसोटो-मारो-काटो' की रट लगाता था; क्योंकि उन्हें यही सब दिनभर सुनने को मिलता था। मनुष्य के संबंध में भी यही बात है। वह जैसे लोगों के साथ रहता है, जैसी परिस्थितियों में रहता है, जो कुछ समीपवर्ती लोगों को करते देखता है, उसी के अनुसार अपना स्वभाव भी ढाल लेता है। वह बंदर की तरह अनुकरणप्रिय जो है। मनस्वी लोग अपनी आदर्शवादिता पर सुदृढ़ रहकर अनेकों का ध्यान अपनी ओर खींचते हैं। अपने औचित्य के कारण उस मार्ग पर चलने के लिए अनेकों को आकर्षित करते हैं। आवश्यक नहीं कि वह मार्ग सरल या परंपरागत ही हो, नवीन विचार भी अपने औचित्य के कारण प्रतिभाशाली लोगों द्वारा अपनाये जाने पर एक मार्ग बन जाते हैं। सर्वसाधारण को तो परंपराएं ही सब कुछ प्रतीत होती हैं; पर विचारवान लोग औचित्यवान को देखते-परखते हैं, पर बहुमूल्य मोतियों का कोई पारखी खरीदार न हो, ऐसी बात भी नहीं है।

## रीडर्स मेल

### संवेदनहीनता का चरम

राजस्थान के झालावाड़ जिले में पिपलोदी गांव की एक सरकारी विद्यालय में छत गिरने से सात बच्चों की मौत और इक्कीस के घायल होने की घटना केवल एक प्रशासनिक चूक नहीं, बल्कि संवेदनहीन विकास नीतियों और खोखली प्राथमिकताओं की सामूहिक विफलता है। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि जिन बच्चों ने स्वयं शिक्षक को चेताया था कि छत गिर सकती है, उन्हें डांटकर भीतर बैठा दिया गया। राजस्थान शिक्षा विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में 2710 स्कूल भवनों को बड़े पैमाने पर मरम्मत की आवश्यकता है, पर ₹254 करोड़ की स्वीकृति अभी तक वित्त विभाग में अटकी पड़ी है। जब निर्णयों का मूल्य आंकड़ों में और जनसंवेदनाओं का स्थान फाइलों में सीमित हो जाए, तो हादसे नियति नहीं बल्कि नीति बन जाते हैं। आवश्यकता है कि स्कूलों की मरम्मत सिर्फ इमारतों तक सीमित न रहे, बल्कि नीति निर्माताओं की सोच और कार्यशैली की भी मरम्मत की जाए। वरना हर गिरती छत, गिरी हुई आत्मा का प्रतीक बनती रहेगी-और भारत की शिक्षा नहीं, सभ्यता खुद घायल होगी।

**अवनीश कुमार गुप्ता, ई मेल से**

### आवारा कुत्तों पर 'सुप्रीम' सख्ती

मनुष्यों में कुत्तों का भय कब समाप्त होगा? आवारा कुत्तों के आतंक से संबंधित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए कि 'जिन्हें कुत्तों से प्रेम है वे घर ले जाएं, खाना खिलाएं, किंतु सड़कों पर नहीं।' केरल में 'यूथिनिसिया' नाम से इंजेक्शन सरकार ने कुत्तों को करने के लिए ही बनाया है। क्या आवारा कुत्तों को नसबंदी के बाद कुत्तों को छोड़ना उचित है या नहीं, यह भी विचारणीय है, क्योंकि हर दिन कुत्तों के काटने के बच्चे और बुजुर्ग शिकार बनने के समाचार पढ़ रहे हैं। विगत छह माह के दौरान कुत्तों के काटने से हताहतों की संख्या बढ़ी है, वहीं एंटीरैबीज इंजेक्शन की कमी होना भी चिंतनीय है। 06 वर्ष के बच्चे की मौत पर सुप्रीम कोर्ट का स्वतः संज्ञान तथा इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश के बावजूद नगरीय प्रशासन पर आश्चर्य होता है कि इतने पर भी हमारी गलियां और सड़क कुत्तों से असुरक्षित क्यों हैं?

**बी एल शर्मा 'अकिंचन', उज्जैन**

### दुर्भाग्यपूर्ण घटना

यह पत्र 'घोर लापरवाही' से संबंधित है। हाथरस, महाकुंभ, तिरुपति और पुरी और उसके बाद अब मनसा देवी, इन सभी जगहों पर भगदड़ों में काफी जान गईं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि हमने कोई सबक नहीं लिया है। वह तो भला हो इस घटना से आधे घंटे पहले सीढ़ियों वाला रास्ता बंद कर दिया गया था वरना और बड़ी क्षति हो जाती। केवल तीन मीटर चौड़ा रास्ता और काफी तादाद में तीर्थयात्री इन दोनों कारणों की वजह से ऐसा हुआ है। तीर्थस्थलों को बढ़ावा देना अच्छी बात है, लेकिन सुरक्षा का क्या? इस तरह की मानव द्वारा निर्मित त्रासदियों को बिल्कुल रोका जा सकता है। यदि केवल उतने ही तीर्थयात्रियों को आगे भेजा जाए जितने आराम से मंदिर प्रांगण में मैनेज हो पाए और वहां स्टाल लगाने वाले लोगों को प्राथमिक चिकित्सा और ऐसी स्थिति में क्या करना है की जानकारी होनी चाहिए। उसके अतिरिक्त सभी राज्य एक दूसरे से विचार कर रणनीतियों को साझा कर सकते हैं ताकि एक दूसरे के अनुभवों से सीखने को मिले।

**बाल गोविंद, नोएडा**

letter.editorsahara@gmail.com

**हमें गर्व है हम भारतीय हैं**

राष्ट्रीय सहारा • राष्ट्रीयता • कर्तव्य • समर्पण
सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया काज़ी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन द्वारा हिन्दुस्तान मीडिया वेन्चर्स लिमिटेड प्रेस, मौजा-दरियापुर, पुलिस स्टेशन-शाहपुर, दानापुर, पटना से मुद्रित तथा चतुर्थ तल, सहारा इण्डिया बिहार, बोरिंग रोड क्रासिंग, पटना से प्रकाशित। स्थानीय संपादक - संजय त्रिपाठी *।
पटना कार्यालय- 3911448/417/454/422, फैक्स : 2535935,2520760 विज्ञापन-3911455/434, प्रसार- 3911451/428
वर्ष - 20, अंक 6731
आर.एन.आई. सं. -बीआईएचएचआईएन/2008/18082 Postal Reg. No. : R-10/NP-50/06-07
*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु उत्तरदायी